Tuesday, 10 December, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
17-7-97
Fumigated
On 24-1-84
Parliament Library

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/ CONTENTS

अंक—22–मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1968/19 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 22—Tuesday, December 10, 1968/ Agrahayana 19, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
631*	तालचेर उद्योग समूह	Talcher Industrial Complex	2—4
632.	बाढ़ के कारण रेलवे सम्पत्ति को क्षति	Damage to Railway Property due to Floods	4—6
633.	रात को रेलगाड़ियों में यात्रा करने संबंधी सुरक्षा उपाय	Security for Travelling by trains at Night	6—9
634.	विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध विदेशी सलाहकार तथा विशेषज्ञ	Foreign Advisers and Experts attached to various Ministries	9
637.	केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं	Central Industrial Projects	9 –12
638.	मोटर गाड़ी पुर्जे-उद्योग	Automobile Ancillary Industry	12—16
641.	मध्य रेलवे ज़ोन	Central Railway Zone	16—17
643.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	17—18
अल्प-सूचना प्रश्न सं०		SHORT NOTICES QUESTIONS	19—20
11.	अहमदाबाद में रेलवे सम्पत्ति को क्षति	Damage to Railway Property in Ahmedabad	

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
635.	बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड	Bombay Oxygen Corporation Ltd.	20—21
636.	लघु उद्योग	Small-Scale Industries	21
639.	बेलाडिला लोह अयस्क परियोजना में भष्टाचार तथा कुप्रबन्ध	Corruption and mismanagement in the Bailadila Iron Ore Project	22
640.	पूर्वी योरूपीय देशों के साथ व्यापार	Trade with East European Countries	22
642.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	Durgapur Steel Plant	22—23
644.	मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	Machine Tool Corporation of India Ltd.	23—24
645.	कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Coal Mines	24
646.	गैर-सरकारी समवायों द्वारा संचालित रेलवे का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Railways Operated by Private Companies	25
647.	भारत का व्यापार संतुलन	India's Balance of Trade	25
648.	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में छंटनी	Retrenchment in Chittaranjan Locomotive Workshop	26
649.	भिलाई इस्पात कारखाना	Bhilai Steel Plant	26
650.	अवमूल्यन से लाभान्वित उद्योग	Industries which have benefited from Devaluation	26—27
651.	बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की समय-समय पर जांच	Periodical Inspection of Ticketless Travel	27
652.	आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences	27—28
653.	लद्दाख में बने गलीचों तथा नमदों की बिक्री	Sale of Carpets and Namdas manufactured in Ladakh	28
654.	बिहार में कोयला साफ करने का कारखाना	Coal Washery in Bihar	28—29
655.	जस्ते और तांबे का आयात	Imports of Zinc and Copper	29—30

ता० प्र० संख्या
S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
656.	पश्चिम बंगाल में रेल के माल डिब्बे बनाने के कारखाने	Producers of Railway Wagons in West Bengal	30
657.	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान, बरहामपुर	Central Sericulture Research Institute, Berhampur	31
658.	आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली वस्तुएँ	Import Substitution	31—32
659.	पांचवां इस्पात कारखाना	Fifth Steel Plant	32—33
660.	बाक्साइट लाना ले-जाना	Movement of Bauxite	33

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

3890.	हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड	Hindustan Zinc Ltd.	33—34
3891.	पश्चिम बंगाल सरकार की दुर्गापुर स्थित कोक भट्टी	Durgapur Coke-Oven Plant of the West Bengal Government	34—35
3892.	चाय सम्बन्धी विशेष पाठ्यक्रम	Specialised Tea Course	35
3893.	विदेशी निर्माता	Foreign Manufacturers	35—36
3894.	चाय उद्योग के बारे में बरुआ समिति	Borooah Committee on Tea Industry	36—37
3895.	भारत में रूसी ट्रेक्टरों का निर्माण	Manufacturers of U. S. S. R. Tractors in India	37
3896.	राजनीतिक दलों का चन्दा	Donation to Political Parties	37—38
3897.	पिलानी तथा खिरकिया स्टेशनों के बीच बस तथा रेल की टक्कर	Bus-train Collision between Pilani and Khirkiya Stations	38—39
3898.	मजीठा तथा डेरा बाबा नानक झंडी-स्टेशन	Majitha and Derababa Nanak Flag Stations	39
3899.	त्रिपुरा में कागज परियोजना	Paper Project in Tripura	39—40

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3900.	महाराष्ट्र में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योग	New Industries to be set up in Maharashtra	40
3901.	त्रिपुरा में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Tripura	40—41
3902.	बम्बई और नई दिल्ली के बीच अमृतसर एक्सप्रेस	Amritsar Express between Bombay and New Delhi	41
3903.	अमृतसर मेल के साथ जोड़े गये डिब्बे	Bogies Attached to Amritsar Mail	41
3904.	मध्य रेलवे में रेल गाड़ियों में चोरी के मामले	Theft in Trains on Central Railway	41—42
3905.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की अंदायी भविष्य निधि में जमा राशि	Contributory Provident Fund Deposits of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi	42
3906.	औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति	Industrial Licensing Policy	42
3907.	जाली रेलवे टिकट तैयार करने वाला गिरोह	Racket of Forged Railway Tickets	42—43
3908.	त्रिपुरा में लघु उद्योग	Small-Scale Industries in Tripura	43—44
909.	त्रिपुरा में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small-Scale Industries in Tripura	45
3910.	रेलवे मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Railway Ministry	45—46
3911.	औद्योगिक बस्तियों में रोजगार	Emplyees in Industrial Estates	46
3912.	आविष्कार संवर्धन बोर्ड	Invention Promotion Board	45—47
3913.	कम्पनियों में लगी पूंजी	Capital Investment of Companies	47
3914.	चलचित्रों का आयात तथा निर्यात	Import and Export of Films	47—48
3915	वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हिन्दी में प्रपत्रों तथा नियम पुस्तकों का मुद्रण	Printing of forms and Manual in Hindi by the Ministry of Commerce	48

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3916.	पारादीप पत्तन में तल-कर्षण	Dredging at Paradeep Port	48—49
3917.	नई रेलवे लाइन बिछाना	Laying of new Railway Lines	49—50
3918.	गैर-सरकारी कम्पनियों का ऋण इक्वीटी शेयरों में बदलना	Conversion of Loans to Private Companies into equity shares	50
3919.	उत्तर प्रदेश में पल्प फैक्टरी	Pulp Factory in U. P.	50
3920.	चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन	Chandigarh Railway Station	50—51
3921.	निर्वर्गीकृत परिवहन कर्मचारियों को नियोजित किये जाने के विरोध में वाणिज्यिक क्लर्क ऐसोसिएशन का आवेदन	Representation by Commercial Clerks' Association against absorption of Decategorised Transportation Staff	51
3922.	चंडीगढ़ में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं	Central Industrial Projects at Chandigarh	51—52
3923.	एर्नाकुलम जंकशन के पास कोचीन मेल के आगे धरना	Picketing of Cochin Mail Near Ernakulam Junction	52
3924.	एकस्वों संबंधी विधेयक	Registration of Patents	52—53
3925.	कांडला बन्दर स्टेशन पर गणना मिलान (टैली) क्लर्क	Tally Clerks at Kandla Bunder Station	53
3926.	रिवाड़ी–रतनगढ़ रेल गाड़ियों का चलना स्थगित किया जाना	Suspension of Rewari-Ratangarh Trains	53—54
3927.	रामदेवजी मेले के अवसर पर विशेष रेल गाड़ियां	Special Train on Ramdevji Fair	54
3928.	हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी	Hindustan Salts Ltd.	54—55
3929.	महाराष्ट्र में कपड़ा मिल	Textile Mills in Maharashtra	55
3930.	निषिद्ध वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंसों के बारे में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच	Special Police Establishment investigation into Import Licences or prohibited Items	55

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3931. लोह अयस्क पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Iron Ore	56—57
3932 साइकलों के टायरों और ट्यूबों की मांग	Demand of Cycle Tyres and Tubes	57—58
3933.. उत्तर प्रदेश में फास्फेट के निक्षेप	Deposits of phosphate in Uttar Pradesh	58—59
3934. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	59
3935. मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया	Machine Tool Corporation of India	59
3936. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड	National Newsprint and Paper Mills Limited	60—61
3937. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	Triveni Structurals, Ltd.	61—62
3938. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Electricals Ltd.	62—65
3939. मानव निर्मित रेशा तथा धागा उद्योग का लागत ढांचा	Cost structure of man-made Fibre and Yarn Industry	65—66
3940. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	66—69
3941. रेल के माल डिब्बे बनाने वाले कारखाने	Railway Wagons Manufacturing Unit	69
3942. निर्यात पर छूट तथा रियायत	Exemptions and rebates on exports	69
3943. सरकारी क्षेत्र द्वारा विदेशों में किया गया व्यापार	Foreign Trade Unkertaken by the Public Sector	69—70
3944. टेरिन तथा रेशम के धागों का आयात	Import of Terene and Silk Threads	70
3945. हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	70—71
3946. मारीशस के साथ व्यापार	Trade with Mauritius	71

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3948.	तकनीकी लाइसेंस करार	Technical Licence Agreements	71—72
3949.	मोर पंखों का निर्यात	Export of Peacock Feathers	72
3950.	बीकानेर डिवीजन रेलवे वर्कशाप के रेलवे कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया जाना	Participation of Railway Employees of Bikaner Division Railway Workshop in Token Strike	72—73
3951.	बीकानेर डिवीजन के रेल कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Railwaymen in Bikaner Division	73
3952.	रेलगाड़ियों में स्थान रक्षित करने संबंधी नियम	Rules Re. Reservation of Seats in Trains	73—74
3953.	रेलवे गोदामों में चोरी	Thefts in Railway Godowns	74
3954.	राज्यों में स्थापित किये गए उद्योग	Indnstries set up in the States	74—75
3955.	निर्यात की वृद्धि-दर	Growth rate of E[illegible]orts	75
3956.	चाय का मूल्य	Prices of Tea	75—76
3957.	कोयला खानों की मालडिब्बों की सप्लाई	Wagons supply to Collieries	76—77
3958.	नागपुर से पूना तक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Through Express train from Nagpur to Poona	77
3959.	कताई मिलें	Spinning Mills	78
3960.	कपास में ग्रात्म-निरर्भता	Self-sufficiency in Cotton	78—79
3961.	चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात	Exports during Fourth Plan	79
3962.	इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के विस्फोटक पदार्थों तथा सहायक वस्तुग्रों की बिक्री में कमी	Decline in sale of Explosives and Accessories of Indian Explosives, Ltd.	79—80
3963.	खनिज निक्षेपों का विदोहन	Exploitation of Mineral deposits	80
3964.	वर्धा में ढलाई ग्रोर गढ़ाई का कारखाना	Foundry Plant at Wardha	80—81
3965.	कम्पनियों के प्रबन्धक निदेशकों द्वारा धन का प्रयोग	Use of Funds by Managing Directors of Companies	81

अता० प्र० संख्या

U Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3966.	1967-68 में औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Industrial Licences during 1967-68	81
3967.	बल्गारिया से व्यापार करार	Trade Agreement with Bulgaria	81—82
3968.	अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में लोह अयस्क के मूल्य	Prices of Iron ore in International Markets	82
3969.	खुर्दा और बालनगरी के बीच रेलवे लाइन	Railway Line Between Khurda and Balangir	82—83
3970.	तालचेर और बरहामपुर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line Between Talcher and Berhampur	83
3971.	इस्पात उत्पादनों का विविविकरण	Diversification ot Products	83
3972.	जापान में इस्पात की कम उत्पादन लागत	Low Cost of Production of Steel in Japan	83—84
3973.	भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Indian Trade Delegations	84
3974.	विदेशी सहयोग संबंधी करार	Foreign Collaboration Agreements	84—85
3975.	विदेशी सहयोग संबंधी करार	Foreign Collaboration Agreements	85
3976.	रेलवे आरक्षण	Railway Reservations	85—86
3977.	रेलवे स्टेशनों पर चाय के स्टाल	Tea Stalls on Railway Stations	86—87
3978.	पठानकोट स्टेशन पर वस्तुओं की बुकिंग	Booking of Goods at Pathankot Station	87
3979.	बम्बई की एक मोटर कम्पनी द्वारा चोर बाजारी	Black-Marketing by a Motor Company of Bombay	87
3980.	सोननगर स्टेशन पर रेल दुर्घटना	Train Collision at Sonenagar Station	87—88
3981.	उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन	Amendment of Industries (Development and Regulation) Act	88

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
3982.	दिल्ली आते समय संसद सदस्यों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats for M.Ps while coming to Delhi	88—89
3983.	भारतीय कपड़े का आस्ट्रेलिया को निर्यात	Export of Indian Textiles to Australia	89—90
3984.	रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Railway Employees	90
3985.	पूर्व रेलवे के तकनीकी पर्यवेक्षकों को रात्रि भत्ता	Night Duty Allowance to Technical Supervisors of Eastern Railway	90
3986.	पूर्व रेलवे के स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की स्वकृत संख्या	Sanctioned Strength of S.Ms and A.S.Ms on Eastern Railway	91
3987.	झांसी और मिर्जापुर जिलों में खनिज	Minerals in Jhansi and Mirzapur Districts	92
3988.	पोलेंड के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Poland	92
3989.	उत्तर प्रदेश में तांबे और सीसे के निक्षेप	Copper and Lead Deposits in U.P.	92
3990.	दिल्ली कालका मेल में लाश का पाया जाना	Recovery of a Dead Body in Delhi-Kalka Mail	93
3991.	बेसिन पर रेलवे पुल	Railway Bridge on Basin	93—94
3992.	गुजरात राज्य में माल डिब्बों की मांग	Demand for Wagons in Gujarat State	94
3993.	श्रीलंका में भारतीय साड़ियाँ का बहिष्कार	Boycotting of Indian Sarees in Ceylon	94—95
3994.	लघु उद्योग आयोग	Small Scale Industries Commission	95
3995.	विदेशी तकनीशनों के बारे में परिपत्र	Circular regarding Foreign Technicians	95—96
3996.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	National Productivity Council	96
3997.	पार्सल क्लर्कों का तबादला	Transfer of Parcel Clerks	96
3998.	महुआदिब से बाराबंकी के निकट के स्टेशनों तक बड़ी लाईन	Broad-Gauge Line from Manduadib to Stations near Barabanki	96—97

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3999. श्रीलंका को निर्यात	Exports to Ceylon	97
4000. दिल्ली-पलवल शटल गाड़ी	Delhi-Palwal Shuttle Train	97—98
4001. उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की यातायात प्रशिक्षणार्थियों के पद पर नियुक्ति	Appointment of Scheduled Castes Traffic Trainees of Northern Railway	98
4002. प्रशिक्षण स्कूल, मुजफ्फरपुर में यातायात प्रशिक्षणार्थियों को भोजन दिया जाना	Supply of Meals to Traffic Apprentices in Training School, Muzaffarpur	98
4003. तालचेर और रूरकेला के बीच रेल सम्पर्क	Rail Link between Talcher and Rourkela	99
4004. अभ्रक के उत्पादन में कमी	Decline in Mica Production	99—100
4005. मोटर गाड़ियों के टायरों का उत्पादन	Production of Automobile Tyres	100—101
4006. मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	101—102
4007. राज्य विद्युत चालित करघा योजना	States Power Loom Scheme	102
4008. रेलवे कर्मचारियों के धारणाधिकारों का परिवर्तन	Change of Lien of Railway Staff	103
4009. मल्का गंज दिल्ली के निकट स्थित कब्रिस्तान से ट्रक अड्डे का हटाया जाना	Removal of the Truck Adda from the Graveyard near Malka Ganj Delhi	103
4010. पूर्वोत्तर रेलवे स्टाफ नर्सों के लिये बिस्तरों आरक्षण	Reservation of Beds for Staff Nurses on the N.E. Railway	104
4011. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में जस्त की चादरों का जमा होना	Accunmulation of Zinc Sheets at Hindustan Zinc Ltd.	104—105
4012. घाना के साथ व्यापार वार्ता	Talks on Trade with Ghana	105—106
4013. मशीन टूल इंडस्ट्री की समस्यायें	Problems of Machine Tool Industry	106
4014. कोरबा में एल्यूमिनियम परियोजना को स्थापित करने के बारे में भारत और रूस के बीच करार	Agreement between India and Russia to set up Aluminium Project at Korba	106—107

अता० प्र० संख्या

U. Q, Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4015.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में उपस्थिति दर्ज करने वाली मशीनों का नष्ट किया जाना	Destruction of Attendance Recording Machines at H.E.C., Ranchi	107
4016.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	107—108
4017.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	108—109
4018.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची का गढ़ाई और ढलाई का कारखाना	Foundry Forge Plant of H.E.C. Ranchi	109—110
4019.	उत्तर प्रदेश में विद्युत चालित करघों का लगाया जाना	Installation of Power Looms in Uttar Predesh	110—111
4020.	कलकत्ता पत्तन में माल के प्रवेश पर शुल्क	High charges on Goods entering Clacutta Port	111
4021.	पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर हिन्दी में नाम पट्ट	Hindi name plates at Railway Stations on N.E. Railway	111
4022.	कपास और पटसन खरीदने के लिये निगम	Corporations for Purchase of Cotton and Jute	111—112
4023.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में पूंजी विनियोजन	Capital Investment in Public Sector Steel Plants	112—113
4024.	इस्पात का निर्माण और आयात	Production and Import of Steel	113
4025.	दुर्गापुर स्थित सरकारी मिश्र इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of the Public Sector Alloy Steel Plant at Durgapur	113
4026.	विदेशी फिल्मों का आयात	Import of Foreign Films	113—114
4027.	सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच अतिरिक्त रेलगाड़ी	Additional Train between Sewai Madhopur and Jaipur	114

अतो० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4028.	राजस्थान में बड़े पैमाने के उद्योग	Large Scale Industries in Rajasthan	114—115
40 9.	दक्षिण-मध्य रेलवे के सेवा-निवृत्त कर्मचारी	Retired Employees of South Central Railway	115
4030.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में भंडारों को रखने की व्यवस्था	Maintenance of stocks in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	115
4031.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	115—116
4032.	यात्री कर निर्माण कारखाना	Passenger Car Unit	116
4033.	राज्य व्यापार निगम द्वारा सरकारी विभागों को कारों की बिक्री	Sale of Cars to Government Departments by State Trading Corporation	116—117
4034.	बेलाडिल्ला में लौह अयस्क निकालना	Exploitation of Iron Ore at Bailadila	117
4035.	समवाय विधि प्रशासन कार्यालय	Company Law Administration	117
4036.	कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये जाना	Prosecutions Launched against Companies	117—118
4037.	पूर्वोत्तर रेलवे भंडार विभाग	North Eastern Railway Stores Department	118
4038.	रेलवे मंत्रालय में कर्मचारी	Employees in Railway Ministry	118
4039.	पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore from Paradeep Port	118—119
4040.	लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के निक्षेप	Reserves of Iron Ore and Manganese Ore	120
4041.	पूर्व रेलवे पर नियंत्रण करने वाले स्वचालित यंत्र	Automatic Train Control Device on the Eastern Railway	120—121
4042.	कुडरेमुख लोह-अयस्क परियोजना	Kudremukh Iron Ore Project	121—122

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
4043.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	National Industrial Development Corporation	122
4044.	सस्ते स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Cheap Scooters	122
4045.	राजस्थान में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Rajasthan	123
4046.	गया पटना यात्री गाड़ी में डकैती	Robbery in Gaya-Patna Passenger Train	123—124
4047.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	Hindustan Machine Tools, Ltd.	124—125
4048.	एशिया तथा सुदूर पूर्व देशों में आर्थिक सहयोग का सम्मेलन	Meeting of Economic Cooperation for Asia and Far East Countries	125
4049.	कटक–पारादीप रेल सम्पर्क	Cuttack-Paradeep Railway Link	125
4050.	सहयोग नीति	Collaboration Policy	125—126
4051.	संयुक्त अरब गणराज्य से रुई का आयात	Import of Cotton from U. A. A.	126
4052.	भारत नेपाल व्यापार वार्ता	Indo-Nepal Trade Talks	126—127
4053.	आसाम में मिला कच्चा लोहा	Iron Ore discovered in Assam	127
4054.	प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का निर्माण	Manufacture of Protein food	127—128
4055.	कार उद्योग	Car Industry	128—129
4056.	हैदराबाद में केबल कारखाना	Cable factory at Hyderabad	129
4057.	आंध्र प्रदेश में सीमेंट फैक्टरी	Cement factory in Andhra Pradesh	129
4058.	भारत के लेक्मी फर्म के साथ अमरीका की मेसर्स रेवलान का सहयोग	Collaboration of M/s. Revlon of U. S. A. with Lakme of India	129—130
4059.	कृत्रिम कपड़ों (सिन्थेटिक फेब्रिक) तथा स्टेनलैस स्टील का आयात	Import of Synthetic Fabrics and Stainless Steel	130

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4060.	ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत के निर्यात पर लगाये प्रतिबन्धों का प्रभाव	Impact of India's Exports of restrictions imposed by Britain	130—131
4061.	धारित्र (कैपेसिटर्स) उद्योग	Capacitor Omdistru	131—132
4062.	व्यापार सलाहकार परिषद् की बैठक	Meeting of Advisory Council on Trade	132—134
4063.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये मुफ्त रेलवे पास	Free Railway Passes to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	134
4064.	सागर स्टेशन पर पुल	Bridge at Sagar Station	134—135
4065.	खानों अथवा निगमों के चेयरमैन अथवा प्रबंधक निदेशक का चयन	Selection of Chairman or Managing Director of Mines or Corporations	135
4066.	जापान को लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	135—136
4067.	बेलाडिल्ला लोह अयस्क खानों का उद्घाटन	Inauguration of Bailadila Iron Ore Mines	136
4068.	ट्रैक्टरों का उत्पादन तथा वितरण	Production and Distribution of Tractors	136—137
4069.	ट्रैक्टरों की कीमत	Price of Tractors	137
4070.	पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टरों की चोर-बाजार में बिक्री	Sale of Tractors in Black-Market in Punjab and Haryana	137—138
4071.	स्कूटरों का निर्माण	Manufacure of Scooters	138—139
4072.	चाय तथा पटसन उद्योगो में संकट	Crisis in Tea and Jute Industries	139—140
4073.	कोसीपुर रोड के गोदाम में पटसन की गांठों का जमा होना	Piling up of Jute Bales at Cossipore Road Godown	140—141
4074.	प्रशासनिक सुधार आयोग के कोयला बोर्ड की सिफारिशें	Recommendation of the Administrative Reforms Commission on Coal Board	141

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4076.	कागज की कमी	Shortage of Paper	141—144
4077.	निर्मली-भपियाही रेलवे लाइन	Nirmali-Bhaptiahi Railway Line	144
4078.	खादी के माल का निर्यात	Export of Khadi Goods	144
4079.	बिड़ला उद्योगों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Birla Concerns	144—145
4080.	बेलगाम कोयला तथा कोक उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड से ज्ञापन	Memorandum from Belgaum Coal and Coke Consumers Cooperative Association Ltd.	145
4081.	कपास की किस्म तथा समर्थित कीमत के बारे में विवादों का निबटारा करने की व्यवस्था	Machihery to Deal with Disputes Regarding the Quality or Support Price of Cotton	145
4082.	नेपाल से आयात	Imports from Nepal	146
4083.	नेपाल में अविकारी इस्पात तथा कृत्रिम धागे के कपड़े के निर्यातक और भारत में आयातक	Exporters of Stainless Steel and Synthetic Fabrics in Nepal and Importers in India	146
4085.	वैमानिक सर्वेक्षण संस्था	Aerial Survey Organisation	146—147
4086.	कारों तथा स्कूटर के टायरों की कमी	Shortage of Car and Scooter Tyres	147—148
4087.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची आदि की आवश्यकता से अधिक उत्पादों के लिए बाजार	Market for Surplus Products from HEL, Ranchi etc.	148
4088.	बोटाड रेलवे स्टेशन के निकट डीजल टंकरों में आग लगना	Fire in Diesel tankers near Botad Railway Station	148
4089.	रेलवे स्टेशनों पर मैसर्स ए. एच. व्हीलर एण्ड कम्पनी की पुस्तकों की दुकानें	M/s. A. H. Wheeler & Co's Book-stalls at Railway Stations	149

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	149—151
राज्य-सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	151
संघ राज्य-क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिका कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक	Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Bill	152
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन साक्ष्य	Report of Joint Committee : Evidence	
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हाल की घटनाओं संबंधी वक्तव्य	Statement re. recent incidents in Banaras Hindu University	152—153
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	
हरियाणा की स्थिति के बारे में	Re. situation in Haryana	153—154
संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक-पुरस्थापित	Constitution (Twenty-second Amendment) Bill Introduced	155—156
खाद्य-निगम (संशोधन) विधेयक	Food Corporations (Amendment) Bill Motion to consider	157—159
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधन रूप में,	Motion to pass, as amended	
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	159—167
अत्यावश्यक सेवायें (बनाये रखना) अध्यादेश, 1968 के निरनुमोदक के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प	Statutory resolution re. disapproval of essential services (Maintenance) Ordinance, 1968	167—177
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1968/ 19 अग्रहायण, 1890 (शक)

Tuesday, December 10, 1968 / Agrahayan 19, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की बीसवीं वर्षगांठ

अध्यक्ष महोदय : आज संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानवीय अधिकारों की विश्व्यापी घोषणा की बीसवीं वर्षगांठ है । आज का कार्य आरम्भ करने से पूर्व यह उचित ही है कि हम उस ऐतिहासिक घोषणा का स्मरण कर लें जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1968 को एकमत से स्वीकार की गई है। उक्त घोषणा की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर 10 दिसम्बर, 1958 को इस सभा में उसके बारे में उल्लेख किया गया था ।

घोषणा को बीस वर्ष हो चुके हैं परन्तु दुर्भाग्यवश विश्व के कुछ भागों में उस पर अमल नहीं किया जा रहा है और कुछ देशों में तो उसके आधारभूत सिद्धांतों को भी अस्वीकार किया जाता है। जातिभेद और रंगभेद की नीति अब भी कहीं अपनायी जाती है जो कि मानवीय अधिकारों की सबसे अधिक विरोधी है। निरन्तर प्रयत्न द्वारा इनका परित्याग कराने की आवश्यकता है ।

यदि घोषणा पर पूर्णतः अमल किया जाये तो संसार के सामने आज जो मुसीबतें हैं उनमें से बहुत सी समाप्त हो जायेंगी ।

भारत सर्वदा घोषणा का पालन करता रहा है । फिर भी हमें इसका स्मरण करके इसको पालन करते रहना चाहिए ।

यह घोषणा एक काफी लम्बा दस्तावेज है। उसकी प्रतियाँ सदस्यों के डेस्कों पर रख दी गयी हैं।

Shri George Fernendez (Bombay South) : Mr. Speaker, it has not been given in Marathi. Secondly, it is simply accepted in principle but is not adopted.

Shri Ishaq Sumbhali : Why it has nat been given in regional languages ? Why it has not been given in Marathi ? How is it justified ?

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी अंग्रेजी का मानवी अधिकारों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तालचेर उद्योग समूह

*631. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा राज्य के तालचेर में कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में तालचेर उद्योग समूह को सम्मिलित किये जाने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) इस विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि अभी कुछ विस्तृत परीक्षण, जो कि प्रायोजना के कार्यान्वयन को हाथ में लिये जाने के पूर्व किये जाने हैं, किये जाने बाकी हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस परियोजना के लिए "लैटर आफ इन्टेन्ट" 27 अप्रैल, 1964 को जारी किया गया था और परियोजना की जाँच करने के लिये जो समिति नियुक्ति की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट मंत्रिमण्डलीय उपसमिति को प्रस्तुत कर दी है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को कब दी थी और कब से वह मंत्रिमण्डल के विचार के लिए पड़ी है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वह विचार के लिए नहीं पड़ी है। उस पर मंत्रिमंडल उप-समिति द्वारा विचार किया जा चुका है और यह निर्णय किया गया था कि परीक्षण व्यापारिक पैमाने पर किया जाये और इसलिए सम्बन्धित मंत्रियों और योजना आयोग के साथ

हुई हाल की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि वैज्ञानिक और अनुसन्धान परिषद् से इस बात को आगे जांच करने के लिये कहा जाना चाहिए कि क्या इस कोयले से कोक निकाला जा सकता है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यह वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान परिषद् को कब कहा गया था और कब से परिषद् द्वारा इस मामले की जांच और उसकी तकनीकी बातों पर विचार किया जा रहा है और क्या इस परियोजना के केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल किये जाने की सम्भावना है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने इस प्रश्न पर सितम्बर में विचार किया था और परिषद् से आगे इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है । जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है, अब उन्होंने यह कहा है कि यदि तालचेर कम्पलेक्स स्थापित नहीं किया जा सकता तो एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए और इस प्रश्न पर अब योजना आयोग और पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा आगे विचार किया जा रहा है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या यह सच सच है कि उड़ीसा सरकार ने कोयले पर आधारित इस तालचेर संयंत्र के लिये अपनी चौथी योजना में 20 करोड़ रुपये निर्धारित कर दिये हैं और क्या यह भी सच है कि उर्वरक निगम में अपनी परियोजना रिपोर्ट में यह लिखा है कि चार साल के भीतर पूरी पूंजी वापस हो जायेगी ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उर्वरक निगम ने परियोजना की व्यवहार्यता के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि यह उर्वरक संयंत्र स्थापित हो गया तो विदेशी मुद्रा के रूप में लगभग 3 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ होगा और लगभग 3 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत होगी । इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि इस संयंत्र में यूरिया का उत्पादन बहुत लाभप्रद और उपयोगी रहेगा । अब पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने विशेषज्ञों का एक दल इस परियोजना के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए यूरोपीय देशों को भेजने का निश्चय किया है और वह दल इस समय वहाँ पर है और उसके 25 दिसम्बर को वापस आने की सम्भावना है ।

Dr. Sushila Nayar : In which year the proposal was made and how much time is likely to be taken further in having a final decision ?

Shri P. C. Sethi : The proposal was made in 1964 and so far as the proposal to set up a fetilizer plant is concerned it was received from Orissa Government in the month of October this year. The final decision would be taken after the return of team of experts from Europe.

Shri Rabi Ray : An half-an-hour discussion was held on it during the last Session. At that time also the hon. Minister has replied that final decision would be taken after the receipt of feasibility report and today also he stated so. He has also stated that a report is also to be received on it from I. CAR. He has stated that report is likely to be received by 25th December in the final form. Whether the hon. Minister would give an assurance that it would be included in the Fourth Plan under the Central Sector undertakings ?

Shri P. C. Sethi : ICAR has been asked to make studies whether coke can be found out of this coal. The team of experts which has gone to Europe consists of the experts from the Ministry of Petroleum and Chemicals and they will only study the question of the establishment of fertilizer factory. Whether it could be included in the Fourth Plan or not would depend on the report we receive because the futilizer plant would cost about Rs. 62 crores. A final decision would be taken after keeping all these things in view.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या यह कम्पलेक्स दो स्टेजों में विभाजित किया गया है, एक कच्चे लोहे के उत्पादन और दूसरी उर्वरकों के उत्पादन की ? मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकार ने अब यह कहा है कि पहला प्रक्रम न रखा जाये और केवल दूसरे कार्य को नही लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने जो 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है क्या वह योजना आयोग के परामर्श, मंत्रिमंडलीय समिति, सचिव समिति, अथवा मंत्रालयों के परामर्श से की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या वह इस बात के आधार पर की गयी है कि परियोजना के दूसरे चरण को अर्थात् उर्वरक संयंत्र को पूरा करने के लिए केन्द्र से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। यदि ऐसी बात नहीं है तो क्या तालचेर में उपलब्ध कोयले को और अच्छे उपयोग के लिए भारत सरकार की और कोई परियोजना चौथी योजना में है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सेन्ट्रल इन्जीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो ने परियोजना के बारे में सिफारिश करते हुए कहा था कि इसे दो चरणों में पूरा किया जाना चाहिए। पहले चरण पर 10.8 करोड़ रुपया खर्च होगा और वह कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए होगा और दूसरा चरण उर्वरक उत्पादन के लिए होगा। इस पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति में तथा अर्थ-सचिवों की समिति में भी विचार किया गया था। उसमें, योजना आयोग के मत के अनुसार, यह निर्णय किया गया था कि दोनों चरणों का कार्य साथ आरम्भ किया जाये। इस सम्बन्ध में कुछ मतभेद था। अन्तिम स्थिति यह है कि उड़ीसा सरकार ने यह कहा है कि यदि कच्चे लोहे सम्बन्धी संयंत्र को तैयार करने में कोई कठिनाई है तो हमें केवल उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के कार्य को ही आरम्भ कर देना चाहिए। इस पर विचार किया जा रहा है और इसीलिए पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने एक दल यूरोप को भेजा है। राज्य सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था किये जाने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

Damage to Railway Property Due to Floods

*632. †**Shri Hardayal Devgun** : **Shri Bharat Singh Chauhan** :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent of damage caused to railway property due to floods in the country from July, 1968 to the 31st October, 1968 ;

(b) whethe it is a fact that considerable damage has been caused to railway property at various places due to the negligence of Railway officers and employees ; and

(c) if so, the steps taken to check such neglignce in future ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) :

(क) लगभग 6.15 करोड़ रुपये ।

(ख) जी, नहीं, ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Shri Hardayal Devgun : We have with us record of past hundred years regarding the rains in the various parts of the country. We also know the places where it rains and where floods are caused. People residing in areas where it rains heavily have constructed some special types of houses and roofs. I would like to know the extent of damage caused in the regions which were never visited by floods and rains previously, as also that in those regions where floods and rains are a regular feature, out of the total loss of Rs. 6.15 crores that has been caused due to floods in the country and also the names of the regions in the country ?

श्री परिमल घोष : रेलवे को खास तौर पर उत्तरी सीमान्त रेलवे के कुछ सेक्शनों को बाढ़ से प्रति वर्ष काफी नुकसान होता है और इस वर्ष की बाढ तो अभूतपूर्व थी । ऐसी बाढ़ पिछले 40 वर्षों में नहीं आई । वास्तव में यह बताना तो मुश्किल है कि इस वर्ष कौन-कौन से क्षेत्रों में बाढ़ आई और कौन-कौन से क्षेत्रों में अभूतपूर्व बाढ़ आई । विशेषकर उत्तरी सीमान्त रेलवे में, पश्चिम बंगाल सेक्शन में गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा के कुछ भागों में इस वर्ष अभूतपूर्व बाढ़ आई ।

Shri Hardayal Devgun : I wanted to know the steps taken by Government to prevent losses caused to Railways by the floods in the areas where floods are a common feature.

It is apprehended that much damage has been caused to the Railways due to the negligence of the railway officials. I want to know whether Government propose to send a team comprising of the Members drawn from all parties in Parliament, to the areas where heavy damages have been caused so that they may find out whether damages are the result of the negligence or mismanagement of the Railway Board and Railway Department.

श्री परिमल घोष : रेलवे में हमारे यहां एक ब्रीच और बाढ़ नियत्रंण विभाग है जो यह जांच-पड़ताल करता है कि तटबन्धों और पुलों पर पहुँचने वाले रास्तों में जिन जलमार्गों की व्यवस्था की गई है क्या वे पर्याप्त हैं । जिन पुलों की हमने व्यवस्था की है वे सामान्य स्थिति में तो पर्याप्त लगते हैं । इस वर्ष अभूतपूर्व बाढ़ों के कारण कठिनाई हो गई थी जिसका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता । हम राज्य सरकार के इंजीनियरों से लगातार सम्पर्क करते रहे हैं। इस वर्ष उत्तरी बंगाल की बाढ़ों को देखते हुए, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने एक समिति बनाई है जिसके साथ रेलवे इंजीनियरों का भी सम्बन्ध है । वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं और हमें उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

Shri Hardyal Devgun : I wish to know whether some MPs. would also be there in that Committee.

Shri Chndrika Prasad : The Hon'ble Minister has admitted that heavy damage has been caused to the Railways in the N.E. Railway. The areas of Eastern U. P. falls under N.E. Railways. It is surrounded by Ganga and Ghagra rivers. Rs. 2 crores were spent due to the negligence of officers in Balia to save the railway line but even then it could not bo saved. I wish to know from the Hon'ble Minister whether Government propose to construct a barrage to save Bakulaht-Srinagar line on the banks of Ghagra river.

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : घाघरा नदी प्राय: अपना बहाव बदलती रहती है और पूर्वोत्तर रेलवे के उस क्षेत्र में एक पुल पूरी तरह बह गया है । इस समस्या से राज्य सरकार के अधिकारी भी सम्बन्धित हैं । बचाव के उपाय किये जा रहे हैं और जब उस नदी का बहाव स्थिर हो जायगा तब उस रेलवे लाइन के बारे में कोई और व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

डा० रानेन सेन : इस बात को प्राय: सभी स्वीकार करते हैं कि रेलवे के तटबन्धों के कारण कुछ क्षेत्रों में बरसात के पानी को बाहर निकाला नहीं जा सकता और मिदनापुर की बाढ़ों के बाद इस वर्ष मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिला दिया गया है । मैं स्वयं इस क्षेत्र में गया और मैंने देखा कि वह रास्ता बहुत तंग है और वहां से असामान्य स्थिति में बाढ़ का पानी नहीं निकल सकता। क्या रेलवे विभाग इन तटबन्धों की उन त्रुटियों को दूर करने के लिये कार्यवाही करेगा जिनके कारण रेलवे सम्पत्ति को अपूर्व क्षति हो रही है ?

श्री परिमल घोष : तटबन्ध बनाते समय हम जल-मार्गों की पर्याप्त व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार करते हैं । कुछ क्षेत्रों में खास तौर पर जब बाढ़ का या वर्षा का पानी बहुत ज्यादा होता है तब हो सकता है कि ये जलमार्ग पर्याप्त न हों। हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं और जहां-जहां आवश्यक है, हम जलमार्गों को चौड़ा कर रहे हैं।

Security for Travelling By Trains at Night

*633.† **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Shiv Kumar Shastri** :

Will the **Minister of Railways** bc pleascd to state :

(a) the special arrangements proposed to be made for the security of the persons travelling by trains during night;

(b) whether it is a fact that particularly the passengers travelling during night on the branch lines and by passenger trains have to face difficulties; and

(c) if so, the names of the States where the number of such passengers is particularly increasing and where railway journey during night is increasingly becoming unsafe ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) :

(क) और (ख) ऐसे उदाहरण हैं जहां रात की गाड़ियों में, खासतौर पर कुछ क्षेत्रों में शाखा लाइन खंडों पर, यात्रा करने वाले यात्रियों ने ऐसी कठिनाइयों की शिकायत की है। रात की गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस का पहरा और जहां-कहीं आवश्यक हो, सशस्त्र पुलिस के साथ-साथ रेल सुरक्षा दल की व्यवस्था, जंकशनों और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पुलिस द्वारा अपराधियों

पर विशेष नजर रखना, खुफिया पुलिस कर्मचारियों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखना, सवारी डिब्बों में कुंडी और सिटकिनी की फिटिंग की जांच करना जैसे सुरक्षा के उपायों की ओर सम्बन्धित अधिकारी नियमित रूप से ध्यान देते हैं ।

रेल यात्राएं अधिकतर अन्तर्राज्यीय होती हैं, अतः इस संबंध में सही सूचना देना कुछ कठिन है । सामान्यतः ऐसे अपराध उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व और मध्य रेलों में अधिकाधिक देखने में आ रहे हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri : Whether it is a fact that in the passenger trains, particularly in the trains running during night, neither any conductor is posted nor any arrangements are made by the R. P. F. in those trains and the crimes mostly take place in such trains and on branch lines and if so, the nature of steps taken by Government to check the recurence of such incidents ?

श्री परिमल घोष : यह ठीक है कि ऐसे अपराध अधिकांशतः कुछ छोटी लाइनों में और पैसेन्जर गाड़ियों में ही होते हैं । प्रत्येक पैसेन्जर गाड़ी के साथ सुरक्षा पुलिस की व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन है । सदस्य महोदय को ज्ञात है कि शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व राज्य का है और इन सब बातों को आगे और इस सम्बन्ध में होने वाली समस्त कठिनाइयों को हम राज्य प्राधिकारियों को बता रहे हैं । जहां तक सम्भव हो सकता हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जिन सेक्शनों में इस प्रकार की घटनाएँ होने की आशंका रहती है और जिन स्थानों पर ऐसी घटनाएं अधिकांश देखी जाती हैं वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाये ।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, I hope you will also agree to it that ~~it is not so that till a passenger travels in a passenger trains the~~ law and order is a State subject. Till he is in the railway compound or is in the train his security is the responsibility of Railways.

Secondly, I want to know as to whether after the under Shri Din Dayal Upadhyay on Moghalsarai station, the Ministry of Railways has taken a decision to make arrangements for the security of passengers in lst class or other compartments stationed in railway siding and if so, whether any steps have been taken in this regard ?

श्री परिमल घोष : यह सच है कि प्रत्येक दिन लगभग 60 लाख यात्री यात्रा करते हैं । मैं पहले ही बता चुका हूं कि मूलतः, यद्यपि इससे हमारा बहुत सम्बन्ध है, शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना पूर्णतः राज्य का उत्तरदायित्व है (अंतर्बाधा)

Shri Rabi Ray : Is it a State subject even when a passanger is in the train ?

श्री वासुदेवन नायर : "मूलत" का क्या अर्थ है ?

श्री परिमल घोष : चाहे वे गाड़ी में हों अथवा यार्ड में, गाड़ियों में भी तथा रेलवे परिसर और स्टेशनों के अन्दर भी यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व राज्य का ही है (अंतर्बाधा)

श्री हरदयाल देवगुण : इसका यह अर्थ है कि आप उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं हैं ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): जहाँ तक शान्ति और व्यवस्था और अपराधों का सम्बंध है राज्य सरकारों के पास अपनी व्यवस्था है जिसे गवर्नमेन्ट रेलवे पुलिस कहते हैं । गवर्नमेन्ट रेलवे पुलिस दो भागों में विभाजित है—1. आर्डर ब्रान्च और 2. क्राइम ब्रांच । शान्ति और व्यवस्था शाखा (आर्डर ब्रान्च) से सम्बन्धित व्यय को हम पूरा करते हैं । इस पर जो व्यय राज्य सरकारें करती हैं उसकी हम उनको प्रतिपूर्ति करते हैं और कुछ हद तक क्राइम ब्रांच के व्यय

की भी। ऐसी स्थिति में रेलवे की सुरक्षा, यात्रियों और कुछ हद तक माल की भी सुरक्षा, का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। इसलिए, हम हमेशा राज्य सरकारों से कहते हैं कि वे यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करें क्योंकि हमारा अपना जो रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स है वह एक पुलिस फोर्स के समान पूर्ण अधिकार से काम नहीं कर सकता क्योंकि कानूनीं रूप से उसे वे सब शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं जिनका कि उपयोग पुलिस फोर्स कर सकता है। इसलिए हमें राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। रेलवे के सम्बन्ध में आवश्यक पुलिस की व्यवस्था करने से सम्बन्धित व्यय की हम प्रतिपूर्ति कर देते हैं।

Shri Shiv Kumar Shastri : There are many first class old coaches in which there is no corridor and it is risky for one's life to travel in them. ~~Whether~~ Governmet propose to do away with such coaches and to provide new coaches with a corridor and an attendant ? Many such incidents are taking place in the shuttle train running between Aligarh and Delhi in which a large number of milkmen travel daily. ~~Whether~~ any security arraremengs are proposed to to be made in it ?

श्री परिमल घोष : हम एक क्रमबद्ध कार्य-क्रम के अनुसार बरामदे वाले डिब्बों का निर्माण कर रहे हैं और ज्यों-ज्यों नये डिब्बे तैयार होते जाते हैं हम उन्हें रेलवे के प्रयोग में लाते-जाते हैं। इस कार्य-क्रम को पूरा करने में कुछ समय लगेगा।

श्रीमती इला पाल चौधरी : रेलवे मंत्रालय का ध्यान बारम्बार इस बात की ओर दिलाया गया है कि बरामदे वाले डिब्बों की खिड़कियों और दरवाजों में छड़ें लगा दी जायें तो इससे यात्रियों की अधिक सुरक्षा हो जायेगी। सलाहकार समिति की एक बैठक में यह वचन दिया गया था कि यह कार्य कर दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहती हूँ कि कितने ऐसे डिब्बों में छड़ें लगा दी गयी हैं ?

श्री परिमल घोष : अधिकांश डिब्बों में खिड़कियों में छड़ें लगी हुई हैं। यदि कुछ ऐसे डिब्बे हैं जिनमें ये नहीं हैं तो निश्चित रूप से इस मामले में कार्यवाही की जायेगी।

Shri Onkar Lal Berwa : Attendant's coach was attached ~~with~~ the old type lst class coach and the attendent could sit there but there is no such provision for attendants in the modern lst class coaches, whether it is a De-lux train or the other train. The result is that while the officer sits in the lst class coach his attendant has to sit in the fourth or fifth coach. No crimes were noticed in the old system. What arrangements have been made in this regand ?

श्री परिमल घोष : यह सच है कि नौकरों के लिए पहले उसी कम्पार्टमेन्ट में सीट की व्यवस्था होती थी। पर लोगों के लिए जब अधिक सीटों की व्यवस्था करने की मांग बढ़ती गई तो हमने यह पाया कि नौकरों के लिये ही इस प्रकार की व्यवस्था करना हमारे लिए कठिन है। इसी कारण उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है।

Shrimati Lakshmi Kantamma : Whether it is a fact that there are some gangs active at certain places in the Northern railway and they loot the passengers and if so, what action is being taken by Government with the assistance of State Government to unearth them ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न !

विभिन्न मंत्रालयों से संबन्ध विदेशी सलाहकार तथा विशेषज्ञ

*634.† श्री ना० स्व० शर्मा : श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री राम सिंह अयरवाल : श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6001 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1955-67 तक भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के साथ संबद्ध (एक) सलाहकारों और (दो) विशेषज्ञों की संख्या कितनी-कितनी थी ; और वे किन-किन देशों के थे ;

(ख) उन पर कितनी राशि व्यय हुई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) और (ख) कुछ मंत्रालयों से सूचना प्राप्त हो गई है किन्तु अन्य कई मंत्रालयों से सूचना अभी प्राप्त होनी है। जैसे ही सभी मंत्रालय अपने उत्तर भेज देंगे, उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री ना० स्व० शर्मा : जब इस समय सूचना उपलब्ध ही नहीं है तो मैं क्या पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हम अगले प्रश्न पर आ सकते हैं ।

केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं

*637 श्री श्रीचन्द गोयल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में अब तक राज्यवार कुल कितना धन लगाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अब तक लगायी गई कुल 2500 करोड़ रुपये की राशि में से हरियाणा में केवल 8·5 करोड़ रुपये लगाये गये हैं जबकि मध्य प्रदेश में 459 करोड़ रुपये और उड़ीसा में 418 करोड़ रुपये लगाये गये हैं ; और

(ग) इस भारी विषमता को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा 13 नवम्बर, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में सूचना सभा-पलट पर रख दी गई थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् के अनुरोध पर योजना आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास कम हुआ है उनमें उद्योगों को फैलाने के लिये आवश्यक प्रोत्साहनों का अध्ययन करने हेतु दो कार्यकारी दलों की स्थापना की गई है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच भारी असमानता को देखते हुए और विशेषकर पंजाब द्वारा लगातार की जा रही इस मांग को देखते हुए कि पंजाब में एक ट्रैक्टर निर्माण कारखाना अथवा अणु संयंत्र अथवा एक आयुध कारखाना स्थापित किया जाये, क्या

मैं जान सकता हूँ कि सरकार उन राज्यों की मांगों को पूरा करने के बारे में क्या कर रही है जहाँ कि 2500 करोड़ रुपये की इस बड़ी धनराशि में से सरकार ने कुछ ही करोड़ राशि लगाई है ?

औद्योगिक विकास और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : एक दिन पहले भी मैंने सदस्यों को वह नीति बतायी थी जिसका सरकार इन मामलों में अनुसरण करना चाहती है और मैंने यह भी बताया था कि गत तीन योजनायों में जो असमानता पैदा हो गयी है उसे दूर करना हमारा उद्देश्य है। इस पर केवल मेरे मंत्रालय ने ही नहीं अपितु योजना आयोग ने भी गंभीरतापूर्वक विचार किया है और उन्होंने दो दल स्थापित किये हैं जो यह पता लगायेंगे कि इस प्रकार की प्रादेशिक असमानताओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। जैसे ही हमें योजना आयोग से रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तैसे ही मेरे मंत्रालय में इस सम्बन्ध में जो कार्य हुआ होगा उसको भी ध्यान में रखते हुए हम सरकार के विचारार्थ और निर्णय लेने के लिए कागजात पेश कर दगे। प्रादेशिक असमानता के इस प्रश्न को सरकार महत्व दे रही है और जहाँ तक संभव होगा इस संबन्ध में कार्य किया जायेगा, देश के आर्थिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। जब तक पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक मेरे लिए यह बताना संभव नहीं है कि कौन-सा विशेष कार्य किस राज्य विशेष के लिए रखा जायेगा।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि पंजाब जैसे राज्य की क्यों उपेक्षा की गयी है, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ तकनीकी जानकारी, श्रमिक और अन्य साधन उपलब्ध हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि गत समय में इस प्रकार की भारी असमानता क्यों रखी गयी जब कि पंजाब राज्य में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं पर केन्द्रीय धन लगाने के लिए सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियाँ थीं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : किसी एक या दूसरे राज्य की उपेक्षा करने की बात कोई नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सरकारी उपक्रमों में वहाँ पैसा लगाया गया है जहाँ प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और हमने जो रुपया लगाया है उसका 50 प्रतिशत से अधिक भारी मशीन निर्माण कारखाने और इस्पात कारखानों के बनाने पर लगाया गया है। जहाँ तक पंजाब का संबन्ध है, हाँलांकि वहाँ उस प्रकार की परियोजनाओं की संख्या अन्य रान्यों में जो ऐसी परियोजनाए हैं उनसे काफी कम है, फिर भी पंजाब के लोग उन लोगों से तनिक भी कम समृद्ध नहीं है क्योंकि पंजाब में सहायक और छोटे पैमाने के जो उद्योग पनपे हैं उनकी वजह से और उनसे ही प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ सकती है और बेरोजगारी दूर हो सकती है।

श्री श्रीचन्द गोयल : यह समृद्धि आप लोगों के बाबजूद भी है, आपके कारण नहीं है।

श्री रा० बरुआ : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रों में भारी मात्रा में पूंजी लगाये जाने के बाबजूद भी प्रति व्यक्ति आय पूंजी विनियोजन के अनुरूप नहीं बढ़ी है। जिन राज्यों में पूंजी विनियोजन कम किया गया है उनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है और जिन राज्यों में पूंजी विनियोजन अधिक किया गया है वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही

है जैसे कि आसाम में। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सम्पूर्ण औधोगिक नीति कृषि, बिजली और सिंचाई से सम्बन्धित होगी और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय ऐसा एक सेल बनायेंगे जिससे कि उद्योगों का वितरण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके और इस प्रकार आर्थिक रूप से उन्नति सम्भव हो सके।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: सदस्य महोदय शायद यह बात जानते ही हैं कि हमारी अगली योजना में कृषि को अधिक प्राथमिकता दी जानी है जिसमें विद्युत् और सिंचाई का विकास तथा बाढ़ नियंत्रण भी शामिल होगा। और जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ क्षेत्रीय असमानता के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं कि उसे हम किस हद तक दूर कर सकते हैं। योजना आयोग के मार्ग-दर्शन और उनके द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर हम यह कमी करने का प्रयत्न करेंगे

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has stated that Planning Commission will consider ways and means to remove disparity between a State and other State. This imbalance is not only between States but is also between different areas of a State and I want to know whether efforts will be made to remove this imbalance also.

Shri F. A. Ahmed : The hon. Member has raised an important question. It is for the States to consider ways and means to remove imbalance between different areas in a State. In this connection a Committee of Chief Ministers has been set up under the Chairmanship of Deputy Chairman of Planning Commission and they are considering the question of removing imbalance between different Districts of a region.

श्री चं० चु० देसाई : प्रादेशिक असन्तुलनों को दूर करने के लिये ही सरकारी क्षेत्र में परियोजनायें शुरू करने के सिद्धान्त से मैं सहमत नहीं हूँ। गुजरात में एक पेट्रो-रासायनिक परियोजना के मुश्किल से ही कोई सरकारी क्षेत्र का परिमाजना है और भावनगर में जो हैवी मशीन टूल्स की परियोजना का विचार किया गया उसे मंजूरी नहीं दी गई है। उस विशेष परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: जैसा मैंने कहा, आर्थिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रख कर प्रादेशिक असन्तुलन के प्रश्न पर विचार करना होगा और किसी खास क्षेत्र में कोई परियोजना शुरू करने से पहले हमें देश के हित को प्राथमिकता देनी होगी।

जहां तक हैवी इंजीनियरिंग का सवाल है, कोई परियोजना चाहे सरकारी क्षेत्र में शुरू की जाये अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, हमारे सामने सवाल इस बात का है कि क्या हम उस परियोजना में उत्पादित वस्तुओं की खपत देश में ही कर सकते हैं और जो बाकी बचता है क्या उसे निर्यात किया जा सकता है। इन मामलों पर निर्णय लेने से पहले हमें इन सभी बातों पर विचार करना होगा।

श्री क० नारायण राव : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि कुछ क्षेत्रों में औधोगिक विकास असन्तुलित है। इसे देखते हुए क्या सरकार उन राज्यों के ऋण माफ कर देगी जहां औद्योगिक विकास इतना नहीं है जितना सरकार आवश्यक समझती है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं उठता ?

श्री वासुदेवन नायर : यद्यपि सरकार आगामी योजना में प्रादेशिक असन्तुलन को दूर करने का दावा कर रही है तथापि हम उसके वचन पर विश्वास नहीं करते और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये काफी धन खर्च करने और भूमि अधिग्रहीत करने के बाद केरल के सूक्ष्म पुर्जों के कारखाने को बन्द करने का फैसला कर लिया है।

श्री फख रुद्दीन अली अहमद : पाल्घाट पुर्जों के कारखाने के प्रश्न पर समय-समय पर चर्चा होती रही है और मैंने पहले ही बता दिया है कि उस कारखाने को बन्द करने का कोइ प्रश्न नहीं है किन्तु इसमें कार्य उस समय तक स्थगित कर दिया गया है जब तक कि कोटा कारखाने के उत्पादन की देश में ही खपत नहीं की जाती और हम इस कारखाने के अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात कर सकते हैं। मैं रूसी शिष्टमंडल के साथ इस विषय में बातचीत कर रहा हूँ । यदि मेरी यह कठिनाई दूर हो गई तो मैं सबसे पहले इस कार्य को पूरा करना चाहूंगा।

मोटर गाड़ी पुर्जे उद्योग

*638. डा० रानेन सेन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटर गाड़ी पुर्जे उद्योग को महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची में शामिल करने का निर्णय किया है ताकि धन तथा संसाधनों की उपलब्धि के मामले में उसे वरीयता दी जा सके ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में उद्योग को क्या विशेष सुविधायें दिये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां । यह निर्णय उद्योग के शीघ्र विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

(ग) मुख्य उद्योगों को विदेशी मुद्रा देने और पूंजी आदि के निर्गम के लिए अनुमति देने जैसे अन्य सभी मामलों में विशेष प्राथमिकता दी जायेगी ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि मोटर गाड़ी उद्योग कुछ ही लोगों के हाथों में है और उनका उस पर पूर्णाधिकार है ? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ये सहायक उद्योग बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे हैं और यदि हां, तो वे व्यापारिक संस्थान कौन-कौन से हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मोटर गाड़ी सहायक उद्योग बहुत से छोटे-छोटे व्यापारिक संस्थानों द्वारा चलाये जा रहें हैं और कुछ बड़े संस्थानों द्वारा भी । इसलिए इस अल्प समय में बड़े और छोटे संस्थानों के बीच भेद करना मेरे लिए कठिन है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें उन व्यापारिक संस्थानों की सूची दे सकता हूँ जो कि इन चीजों का निर्माण कर रहे हैं।

डा० रानेन सेन : क्या मैं संक्षेप में जान सकता हूँ कि इन सहायक उद्योगों का अधिकांश

हिस्सा बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थानों द्वारा नियंत्रित है अथवा चलाया जा रहा है ? मैं यह जान सकता हूं कि छोटे-छोटे उद्योग भी हैं परन्तु मैं इन दोनों का प्रतिशत जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि इस समय वह यह प्रतिशत नहीं बता सकते ।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने कहा है कि उद्योग की सहायता करने के लिए उन्हें कुछ रियायतें दी जा रही हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विशेष रियायतें दी जा रही हैं और कितने समय से वे दी जा रही हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि विदेशी मुद्रा और कच्चे माल की सप्लाई जैसी कुछ विशेष रियायतें कुछ प्रकार के उद्योगों को, जैसे कि चाय उद्योग आदि को, दी जा रही हैं, फिर प्राथमिकता वाले उद्योग आते हैं और उसके बाद अन्य प्रकार के उद्योग आते हैं । यह सूची एक वर्ष के लिए तैयार की जाती है और मार्च, 1969 में इसकी समीक्षा की जायेगी ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इन उद्योगों को जो रियायतें दी जाती हैं वे आयात लाइसेंस के सम्बन्ध में हैं । मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या यह जानने का कोई प्रयत्न किया गया है कि कितने सहायक कारखाने आयात में उदारता बरतने के कारण बन्द हो गये हैं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : बहुत से सहायक उद्योगों और बड़े व्यापारिक कारखानों ने सरकार के समक्ष जो कठिनाइयां रखी हैं उनको ध्यान में रखते हुये सरकार को यह कदम उठाना पड़ा जिससे कि सहायक उद्योगों में और विभिन्न प्रदेशों में सहायक वस्तुओं का उत्पादन हो सके । इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । क्या यह जानने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है कि आयात में उदारता बरतने की नीति के कारण सहायक उद्योगों को कितनी हानि हुई है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : आयात सम्बन्धी उदार नीति तैयार माल के सम्बन्ध में नहीं है जिसका आयात किया जा रहा है । केवल कुछ पुर्जों के आयात की अनुमति दी गई है जिनसे कि यहां सहायक वस्तुओं का उत्पादन होता है और आयात सम्बन्धी उदार नीति को उस संदर्भ में समझना चाहिये ।

श्री लोबो प्रभु : हमारी कारों अथवा मोटरगाड़ियों की औसत आयु पर जो कि संसार में सबसे अधिक है और उनके निर्माण की क्वालिटी पर विचार करते हुये फालतू पुर्जों का एक विशेष महत्व है । फिर भी यह बात तो रहती ही है कि इस देश में निर्मित फालतू पुर्जों का मूल्य आयात किये गये पुर्जों का लगभग चार गुना है । जहां तक उनके जीवन का सम्बन्ध है वह केवल चौथाई है । इन फालतू पुर्जों की किस्म और उनके मूल्यों की जांच के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं अपने माननीय सदस्य का इस बात से सहमत हूं कि केवल कारों ही की नहीं बल्कि उनके फालतू पुर्जों की भी किस्म में सुधार होना चाहिये और उसमें इतना सुधार होना चाहिये कि कार बिना रुके ठीक से चल सके । जैसा कि सदस्य महोदय को ज्ञात है इस कार्य के लिये सरकार ने श्री पांडे की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की है । इस समिति ने बहुत सी सिफारिशें की हैं । अब उत्पादन स्तर पर भी और अन्य स्तरों पर भी उत्पादों के निरीक्षण के लिए व्यवस्था कर दी गयी है । सरकार विभिन्न मोटर गाड़ी संस्थानों को हिदायतें जारी कर चुकी है और आशा है कि सरकार द्वारा दी गई हिदायतों पर वे लोग अमल करेंगे ।

Shri Om Prakash Tyagi : At present there is great demand of cars in the country and they are being sold in black market and also there are many persons who wish to manufacture them. Government had invited tenders for manufacture of small cars and big cars and many companies have given tenders for manufacture of cars. May I know the reasons for which licences are not being given to the parties who are perpared to manufacture them, so that larger number of cars could be produced here at cheaper cost. What are the reasons for which monopoly in manufacture of cars is not being abolished ?

Shri Fakhruddin Ali Ahmad : This question has been raised many a time in the House. Firstly we are to see the causes for the higher cost of production of cars. The prices of cars are higher because they are being manufactured in small number by three factories only. Unless we produce them in large number the cost would not come down. With this point in view we are considering the proposals received by us and we are discussing it with the Planning Commission. We are examining how to reduce the ex-factory price of cars so that we could produce large number of cars in the public undertakings. We are trying for it.

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Minister has replied that they are examining how to reduce the cost of car. I have asked about the increase in the production. For incerasing the production many concerns are willing to manufacture them. Why you have given the monopoly in few hands and why you do not permit others to manufacture them ?

Shri Fakhruddin Ali Ahmad : I have replied both the questions. We are considering as to how to increase the production of cars and how to produce larger number of cars at cheaper cost in the public undertakings. At present only these concerns are manufacturing cars and many others are willing to manufacture them. If a licence for 5 or 6 thousand is issued to them also the result would be the same as is with others at present.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस समय देश में केवल तीन ही मेकों की कारें उपलब्ध हैं या निर्मित की जाती है । जहां तक व्यापारिक मोटरगाड़ियों का सम्बन्ध है उनके मेकों की संख्या समिति है और मैं समझता हूं कि वह भी चार या पांच से अधिक नहीं होगी । क्योंकि इन मोटर गाड़ियों के पुर्जों का मानकीकरण किया जाता है और वह मानकीकृत किस्म के होने भी चाहिये, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार जो नया तरीका अपनाने की सोच रही है वह यहां पर पूर्णरूपेण स्वदेशी उद्योग की स्थापना करने अथवा पूर्णरूपेण स्वदेशी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए है जो कि इन मानक स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप होगा अथवा क्या सरकार विदेशी पुर्जों का उदारतापूर्वक आयात करना चाहती है जिससे कि चोर बाजारी बढ़ेगी और देश में बुराई बढ़ेगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अधिकतम सम्भव सीमा तक केवल स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन देने के विचार से यह नीति अपनाई गयी है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस नीति के अपनाने ने विदेशों में निर्मित पुर्जों के आयात में उदारता बरतने को प्रोत्साहन मिलेगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जी नहीं।

Shri Prakash Vir Shastri : At present only three makes of cars are being produced in the country. Previously their quality, as that of Ambassador or Fiat, was better but now their standard is going down day by day. Now the new cars do not run properly after a few days. May I know whether Government are going to take any decision to improve their quality ? Secondly, whether it is a fact that the manufacturecs of Mercedes truchs have made a proposal for the manufacture of Mercedes cars and if so, the reason for which they are not being permitted for it.

Shri Fakhruddin Ali Ahmad : I have already said that the standand of cars have gone down and many complaints were received in this respect and keeping this in veiw we had appointed a committee and have taken certain steps. We have imposed it that no car should come out of factory unless it is passed by the Inspector. Also we have introduced a guarantee system that in case any manufacturing defect comes out within a year the manufacturing Company will have to take it back. We are considering such steps. But there is another big question also before us as to how to make available cheaper cars in the country. We have received many proposals and we are discussing with the Planning Commission on three or four proposals.

The question of Mercedes car will be considered after the question of small cars is solved. First let the position of small cars be cleared by the Planning Commission, then we would consider the proposals for big cars.

श्री तिरुमल राव : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि फियट कार के नवीनतम माडल की कार लेने के तीन-चार सप्ताह के अन्दर ही गैरेज में वापस भेजना पड़ा है ? क्या उपभोक्ताओं को इन कारों के दिये जाने से पहले उनकी किस्म की जांच करने के बारे में सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सेवाओं का उपयोग किया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : जहां तक किस्म और मूल्य का सम्बन्ध है, जैसा कि मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है, उपयोगकर्त्ता को ही इससे सबसे अधिक हानि होती है। मंत्री लोग तो ऐसी कारों को सरकारी खर्च पर ठीक करा लेते हैं या फिर आयात की हुई कारें ले लेते हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत नहीं हैं कि छोटी संख्या में कारों के निर्माण के कारण ही उनकी किस्म में सुधार और मूल्य में कमी नहीं हो पा रही है ? दूसरी बात यह है कि यह उद्योग सबसे छोटी पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण रियायत यह चाहता है कि आयात के अथवा पूंजी के अथवा सरकारी उपक्रमों में कच्चे माल की सप्लाई के बारे में, जैसे कि रूरकेला कारखाने सी० आर० सी० ए० चादरों की सप्लाई—जो कि सप्लाई करने

की क्षमता तो रखता है पर कभी समय पर सप्लाई नहीं करता--सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय किये जाया करें, क्या मंत्री महोदय इस बात को महसूस करते हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने जांच की थी और मुझे यह जानकारी है कि जब कार निर्माताओं के सामने यह बात रखी गयी तो उन्होंने कहा कि यदि उनकी क्षमता बढ़ा दी जाये तो वे एक्स-फैक्ट्री मूल्य में केवल 500 से 1000 रुपये तक की कमी ला सकते हैं । मैं समझता हूँ कि सस्ती कार के लिए यह पर्याप्त नहीं है ।

जहां तक दूसरी बात का सवाल है, हम यह देख रहे हैं कि प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब को किस प्रकार कम अथवा समाप्त किया जा सकता है जिससे कि जब भी कभी सरकारी उपक्रमों को क्रयादेश दिये जायें वे समय पर माल की सप्लाई करने की बात पर अमल कर सकें ।

मध्य रेलवे ज़ोन

*641. **श्री० स० चं० सामन्त :** तथा रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजनों, रेल यात्री डिब्बों तथा माल डिब्बों की सप्लाई और महत्वपूर्ण मार्गों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाने सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में मध्य रेलवे की अभी भी उपेक्षा की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं कि जब उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी रेलवे ने अपनी मुख्य लाइनों तथा अन्य लाइनों पर मेल, एक्सप्रेस तथा यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ा ली है, मध्य रेलवे की, जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है और जो कई राज्यों की राजधानियों से गुजरती हैं, दिल्ली और बम्बई के बीच केवल दो गाड़ियां चलती हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष):

(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) बम्बई बी० टी० और दिल्ली के बीच एक और सीधी गाड़ी चलाने में मुख्य बाधा यह है कि उस मार्ग के कुछ खण्डों पर इस समय अपेक्षित लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि दक्षिणी-मध्य रेलवे शुरू करने के बाद मध्य रेलवे की कार्य-कुशलता बढ़ गई है या कम हो गई है ?

श्री परिमल घोष : दक्षिणी मध्य रेलवे शुरू करने के बाद इसकी कार्य-कुशलता कुछ सीमा तक बढ़ गई है ।

श्री स० चं सामन्त : मुख्यालय को बम्बई से किसी और स्थान पर ले जाने के बारे में काफी शोर था । क्या दक्षिणी-मध्य रेलवे के शुरू करने के बाद भी मुख्यालय को किसी केन्द्रीय स्थान पर ले जाने की कोई जरूरत है ?

श्री परिमल घोष : दोनों रेलवे के मुख्यालय किसी खास उद्देश्य से बम्बई में रखे गये हैं । मुख्यालय को बम्बई से किसी और स्थान पर ले जाने का कोई विचार नहीं है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : देश में यात्री गाड़ियों की संख्या चार बार बढ़ाई गई है किन्तु मध्य रेलवे में गाड़ियों की संख्या वही है। मध्य रेलवे में बम्बई-दिल्ली और बम्बई-इलाहाबाद मुख्य लाइनें हैं। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि मध्य रेलवे के बारे में यह भेद-भाव क्यों है ?

श्री परिमल घोष : जैसा मैंने कहा है, बम्बई और दिल्ली के बीच नई गाड़ियाँ चलाने में मुख्य बाधा यह है कि इस मार्ग में लाइन क्षमता अपर्याप्त है और बम्बई और नई दिल्ली अन्तिम स्टेशनों पर लाइन क्षमता सीमित है। इस स्थिति को सुधारने के लिये हमने कई परि-योजनाएं शुरू कर दी हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम और परियोजनायें शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : मध्य रेलवे दिल्ली और बम्बई को मिलाती है। क्या माननीय मंत्री दिल्ली और बम्बई के बीच राजधानी एक्सप्रेस भी शुरू करने पर विचार कर रहे हैं जैसी कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच है और इससे लगभग छः घंटे के समय की बचत हो जायेगी ?

श्री परिमल घोष : इस नई गाड़ी को चलाने के बाद और इससे जो अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर हम ट्रंक मार्गों पर उस तरह की गाड़ियां चलाने का विचार कर रहे हैं जिससे दिल्ली को विभिन्न राज्यों के साथ मिलाया जा सके ।

Shrimati Jayaben Shah : These zones had been created long ago. But now the map of the entire country is changing thanks to the development. In view of this, may I know whether Government propose to make any change in these zones so as to all movement of articles etc. from one place to another and the prerent demand of the entire country could be certified ?

श्री परिमल घोष : इसकी जरूरत अभी महसूस नहीं की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : कानपुर के लोग लगातार यह मांग करते हैं कि कानपुर से झांसी होते हुये बम्बई जाने वाली एक सीधी गाड़ी चलाई जानी चाहिये । क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है और यदि नहीं तो कब किया जायेगा ?

श्री परिमल घोष : यह सीधी गाड़ी चलाने के लिए मुख्य कठिनाई झांसी डिवीजन में ही है। हमने कुछ लाइनों को दोहरा करने का काम और कुछ सेक्शनों में लाइन बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है । इन कामों को पूरा करने के बाद इस बात पर भी विचार किया जायेगा ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

*643. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने की छठी धमन भट्टी के निर्माण के लिए रूस से इस्पात प्लेटों का आयात किया गया था और उनकी मार्किंग हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची में की जानी थी तथा जिसके लिए टिन प्लेटें भारी मशीन निर्माण कारखाने में बनाई गई थीं, परन्तु बाद में चिन्हित प्लेटों का आयात रूस से किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति टन कितना अतिरिक्त व्यय हुआ है और चिन्हित प्लेटों की कीमत के भुगतान के रूप में कुल कितना अतिरिक्त व्यय हुआ ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

इस बात के देखते हुये कि 1719 घन मीटर वाली ब्लास्ट भट्टी का खोल पहली बार देश में बनाया जा रहा था और खोल के लिए आवश्यक प्लेटों का आयात किया जाना था, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा यह निश्चय किया गया कि सोवियत रूस से केवल एक भट्ठी के खोल के लिए ही चिन्हित इस्पाती प्लेटों का आयात किया जायेगा। साथ ही, इन खोलों के उत्पादन में विशेष योग्यता व दक्षता प्राप्त करने के लिए हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ने भी चिन्हांकन के लिए टैम्पलेटें बनायीं। इस कदम के लिए जाने के फलस्वरूप हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट सोवियत रूस से आयातित गैर-चिन्हित इस्पाती प्लेटों से बोकारो कारखाने के लिए 2000 घन मीटर की क्षमता की कहीं बड़ी ब्लास्ट भट्ठी का खोल बनाने में समर्थ हुआ। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ने ब्लास्ट भट्ठी के खोल के लिए चिन्हित इस्पाती प्लेटों तथा कूपर स्टोवों तथा डस्ट कैचरों के लिये इस्पाती प्लेटों के सम्बन्ध में सोवियत फर्मों से ठेका किया था।

चूंकि चिन्हित व गैरचिन्हित दोनों प्रकार की इस्पाती प्लेटें एक ही ठेके में सम्मिलित की गई थीं और क्योंकि सोवियत रूस ने विभिन्न वर्गों के लिये अलग-अलग मूल्य नहीं बताये हैं, यह बताना सम्भव नहीं है कि अतिरिक्त व्यय की दर प्रति टन क्या होगी तथा चिन्हित प्लेटों के लिये भुगतान करके कुल कितना अतिरिक्त व्यय होगा।

श्री कार्तिक उरांव : स्पष्ट है कि यदि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को टेम्प्लेटें तैयार करनी थीं और रूस से आयात की गई प्लेटों की भारी मशीन निर्माण कारखाने में मार्किंग करनी थी तो फिर रूस से चिन्हित प्लेटें मंगाने की कोई योजना नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि डिजाइन, तकनोलोजी और टैम्प्लेटों के लिए भारी रकम खर्च करने के बाद और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से बिना किसी बात के अतिरिक्त भुगतान करवाने के बाद, रूस से चिन्हित प्लेटें किन परिस्थितियों में मंगाई गईं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : सर्वप्रथम, जहां तक भिलाई कारखाने की सप्लाई का सम्बन्ध है, उन्होंने 1719 घन मीटर भेजे थे जिनकी मार्किंग रूस में की गई थी और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के एच० एम० बी० सेक्शन ने इसका निर्माण शुरू कर दिया। बोकारो कारखाने के लिए लगभग 2000 घन मीटरों का चिन्हांकन किया गया है। जिन प्लेटों का आयात किया गया है वे हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में ही चिन्हित की गई थीं। अब हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ऐसे मामलों को स्वयं ही निबटाने की स्थिति में है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

अहमदाबाद में रेलवे सम्पत्ति को क्षति

अ० सू० प्र० सं० 11. श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उपद्रव करने वाली विद्यार्थियों की एक भीड़ ने अहमदाबाद तथा उसके निकटस्थ क्षेत्रों में रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हां । नवम्बर, 1968 के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद से लगभग 180 किलोमीटर दूर बोटाद रेलवे स्टेशन के पास एक घटना हुई, जब शिक्षण शुल्क बढ़ाये जाने के विरोध में उपद्रवी विद्यार्थियों की एक भीड़ ने रेल सम्पत्ति को क्षति पहुँचायी और संचार व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया ।

(ख) 28.11.1968 को कालेजों और हाई स्कूलों के विद्यार्थियों और कुछ बाहरी लोगों की एक भीड़ ने, जिसमें लगभग 4,000 व्यक्ति थे, बोटाद स्टेशन के बाहरी सिगनल पर 521 अप माल गाड़ी को रोक कर एक माल-डिब्बे को खोल लिया और सीमेंट, कास्टिक सोडा और चूने के पत्थर के चूरे की कुछ बोरियां निकाल लीं और उनको खाली करके उनमें आग लगा दी । उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार भी काट दिये जिसके फलस्वरूप बोटाद और भावनगर स्टेशनों के बीच संचार-व्यवस्था भंग हो गयी ।

रेलों को 4,000 रुपये की क्षति पहुँचाने की रिपोर्ट मिली है । इस दौरान, सोमनाथ मेल सहित पांच गाड़ियों के संचलन पर प्रभाव पड़ा ।

Shri Yahwant Singh Kushwah : May I know from the Hon'ble Railway Minister whether any precautionary measures had been taken to ensure that no damage is caused to the railway property and whether any arrangments have been made to find out the names of the anti-national elements behind such incidents and the extent of total damage caused to the railway property as a result of such riots ?

May I also know whether any arrests have been made in this connection, whether any arrangements have been made to prosecute certain persons and whether Government propose to take steps to compel the rioters to make good the loss caused to the railway property ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसी एक-दो घटनायें होती रहती हैं और इनके लिये रेलवे सामान्यतया जिम्मेदार नहीं है ।

कुछ मामलों में लोगों को कुछ शिकायत हो सकती हैं और उसके विरोध में वे प्रदर्शन करते हैं और रेलवे सम्पत्ति आदि को नुकसान पहुँचाते हैं । इनका साधारणतया हमें पता नहीं लगता ।

जब ऐसी घटनायें होती हैं तो निःसन्देह हम जरूरी एहतियात बरतते हैं और राज्य सरकारें भी तत्काल आवश्यक कार्यवाही करती हैं। किसी हद तक ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। हम नहीं जानते कि उस समय क्या होगा और चूंकि रेलवे बहुत बड़ा संगठन है और सारे देश में फैला हुआ है इसलिये ऐसी घटनाओं का पहले अन्दाजा लगाना जरा कठिन है। फिर भी हम ऐसे उपाय कर रहे हैं जिनसे रेलवे सम्पित्ति की क्षति को रोका जा सके और राज्य सरकारें भी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं।

Shri Yashwant Singh Kushwah : Sir, I had asked whether any arrests have been made in this connection, whether certain persons are going to be prosecuted and whether the rioters are being made to indemnify the damage done to the railway property but I have not received any reply in regard thereto.

In view of the fact that our experience shows that the railway property is invariably damaged by the rioters in such incidents, I would like to know whether Government plan to take special steps to protect railway property during such riots ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इसमें फिर हमें सम्बद्ध राज्य सरकारों की सक्रिय सहायता की आवश्यकता होगी। यह सच है कि ऐसी बहुत सी घटनायें हुई हैं। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता किन्तु फिर भी यदि अनुमति हो तो मैं इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही तथा ऐसी घटनाओं के बारे में एक विवरण सभा-पलट पर रखना चाहता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2641/68 (अंग्रेजी संस्करण)]

अध्यक्ष महोदय : हां।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड

*635. **श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धकों ने मैसर्स परमानेंट मैगनेट्स लिमिटेड के 100 रुपये प्रति अँश (प्रदत्त मूल्यों) वाले पांच हजार अंश 300 रुपये प्रति अंश की अत्यधिक दर से खरीदने के लिये 1964 में अभी अंशधारियों को एक साधारण सभा की असाधारण बैठक बुलाई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई आक्सीजन के अंशधारियों द्वारा पहले ही इस प्रस्ताव का घोर विरोध किये जाने के कारण साधारण सभा की यह बैठक रद्द करनी पड़ी और प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया ; और

(ग) क्या इस समवाय में कुप्रबन्ध तथा क्रियान्विति अच्छी न होने के कारण उसके मामलों की जांच करने के लिये समवाय विधि विभाग का कोई अधिकारी नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह तथ्य है कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने, 19 सितम्बर 1964 को पारित किये गये संकल्प द्वारा प्रस्तावित मीटिंग को अपखण्डन करने का संकल्प किया था ।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड के पास उपलब्ध वर्तमान सूचना से कुप्रबन्ध अथवा अशक्त निष्पादन का बोध नहीं होता, अतः कम्पनी के कार्यों के निरीक्षण के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लघु उद्योग

*636. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की अनावश्यक प्रतियोगिता से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फाखरुद्दीन अली अहमद) : मिलेजुले उत्पादन कार्यक्रम द्वारा बड़े पैमानों के उद्योगों में उत्पादन को सीमित कर कुटीर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना वांछित है । उदाहरणार्थ इस कार्यक्रम के द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में लघु उद्योग क्षेत्रों में स्टोरेज बैटरियों, साइकिलों तथा सिलाई की मशीनों के उत्पादन में वृद्धि हुई ।

लघु उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों की अनुचित स्पर्धा में संरक्षण प्रदान करने के लिये उठाये गए अन्य कदम निम्न प्रकार हैं :

1. सरकार द्वारा अपने स्टोर खरीदने के कार्यक्रम में 122 वस्तुओं का इस क्षेत्र के लिए आरक्षण ;
2. 70 वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग क्षेत्रों में आरक्षित करना ;
3. सरकारी खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट मामलों में लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों को मूल्य वरीयता देना ;
4. निःशुल्क तकनीनी प्रबन्धकीय परामर्श सेवायें प्रदान करना ;
5. सामान्य सेवा सुविधाएं ;
6. उप-नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक बस्तियों में कारखानों के निर्मित स्थानों की व्यवस्था ;
7. उदार ऋण सुविधाएं ; और
8. किराया-खरीद आधार पर मशीनों का सम्भरण ।

बेलाडिला लोह अयस्क परियोजना में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध

*639. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1747 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध के बारे में जांच पूरी हो गई है और मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी): (क) से (ग) यह शिकायतें कृतक नामों से हैं और इन में अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के आरोप हैं। तथापि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कुछ प्रारम्भिक पूछताछ की है। इनकी आगे जांच की जानी होगी और यदि परिस्थितियों ने ऐसा उचित सिद्ध किया तो उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

Trade with East European Countries

*640. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are doing away with the agents who supply goods to the East European Countries; and

(b) if so, the number of such agents and the reasons for doing away with them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Except where export of certain commodities is canalised through S.T.C. and M.M.T.C. or where manufacturers have become associate suppliers to these Corporations, exports both directly as well as through the agency of exporting houses to East European countries are permitted. There is no change contemplated in the existing procedure.

(b) Does not arise.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

*642. + **श्री एस० आर० दामानी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चेयरमैन, श्री के० टी० चांदी द्वारा 22 सितम्बर, 1968 को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की भट्ठियों को जानबूझ कर क्षति पहुँचाई गयी थी ;

(ख) क्या सरकार इस बात से सहमत है ;

(ग) यदि हां, तो क्या जांच का आदेश दिया गया है ; और

(घ) क्षति के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को हिन्दुस्तान स्टील लि० के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में मालूम है।

(ख) री-हीटिंग भट्ठियों को क्षति तोड़-फोड़ के कारण हुई, जो घटनास्थल पर उपस्थित कर्मचारियों ने जानबूझ कर की थी।

(ग) पुलिस ने 36 कर्मचारी गिरफ्तार किये हैं और तहकीकात की जा रही है।

(घ) इस घटना के परिणामस्वरूप प्रबन्धक वर्ग ने 67 कर्मचारी निलम्बित किये है जिनमें 36 गिरफ्तार किये गये कर्मचारी भी शामिल हैं और उचित कार्यवाही की जा रही है।

मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

*644. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीन टूल्स कारपोरेशन के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक तथा इसके निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं, उन्हें कब नियुक्त किया गया था और उनकी पदावधि तथा नियुक्ति की शर्तें क्या हैं;

(ख) अनियमितताओं, चोरी, स्टाक की कमी तथा आग के कारण कारपोरेशन की कितनी हानि हुई और क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या इस कारपोरेशन के कार्य का कमी कोई सामान्य मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसके दोषों का पता लगाने तथा इसकी कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवाये प्राप्त करने का है।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

		नियुक्ति की तिथि
(क) श्री एस० एम० पाटिल, अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर	अध्यक्ष	6-7-1968
श्री डी० के० सक्सेना सचिव, राजस्थान सरकार, उद्योग विभाग, जयपुर	निदेशक	6-7-1968
श्री ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) नई दिल्ली	निदेशक	14-10-1968

श्री जी० एन० मेहरा,	निदेशक	6-7-1968
उप-सचिव, भारत सरकार,		
औद्योगिक विकास तथा		
समवाय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली		

कोई भी प्रबन्ध निदेशक नियुक्ति नहीं किया गया है। अध्यक्ष तथा निदेशकों का कार्यालय उनकी नियुक्ति के पश्चात् होने वाली प्रथम वार्षिक सर्वसाधारण बैठक की तिथि को समाप्त हो जाता है। अध्यक्ष तथा निदेशक मंडल के सदस्य कम्पनी के पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं। उन्हें यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उनके अपने संगठन जहाँ वे काम करते हैं के नियमों के अनुसार दिया जाता है।

(ख) कुछ नहीं, प्रश्न ही नहीं उठना।

(ग) कम्पनी 11 जनवरी, 1967 को फंजीकृत हुई थी। परियोजना निर्माण अवस्था में है। काम की प्रगति पर चर्चा निदेशक मन्डल की बैठकों में होती है और सरकार को मासिक प्रगति प्रतिवेदन द्वारा सूचित रखा जाता है। त्रुटियों का पता लगाने और कम्पनी के काम में सुधार लाने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है।

कोयला खानों का बन्द होना

*645 : **श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री** 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बरौनी-हल्दिया पाइप लाइनों के वर्तमान रेखांकन के कारण अनेक कोयला खानों के बन्द हो जाने के बारे में कोई जांच की है ;

(ख) क्या यह सच है कि बन्द हुई कोयला खानों के मालिकों के मुआवजों के दावे कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन पड़े हैं और करोड़ों रुपये के मुआवजों के अन्य दावे भी हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने स्थिति में बन्द हुई खानों में विभिन्न किस्म के कोयले के चालू स्टाक का कोई अनुमान लगाया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पाइप लाइनों के वर्तमान रेखांकन के परिणामस्वरूप कोयला खानों का बन्द हो जाना सरकार के ध्यान में नहीं आया है और इस कारण जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) किन्हीं कोयला खान मालिकों के कुछ क्षतिपूर्ति के दावे जिला न्यायाधीश बर्दवान, की अदालत में और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेट्रोलियम पाइप लाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के अधीन विचाराधीन है।

(ग) भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

गैर सरकारी समवायों द्वारा संचालित रेलों का राष्ट्रीयकरण

*646. **श्री श्रीधरन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी रेले अब भी गैर-सरकारी समवायों द्वारा चलाई जा रही हैं और इन रेलों के चलाने के उनके वर्तमान ठेकों की अवधि कब समाप्त होने वाली है ;

(ख) क्या इन रेलों का राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना है और क्या सम्बधित गैर-सरकारी समवायों से इन रेलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के बारे में कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम सरकार द्वारा तैयार किया गया है ;

(क) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन रेलों के राष्ट्रीकरण का कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूरा हो जायगा और यदि नहीं, तो ये रेलें किस सीमा तक गैर सरकारी समवाय के अधीन रहेंगी ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें निजी स्वामित्व वाली रेलों और उनके ठेकों का ब्यौरा दिया हुआ है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2638/68]

(ख) से (घ) जी नहीं । इनमें से कुछ रेलों के ठेके केन्द्रीय सरकार के साथ हैं जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को खरीद का विकल्प प्राप्त है । खरीद का विकल्प निश्चित अवधि के बाद आता रहता है । जब कभी ऐसे विकल्पों का समय आने को होता है ; तो उस विकल्प के अन्तर्गत उन रेलों की खरीद के प्रश्न पर विचार किया जाता है ।

India's Balance of Trade

*647. **Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Beni Shanker Sharma : Shri D.C. Sharma :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the extent to which India's balance of trade has been estimated to be adverse during the current financial year;

(b) whether India's balance of trade is expected to become favourahle in the near future so that loans from foreign countries could be repaid; and

(c) if so, the steps taken in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi), (a) India's unfavourable balance of trade declined from Rs. 463. 37 crores in the first half of 1966-67 to Rs. 444.99 crores and Rs. 286.08 crores in the same periods of 1967-68 and 1968-69 respectively.

(b) and (c) The policies of import substitution and export promotion currently followed by Government are aimed at achieving a level of export earnings sufficient to meet our current requirements for imported goods.

चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में छंटनी

*648. श्री धीरेन्द्र कालिता : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप के 1500 कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दे दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भिलाई इस्पात का कारखाना

*649. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने के प्रत्येक जनरल मैनेजर किन-किन राज्यों के थे ;

(ख) प्रत्येक जनरल मैनेजर की सेवावधि में कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ; और

(ग) उनमें से कितने कर्मचारी सम्बद्ध मैनेजरों के राज्यों के हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2639-68]

अवमूल्यन से लाभान्वित उद्योग

*650 श्री रवि राय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन उद्योगों की प्रारम्भिक जांच के लिये शीघ्र कार्यवाही करने का निर्णय किया है जिन्हें आयात में मूल्य प्रतिस्पर्धा होने के कारण अवमूल्यन से लाभ हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि जांच के आधार पर कुछ चुने हुए उद्योगों को प्रशुल्क आयोग को भेजा जायगा जिससे इसका अनुमान लगाया जा सके कि उनको प्रशुल्क संरक्षण दिया जाये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख दीन अली अहमद) : (क) से (ग) प्रत्येक आयोग के कार्यकलाप की समीक्षा करने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा स्थापित समिति ने अन्य बातों के साथ यह भी सिफारिश की है कि चूंकि अवमूल्यन से

आयातित वस्तुओं से मूल्य स्पर्धा में वे उद्योग भी लाभान्वित हुए हैं जो कि अब तक प्रशुल्क आयोग की जांच के अन्तर्गत नहीं आए हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में निहित उद्योगों की प्रारम्भिक जाँच की कार्यवाहीं को सरकार शीघ्र प्रारम्भ करे । इस जाँच के आधार पर सरकार कुछ चुने हुए उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के मामले को जाँच के लिए प्रशुल्क आयोग को भेजें ।

सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और उसने सभी मन्त्रालयों को मामलों जांच के लिये लिखा है कि वह संरक्षण प्रदान किए जाने के लिये प्रशुल्क आयोग को सौंपे जाने वाले उद्योगों के नाम बताएं ।

बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की समय-समय पर जांच

*651. **श्री लोबो प्रभु** । क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस स्तर तक के अधिकारियों को बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की समय–समय पर जांच करने का काम सौंपा गया है ;

(ख) क्या कर्मचारियों द्वारा की गई जांच के तुरन्त बाद उन्होंने कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों को छोड़ देने के कितने मामलों में कर्मचारियों को दन्ड दिया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) वरिष्ठ वेतनमान स्तर तक के अधिकरियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे समय–समय पर बिना टिकट यात्रा का निरीक्षण करें । इस तरह के निरीक्षण कितने समय के अन्तर से किये जायें, इसका निर्णय अलग–अलग रेल प्रशासनों पर छोड़ दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन निरीक्षणों के फलस्वरूप 1967-68 में, 113 मामलों में टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के कारण सजा दी गयी ।

Misuse of Import Licences

*652. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that most of the persons receive import licences fraudulently or by giving bribe ;

(b) whether Government are also aware that a big gang is active in Delhi which obtains licences from Government and sells them to some other persons after receiving commission from them ;

(c) whether Government are also aware that most of the import licences are sold to the traders in Bombay and Calcutta; and

(d) whether Government propose to order an investigation by the C.B.I. into this matter and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c): No, Sir.

(d) Government Will not hesitate to order investigation by the Central Bureau of investigetion if specific information is brought to their notice.

लद्दाख में बने गलीचों तथा नमदों की बिक्री

*653.† **श्री कुशोक बाकुला : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में बने गलीचों, दरियों तथा नमदों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके तथा लद्दाख के लोगों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ग) - जी हां । गलीचों, दरियों तथा नमदों के, जिसमें जम्मू तथा काश्मीर राज्य लद्दाख क्षेत्र में बना माल भी शामिल है, निर्यात में वृद्धि करने के लिये, अखिल भारतीय आधार पर सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें अधिक महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :-

(1) जनवरी, 1,1967 से जून, 1966 तक नियति सहायता योजना चालू थी, जो निर्यातकों के लिये ऊनी लच्छियों/कच्ची ऊन, रंग तथा रसायनों के आयात करने के लिये थी । 6-6-1966 से इस योजना में परिवर्तन करके वास्तविक उपयोक्ता की शर्त लगा दी गई थी ।

(2) सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क की वापसी द्वारा सहायता दी जाती है ।

(3) हाथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम (सरकारी क्षेत्र के एक निगम) ने विदेशों में गलीचा भान्डागार तथा डिपो आदि की सुविधायें उपलब्ध की हुई हैं ।

(4) सरकार द्वारा विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में इन उत्पादनों का प्रदर्शन किया जाता है ।

(5) गलीचों तथा नमदों के निर्यात के लिये विदेशी बाजारों में अध्ययन किये गये हैं ।

बिहार में कोयला साफ करने का कारखाना

*654. **श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय फर्म मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड एक अमीरीकी इन्जीनियरिंग फर्म के सहयोग से मेकनाली-बर्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी के नाम और स्टाइल से बिहार में कोयला साफ करने का नया कारखाना लगाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और सहयोग करने वाली फर्में कितने-कितने प्रतिशत पूंजी का परिव्यय करेगी;

(ग) अपेक्षित वित्त किस साधन से जुटाया जायेगा ;

(घ) नये उपक्रम द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण किया जायेगा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उनका आरम्भ में अनुमानतः प्रति वर्ष कितना उत्पादन होगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

जस्ते तथा तांबे का आयात

*655. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितने तांबे और जस्ते का आयात करने का प्रस्ताव है ;

(ख) प्रत्येक धातु का अब तक कितना-कितना आयात किया जा चुका है ;

(ग) इन धातुओं को किस-किस देश से तथा कितना-कितना आयात करने का प्रस्ताव है ;

(घ) इन धातुओं का कितना आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा तथा कितना वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा सीधे किया गया है ;

(ङ) वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा आयात किये जाने वाले मूल्य की तुलना में राज्य व्यापार निगम द्वारा इन धातुओं का औसतन किस मूल्य पर आयात किया गया ; और

(च) क्या वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा जिस मूल्य पर आयात का सौदा किया गया था क्या राज्य व्यापार निगम का आयात मूल्य उससे अधिक है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चालू वर्ष में आयात की जाने वाली तांबे और जस्ते की प्रस्तावित अनुमानित मात्रा क्रमशः लगभग : 68,000 तथा 58,000 मे० टन है।

(ख) 1968-69 में, अगस्त 1968 तक 12,106 मे० टन तांबा तथा 46,000 मे० टन जस्ते अथवा स्पेल्टर का आयात किया जा चुका है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन देशों के नाम दिये गये हैं, जिनसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से तांबा तथा जस्ता आयात किये जाने की संभावना है। अभी यह बताना संभव नहीं है कि वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस के सम्बन्ध में आयात के कौन-कौन से देश होंगे।

(घ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पहले ही 3,300 मे० टन तांबे तथा 19,310 मे० टन जस्ते का आयात किया जा चुका है। देश में इन धातुओं के आयात का लगभग 25 से 30 प्रतिशत भाग खनिज तथा धातु व्यापार निगम और बाकी वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा मंगाया जाता है। वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिये सही-सही आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के औसत आयात मूल्य वास्तविक प्रयोक्ताओं के आयात के मूल्यों की तुलना में ठीक है तथा वे उनके मुल्यों से अधिक नहीं हैं ।

विवरण

उन देशों को दर्शाने वाला विवरण, जिनसे खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से तांबे तथा जस्ते के आयत किये जाने की सम्भावना है

तांबा	संयुक्त राज्य अमरीका	10,600 मे० टन
	कनाडा	400 मे० टन
जस्ता	जापान	6,865 मे० टन
	संयुक्त राज्य अमरीका	5,900 मे० टन
	सोवियत संघ	9,000 मे० टन
	आस्ट्रेलिया	1,375 मे० टन
	कनाडा	935 मे० टन
	जाम्बिया	935 मे० टन
	योग	25,010 मे० टन

पश्चिम बंगाल में रेल के माल डिब्बे बनाने के कारखाने

*656. **श्री सु० कु० तापड़िया : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष श्रमिक विवाद, हड़तालों तथा ताला-बन्दियों के कारण पश्चिम बंगाल में काफी लम्बी अवधि तक रेलवे माल डिब्बे बनाने वाले तीन बड़े कारखानों में निर्माण कार्य पर कुप्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें अपना पिछला काम पूरा करने के लिए अब बहुत थोड़ा समय दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है उन्हें अपने माल के मूल्यों को घटाने को कहा गया है; और ;

(घ) पश्चिम बंगाल में श्रमिक शांति स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । संविदा में निर्धारित सुपुर्दगी की तारीख के बाद भी जिन मालडिब्बों की सुपुर्दगी नहीं मिली, उनका मूल्य घटा दिया गया, ताकि उनका मूल्य टेंडरों और वार्ता द्वारा निर्धारित चालू संविदा मूल्यों के अनुरूप हो जाये ।

(घ) श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय द्वारा सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान, बरहामपुर

*657. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) के कर्मचारी संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उस संस्थान के वर्तमान निदेशक पर गंभीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, बरहापुर के गैर-राजपत्रित कर्मचारी संघ से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। हां, संघ ने अपने द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति भेजी थी जिसमें अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक मामलों के विषय में कुछ शिकायतों/परिवेदनाओं का उल्लेख किया गया था। यह संघ मान्यताप्राप्त नहीं है और जैसा कि ऐसे संघों के बारे में सामान्य रूप से होता है, प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली वस्तुयें

*658. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली वस्तुओं के कार्यक्रम की क्रियान्विति का पुर्नविलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली वस्तुओं का कार्यक्रम एक बराबर चलते रहने वाला कार्यक्रम है और इस पर बराबर विचार किया जाता रहता है।

(ख) अपनाए गये मिले-जुले उपायों के फलस्वरूप कई उद्योगों में पूंजीगत सामान और साथ ही पुर्जे व कच्चे माल के आयात में काफी कमी करना संभव हो सका है। वर्ष 1967 में इस प्रकार लगभग 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। ऐसी आशा है कि आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के उपायों के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जायेगी।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

प्रत्येक उद्योग में आयातित वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पादन के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए नीचे लिखे उपाय बराबर किये जा रहे हैं। यह उपाय काफी व्यापक हैं।

(1) एक ही विशिष्ट विवरण अथवा बराबर के विशिष्ट विवरण के अनुसार देश में ही निर्मित माल व पुर्जों की सहायता से आयातित कच्चे माल, पुर्जों व फालतू हिस्सों की स्थानापन्न वस्तुएं बनाना ;

(2) प्रति उत्पादन इकाई आयातित कच्चे माल व पुर्जों की खपत में कमी ;

(3) धीरे-धीरे मध्यवर्ती वस्तुओं (मध्यगों) के स्थान पर आधारभूत कच्चे माल से रसायनिक वस्तुओं का उत्पादन;

(4) कम से कम समय में देसी कच्चे माल व पुर्जों का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करके उत्पादन करने के लिए क्रमबद्ध उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ;

(5) पूंजीगत सामान के आयात के प्रार्थनापत्रों की और अधिक कठोरतापूर्वक छानबीन की जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी मशीनों व उपकाणों आदि के आयात के लिए अनुमति न दी जाय जिनका उत्पादन देश में हो रहा है अथवा निकट भविष्य में जिनके उत्पादन की संभावना है ;

(6) केन्द्रीय व राज्य सरकारों दोनों के संबंधित अधिकारियों को ये हिदायतें दी जायें कि आरम्भिक अवस्था से ही वे अपने आपको परियोजनाओं की योजना बनाने में तकनीकी विकास के महानिदेशालय से संबंध रखें ताकि समय पर ठीक योजना न बनाने से ऐसे उपकरणों का आयात न किया जा सके जिनका उत्पादन देश में ही हो सकता है ; और

(7) आयातित वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में कार्य को प्रोत्साहन देने की एक ऐसी योजना भी चलाई गई है जिनके अन्तर्गत उन व्यक्तियों व संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं जो ऐसे क्षेत्र में विकास संबंधी कार्य करने के लिए व्यवहारिक सुझाव देते हैं जिससे आयात में और अधिक कमी हो।

पांचवां इस्पात कारखाना

*659. **श्री गाडिलिंगन गौड :** **श्री मुरासोली मारन :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कारखाने को विशाखापत्तनम में स्थापित करने का विचार किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों में, जिनमें बेलाडिला–विशाखापत्तनम भी शामिल है, नये इस्पात कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने पहले ही स्थानों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त कर रखी है । ऐसी संभावना है कि सरकार नया इस्पात कारखाना / कारखाने स्थापित करने तथा उनके स्थान के बारे में निर्णय कर्णधार समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने के पश्चात् ही करेगी । यह समिति चौथी योजना के लिए लोहे और इस्पात का विकास–कार्यक्रम तैयार करने में सरकार की

सहायता करने के लिए नियुक्त की गई है । ऐसी आशा है कि इस बारे में कर्णधार समिति को सिफारिशें शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगी ।

Movement of Bauxite

*660. **Shri Ram Avatar Sharma**: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the States producing Bauxite which is used for manufacturing aluminium, do not allow its movement to other States;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to facilitate inter-State movement of this metal ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P.C. Sethi) : (a) The States producing bauxite are, by and large, allowing its movement to other States. In fact, all the aluminium smelters presently in operation depend on bauxite either fully or partially from other States nnd no difficulties have been or are being reported.

(b) and (c) Do not arise.

हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड

†3890. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितने टन जस्ता आयात किया जाता है तथा हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड के जिन्क स्मैल्टर (जस्ता पिघलाने वाले कारखाने) में कितना जस्ता तैयार किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों में भारत में जस्ते की प्रति वर्ष कितनी खपत हुई तथा उसका रुपयों में कितना मूल्य है ;

(ग) हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड द्वारा नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों के नाम क्या हैं तथा संख्या कितनी है, किस-किस देश के हैं तथा वे कितनी अवधि के लिये नियुक्त किये गये हैं और उन पर कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(घ) इस जिन्क स्मैल्टर के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : 1965-66 से 1966-67 तक जस्ते का आयात इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (मीटरिक टनों में)
1965-66	80,210
1966-67	48,069

1967–68	65,908
1968–69	64,563
(अगस्त, 1968 तक)	

हिन्दुस्तान जिन्क स्मैल्टर के जिंक स्मेलटर ने 1 जनवरी, 1968 को उत्पादन आरम्भ कर दिया था। 31–10–68 तक 102,40 मीटरिक टन जिन्क कैथोड चादरें बनाई गई थीं जिसमें से 847·88 मीटरिक टन की बिक्री हो गई है। शेष मात्रा में से 8,354.66 मीटरिक टन जस्ता पिण्ड बनाये गये थे। नवम्बर, 1968 में 800 मीटरिक टन जस्ता पिण्ड तैयार किया गया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत जस्ते की खपत तथा उसका उपभोग इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (मीटरिक टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1965–66	80,210	2,002
1966-67	48,067	1,086
1967-68	69,603	1,531

1965–66 तथा 1966–67 के सम्बन्ध में उक्त आंकड़े आयात पर आधारित हैं क्योंकि उन वर्षों में देश में उत्पादन नहीं होता था। 1967-68 के आंकड़ों में आयात तथा देश में उत्पादित 3,695 मीटरिक टन जस्ता दोनों ही शामिल हैं।

(ग) हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड में अभी कोई विदेशी कार्य नहीं कर रहे हैं।

(घ) स्मैल्टर पहले ही आत्मनिर्भर हैं और उसे भारतीय इंजीनियर तथा कर्मचारी संतोषजनक तरीके से चला रहे हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार की दुर्गापुर स्थित कोक भट्टी

3891. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1955–56 से वर्ष 1967–68 तक की अवधि में वर्ष-वार पश्चिम बंगाल सरकार की दुर्गापुर स्थित कोक भट्टी में उत्पादित कोक के उत्पादन पर औसत लागत (प्रति टन) कितनी आई है ;

(ख) वर्ष 1955–56 से वर्ष 1967–68 तक वर्षवार प्रति टन कितना औसत बिक्री मूल्य वसूल किया गया ; और

(ग) वर्ष 1955–56 से 1967–68 तक वर्ष-वार दुर्गापुर स्थित कोक भट्टी से व्यापार के रूप में कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) 1955-56 से 1960–61 वर्षों के लिये सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

1961-62 से 1967 68 वर्षों के विषय में सूचना निम्न प्रकार से है :—

(+) लाभ वर्ष		(−) हानि रुपये
1961–62	(+)	66,826.00
1962–63	(−)	6,36,813.00
1963–64	(−)	42,11,927.00
1964–65	(−)	36,59,857.00
1965–66	(+)	5,26,719.00
1966–67	(+)	46,72,479.00
जोड़,	(−)	33,76,225·00

पावर प्लांट परिसम्पत्तियों पर की गई अतिरिक्त व्यवस्था, अर्थात्, (+)21,31, 240.00 रुपयों को तथा प्रारंभिक खर्चे के (−) 1,91, 360.00 रुपयों को जो कि बट्टे खाते डाले गये थे, ध्यान में रखते हुए, कम्पनी का 1966–67 के अन्त तक का हानियों का कुल जोड़ 14.36 लाख रुपये आता है ।

वर्ष	रुपये
1967–68	(−) 1,75,00,000,00 (लेखा–परीक्षा के बिना)

चाय संबंधी विशेष पाठ्यक्रम

3892. श्री हेमराज : क्या वाणिज्य मंत्री 7 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4937 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट स्थित असम कृषि कालेज में चाय संबंधी बी० एस० सी० (कृषि) पाठ्यक्रम इस बीच आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिये कितने-कितने स्थान नियत किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) राज्यवार कोई स्थान नियत नहीं किया गया है परन्तु बीस स्थानों में से सात स्थान असम से बाहर के विद्यार्थियों के लिये नियत किये गये हैं जिनमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं ।

विदेशी निर्माता

3893. श्री बाबू राव पटेल :　　　　श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फर्मों के सहयोग से अपना अन्यथा जो विदेशी निर्माता भारत में बालों के तेल, सौन्दर्य की वस्तुएं, डाढ़ी बनाने के बाद प्रयोग में लाया जाने वाला लोशन, क्रीम, दांत साफ करने के पेस्ट तथा अन्य प्रसाधन सामग्री तैयार करते हैं, उनकी संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) गत् तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक कम्पनी की वार्षिक बिक्री तथा लाभ कितना था ;

(ग) गत् तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक ने लाभ की कितनी राशि विदेशों को भेजी;

(घ) गत् तीन वर्षों की प्रत्येक की निर्यात कमाई कितनी थी ;

(ङ) गत् तनी वर्षों में प्रत्येक को कितनी राशि की विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई तथा किन-किन विदेशी वस्तुओं के लिये;

(च) क्या यह सच है कि अमरीका की रेवलोन नाम की फर्म को टाटा की लकामे नाम की फर्म के साथ सहयोग की अनुमति दी गई है; जब कि लामे फार्म का कार्य अच्छी प्रकार से चल रहा है ; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ङ) दो विवरण सभा-पटल पर रखे जते हैं । [पुस्तकालय में रखे गये। [देखिये संख्या एल० टी० 2616/68]

(ख) से (घ) अधिकांश मामलों में प्रसाधन सामग्री कम्पनियों के कार्यक्रम का एक छोटा भाग होता है। प्रसाधन सामग्री व्यापारों के बारे में जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है। फिर भी गेल्सिरीन, साबुन, प्रक्षालक, प्रसाधन सामग्री तथा श्रंगार सामग्री का कुल निर्यात निम्न प्रकार था :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1965–66	1.87
1966–67	1.17
1967–68	1.21

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाय उद्योग के बारे में बरुआ समिति

3894. श्री बाबू राव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय उद्योग के सम्बन्ध में बरुआ समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) कितनी सिफारशों को क्रियान्वित करने का विचार है ;

(ग) क्या प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं की मंजूरी के लिये सरकार चार सदस्यों की एक ऐसी केन्द्रीय समिति जिस में अधिकांश व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों सहित चार सदस्य होंगे गठित करने का विचार कर रही है ; और यदि हां तो कब ;

(घ) इस प्रकार की समिति के बनाये रखने पर कितना खर्च आयेगा ;

(ङ) क्या मितव्ययता की दृष्टि से उपरोक्त प्रकार के एक केन्द्रीय समिति का गठन वांछनीय होगा जब कि एक अच्छा खासा चाय बोर्ड पहले ही कार्य कर रहा है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (च) चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति का प्रतिवेदन अभी-अभी प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

भारत में रूसी ट्रैक्टरों का निर्माण

3895. **श्री चेंगलराया नायडू**
श्री दी० चं०शर्मा
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने एक गैर-सरकारी फार्म द्वारा भारत में रूसी ट्रैक्टरों का निर्माण करने की परियोजना का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) इस परियोजना की कितनी क्षमता होगी ; और

(घ) इस बारे में सोवियत संघ द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मेसर्स गाजियाबाद इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने सोवियत रूस के मेसर्स प्रोमाशाकस्टपोर्ट तथा टैक्ट्रोक्स्पोर्ट के सहयोग से डी० टी० 14 बी० (14 अश्वशक्ति) के ट्रैक्ट्रों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश स्थित लोनी में एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव की जांच की गई है और कम्पनी को विदेशी सहयोग करार की शर्तों तथा अवस्था भाजित निर्माण कार्यक्रम पर सरकार की प्रतिक्रिया से सूचित कर दिया गया है। योजना के कार्यान्वियन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात के हेतु उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने के लिये भी कहा गया है।

(ख) कम्पनी द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इस योजना पर 2 करोड़ रुपये का विनियोजन होगा।

(ग) 10,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष।

(घ) रूसी सहयोगी आवश्यक तकनीकी जानकारी और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे जिसमें खाके, विवरण, इंजीनियरी आंकड़े और निर्माण प्रक्रमों का लिखित ब्यौरा सम्मिलित है। वे भारतीय कम्पनी के कर्मचारियों को विदेश स्थित अपने कारखानों में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और यदि भारतीय कम्पनी को आवश्यकता हो तो वह अपने कारीगरों की सेवाएँ भी उपलब्ध करायेंगे।

राजनैतिक दलों का चन्दा

3896. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक ऐसी कम्पनी ने राजनैतिक दलों को कितना चन्दा दिया जिनमें सरकार के अंश हैं अथवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक हैं और चन्दा प्राप्त करने वाले राजनैतिक दलों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या है, जिनमें सरकारी प्रतिनिधियों ने इस प्रकार के चन्दे देने पर आपत्तियां उठाईं तथा क्या ये आपत्तियां कम्पनी की कार्यवाहियों में लिखी गईं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार द्वारा निन्यित्रित कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा दिये जाने के क्या कारण हैं तथा क्या उनके अपने संविधानों में इस प्रकार के चन्दों के लिये कोई उपबन्ध है ; और

(घ) यदि नहीं तो इन चन्दों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) सूचना संग्रह की जा रही है वे उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

पिपलानी तथा खिरकिया स्टेशनों के बीच बस तथा रेल की टक्कर

3897. **श्री दे० वि० सिंह : श्री गं० च० दीक्षित :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 नवम्बर, 1968 की मध्य रेलवे के पिपलानी तथा खिरकिया स्टेशनों के बीच एक रेलवे फाटक पर इटारसी जाने वाली पार्सल एक्सप्रेस तथा एक प्राइवेट बस में टक्कर हो जाने के परिणामस्वरूप कम से कम दो व्यक्ति मारे गये थे तथा 7 घायल हुए थे;

(ख) यदि हां तो यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई तथा उनके क्या कारण थे; और

(ग) मध्य प्रदेश में बिना चौकीदार रेलवे फाटकों की संख्या तथा प्रतिशतता कितनी है तथा फाटकों पर दुर्घटनायें न होने देने तथा उन पर यातायात को विनियमित करने के लिये इन फाटकों पर चौकीदारों को तैनात करने के लिये अथवा मशीनों से फाटक खोलने और बन्द करने की यदि कोई योजना है तो क्या ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दुर्घटना 16.11.1968 को हुई । इस दुर्घटना में एक आदमी मारा गया और 8 घायल हो गये जिनमें से एक की बाद में घावों के कारण अस्तपाल में मृत्यु हो गयी ।

(ख) प्रत्यक्षतः दुर्घटना का कारण यह था कि रास्ते में इंजन की बड़ी बत्ती फेल हो जाने के कारण फाटक वाला सामने से आती हुई गाड़ी को नहीं देख सका था और उसने समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोल दिया था ।

(ग) मध्य प्रदेश में बिना चौकीदार वाले 1795 समपार हैं जो इस राज्य के कुल समपारों का 63.4 प्रतिशत है । बिना चौकीदार वाले सभी सम-पारों पर चौकीदार रखने की आवश्यकता नहीं है । रेल और सड़क यातायात की मात्रा और अन्य कारणों के आधार पर बिना चौकीदार वाले वर्तमान समपारों पर चौकीदार रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां चौकीदार रखना आवश्यक होता है, राज्य सरकार की सलाह से आवश्यक कार्रवाई की जाती है । इस समय राज्य सरकार की सलाह से बिना चौकीदार वाले 15 समपारों पर चौकीदार रखने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । इसके अलावा राज्य सरक र की सलाह से बिना चौकीदार वाले चुने हुए 13 समपारों पर चेतावनी घंटियों और फ्लंश बत्तियां लगाने के प्रस्तावों पर भी विचार हो रहा है ।

मजीठा तथा डेरा बाबा नानक झंडी स्टेशन

898. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या रेलवे मंत्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजीठा तथा डेरा बाबा नामक रेलवे स्टेशनों को झंडी स्टेशन बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इससे सीमावर्ती क्षेत्र के विकास पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ग) हाल्टों की बजाय स्थायी स्टेशनों की व्यवस्था करके इस क्षेत्र का विकास करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) वेरका-डेरा बाबा नानक खण्ड पर मजीठा और फतेहगढ़ चूड़ियां (न कि डेरा बाबा नानक) स्टेशनों को फ्लैग हाल्ट स्टेशनों में बदल दिया गया है जहां बाहरी साइडिंगों के संचालन की सुविधा भी रहेगी ।

(ख) और (ग) यह काम बचत के उपाय के रूप में किया गया है क्योंकि इस खण्ड पर जितना यातायात होता है उससे इन स्टेशनों को पार स्टेशन बनाये रखने का औचित्य नहीं बनता । इससे इस क्षेत्र के विकास पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

त्रिपुरा में कागज परियोजना

3899. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन : श्री एम० मेघचन्द्र :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र में एक कागज परियोजना स्थापित करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है और यदि हां तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) सीमा राज्य त्रिपुरा के औद्योगिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को कितना महत्व दिया गया है ; और

(ग) यदि कुछ कारणों से त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र में प्रति दिन 50 टन कागज का उत्पादन करने वाले कागज कारखानों की स्थापना व्यावहारिक अथवा वांछनीय नहीं समझी गई है तो क्या गैर सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार का कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्णय लिया गया, तो क्या ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) 1969-74 की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकारी शेत्र में त्रिपुरा में कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । हां, त्रिपुरा सरकार ने अपने चतुर्थ योजना सम्बन्धी प्रलेख के प्रारूप में कहा है कि बार-बार प्रत्यन करने पर भी गैर-सरकारी क्षेत्र में 50 मीट्रिक टन कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए कोई भी उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

महाराष्ट्र में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योग

3900. **श्री देवराज पाटिल** : क्या ओद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार का विचार महाराष्ट्र में नये उद्योग स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की सहायता से सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1 अप्रैल, 1968 से आरम्भ होने वाली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में महाराष्ट्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक परियोजनाएँ अभी विचाराधीन हैं और अभी तक उनके बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।

त्रिपुरा मे कुटीर उद्योग

3901. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वष में त्रिपुरा में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसका परिव्यय क्या है और इस प्रयोजन के लिये सरकार ने कितनी सहायता-राशि मन्जूर की है तथा त्रिपुरा में कुटीर उद्योग का मद-वार प्रति वर्ष कितना उत्पादन है ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में त्रिपुरा में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कोई विशेष योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा तथा परिव्यय का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक नोट सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें त्रिपुरा के कुटीर उद्योगों की मोटे तौर पर रूपरेखा, परिव्यय, सरकार द्वारा मंजूर सहायता तथा मदवार उत्पादन आदि दिखाया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिरे संख्या एल० टी० 2617/68]

Amritsar Express Between Bombay and New Delhi

3902. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of times the Amritsar Express running between Bombay and New Delhi ran in time between 1st January, 1968 and 31st October, 1968 and the causes of its late running; and

(b) the steps taken to ensure its timely running ?

The Miuister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) and (b) on 58 days. The late running of 57Dn. Bombay-New Delhi/Amritsar Express has been due to a variety of factors including frequent cases of alarm chain pulling on this and other trains resulting in dislocation of running schedules of 57Dn. Express, particularly on the saturatad single line sections enroute between Bombay and New Delhi; other unusual occurances such as cattle and tress-passers being run over; failure of communications; failure of equipment. etc.

A special effort is being made to improve the running of this train and all feasible measures will be taken in this regard.

Bogies Attached to Amritsar Mail

3903. **Shri G. C. Dixit** :Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the age of first class bogies attached to Amritsar Mail running between Bombay and New Delhi;

(b) whether it is a fact that most of these bogies are in bad condition and are very old and even short distance travel in them is uncomfortable; and

(c) if so, the steps being taken to improve their lot ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) There is no Amritsar Mail running between Bombay and New Delhi. The question may refer to Amritsar Express running between Bombay and Amritsar via New Delhi. On this train there is one first and third class composite coaches between Bombay and New Delhi. The first class coaches on this train are 3 years old and the first and third class composite coaches are between 11 to 14 years of age.

(b) No, Sir. These coaches are maintained in good condition and are neither old nor uncomfortable.

(c) Does not arise.

Thefts in Trains on Central Railway

3904. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cases of thefts in the First Class Railway compartments a night by opening windows from outside between Manmad and Bombay railway stations on the Central Railway are on the increase ;

(b) whether Government have ascertained the causes of such thefts; and

(c) the spacial arrangements contemplated by Government to check them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Criminals from Bombay and Kalyan apparently are responsible for such offences. Police investigations were made, but these cases remained undetected.

(c) Government Railway Police have intensified the escorting of trains in the affected sections and the affected areas are being specially patrolled. Detective Branch of Nandgaon District Police and the Special Detective staff of Railway Police are being specially deputed to locate these criminals.

Contributory Provident Fund Deposits of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

3905. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Regional Provident Fund Commission, Delhi has issued orders to the Manager, Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi for depositing the out-standing amount of Contributory Provident Fund of both the sides, under the rules, on a complaint lodged by the Employees Union of the said Khadi Bhawan; and

(b) if so, the full details thereof and the time by which the said amount would be deposited ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) The details of the arrears for the period from May 1962 to June 1967 are being worked ont for each employee. The Khadi Gramodyog Bhawan has been instructed to deposit the amount under protest.

औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति

3906. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात की ओर अधिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का विचार और औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति में व्यापक परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह परिवर्तन कब से लागू होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) निर्यातोन्मुख वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने की नीति में प्रमुख परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी लाइसेंस देते समय निर्यातोन्मुख प्रस्तावों पर समुचित विचार किया जाता है। औद्योगिक एकक जो मुख्यतया निर्यातोन्मुख होते हैं उन्हें वही वरीयता दी जाती है जो कि मुख्य उद्योगों को दी जाती है।

जाली रेलवे टिकट तैयार करने वाला गिरोह

3907. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा रेलवे पुलिस ऐन्फोर्समेंट ब्रांच तथा हावड़ा स्टेशन पर कार्य करने वाले

पूर्व रेलवे के विशेष दस्ते ने भद्रेश्वर में रेलवे के जाली टिकट तैयार करने वाले गिरोह का पता लगाया है ; और

(ख) रेलवे के जाली टिकट तैयार करने वाले ऐसे गिरोहों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 17-11-68 को हावड़ा की एन्फोर्समेंट शाखा के पुलिस अधिकारियों ने हावड़ा की सरकारी रेलवे और पूर्व रेलवे हवड़ा के जालसाजी निरोध दस्ते के साथ भद्रेश्वर में एक बाहरी व्यक्ति द्वारा विभिन्न स्टेशनों के इस्तेमाल किये गये तीसरे दर्जे के 50 टिकटों और तारीख डालने वाली एक मशीन को अनधिकृत रूप से रखने के मामले का पता लगाया। टिकटों और मशीन को बरामद कर लिया गया।

(ख) इस बुराई को रोकने के लिए उपयुक्त व्यवस्था मौजूद है। जहां कहीं व्यावहारिक होता है, मुकदमा चलाने की कार्रवाई की जाती है। इस तरह की हरकतें करने वाले समाज-विरोधी तत्वों को सजा देने तथा उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है।

त्रिपुरा में लघु उद्योग

3908. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में सहकारी क्षेत्र में लघु उद्योगों का विकास करने के लिए अब तक कोई प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है और विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग कितने हैं ;

(ग) सहकारी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या-क्या सुविधाएँ दी गई हैं ;

(घ) त्रिपुरा में सहकारी लघु उद्योगों और माध्यम दर्जे के उद्योग स्थापित करने के लिये इस वर्ष क्या कोई योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है तो उनके नाम क्या हैं और ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष के आयव्ययक में कितने धन की व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित करने हुतु त्रिपुरा में प्रत्येक प्रकार के ऊपर उल्लिखित उद्योगों के संवर्धन के लिए प्रस्तुत किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) (1) सात एककों को 65,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। इन एककों ने फर्नीचर, मिट्टी के बर्तन, गुड़, कपड़े धोने के साबुन सिले-सिलाये कपड़ों आदि का उत्पादन किया है।

(2) एक एकक को कपड़े धोने के साबुन के लिए 17.986 मी० टन कच्चा माल दिया गया था।

(3) सभी एककों को विपणन सुविधाएँ प्रदान की गई थीं।

त्रिपुरा में सहकारी क्षेत्र में अब तक स्थापित किये गये लघु तथा ग्रामीण उद्योग निम्न प्रकार हैं :—

1. बुनकर समितियां	67 (5 दीवालिया हो गई हैं)
2. खादी समितियां	16 (3 ,, ,, ,, ,,)
3. पीतल समिति	1
4. रंगाई तथा मुद्रण समिति	1
5. बीड़ी बनाने की समिति	1
6. धातु कामगर समितियां	2 (एक दीवालिया हो गई है)
7. दर्जी समितियां	8 (,, ,, ,, ,, ,,)
8. बर्तन बनाने की समितियां	9
9. छातों के मुठ्ठे बनाने को समितियां	2
10. बढ़ई समितियां	9 (2 दीवालिया हो गई हैं)
11. जूता उद्योग समितियां	6 (3 ,, ,, ,, ,,)
12. साबुन बनाने की समितियां	2
13. बांस तथा बेंत उद्योग कर्मचारी समितियां	9
14. मधु मक्खी पालन समितियां	9
15. गुड़ खण्डसारी समितियां	4 (एक दीवालिया हो गई हैं)
16. तेल निकालने की समितियां	4 (तीन ,, ,, ,, ,,)
17. चावल छड़ने की समितियां	2
18. विधिय समितियां	7 (तीन दीवालिया हो गई हैं)

ऋण, तकनीक मार्गदर्शन, औद्योगिक कच्चे माल के सम्भरण आदि की सुविधा सभी एक्कों को प्रदान की गई हैं। लघु उद्योग एक्कों को दिये जाने वाले अनुदान का लाभ किसी भी सहकारी औद्योगिक ने नहीं उठाया। लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता बजट में लघु उद्योगों के लिए निर्धारित राशि में से दी जाती है और इसके लिए चालू वर्ष 1968-69 के लिए 2,08,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। विपणन तथा कच्चे माल के वितरण की सुविधा का विस्तार क्षेत्रों के सर्वक्षणों तथा सम्भाव्यता अध्ययन, अंशदायी पूंजी में हिस्सा लेकर वित्तीय सहायता प्रदान करना, शेडों की व्यवस्था करना, छोटे उद्यमियों के अव्ययन दौरों के आयोजन आदि कार्यक्रम इसके अन्तर्गत आते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के लिए प्रस्तावित सुविधाएँ सहकारी क्षेत्र को भी प्राप्य होंगी।

त्रिपुरा में लघु उद्योगों का विकास

3909. श्री किरित बिक्रम देव बर्मन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में वर्ष 1968-69 के लिये लघु उद्योगों के विकास की योजनाओं से कितने और किस प्रकार के नौकरी के अवसर उत्पन्न होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा में लघु उद्योगों के विकास का कोई कार्यक्रम अस्थायी अथवा स्थायी सरकार की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, उसका प्रस्तावित परिव्यय कितना है और उसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने और किस प्रकार के नौकरी के अवसर उत्पन्न होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 200 अप्रशिक्षित, अर्द्ध प्रशिक्षित तथा कारीगरों को नौकरी दिये जाने की सम्भावना है ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में त्रिपुरा प्रशासन ने लघु उद्योगों के विकास के लिए 148.63 लाख रुपये का प्रस्ताव किया है । विकास की विभिन्न मदों में प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	रुपये लाखों में
1. हथ करघा उद्योग	27.1
2. विद्युत चालित करघा उद्योग	17.97
3. लघु उद्योग	57.61
4. औद्योगिक बस्तियां	12.94
5. हस्त शिल्प	7.94
6. रेशम के कीड़े पालने का उद्योग	6.42
7. ग्रामीण तथा लघु उद्योग	18.74
कुल	148.63

प्रशासन के प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन हैं ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Use of Hindi in Railway Ministry

3910. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of Railways be pleased to State :

(a) Whether Office Memorandum No. 2/29/68-O. L., dated the 6th July, 1968 of the Ministry of Home Affairs has been received in his Ministry ;

(b) if so, the action taken or proposed to be taken on para Nos. 3, 4, 5, 6 and 7 of the Memorandum ;

(c) the number of tenders, agreements, contracts, notifications, official circulars, forms and advertisements of the Ministry, subordinate offices and undertakings which were not published in Hindi also during August and September last ;

(d) the number of such Class I officers who do not know Hindi and who also do not attend the Hindi classes regularly ; and

(e) the names thereof and the action taken or proposed to be taken against them ?

The Minister ot Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Based on the Ministry of Home Affairs Office Memorandum of 6th July, 1968, instructions have been issued to all Branches of the Railway Ministry as well as Attached, Subordinate Offices and they have been asked to take immediate action to implement provisions of the Official Languages (Amendment) Act of 1967.

(c) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

औद्योगिक बस्तियों में रोजगार

3911. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री शारदा नन्द :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय -कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में देश में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं ;

(ख) इन औद्योगिक बस्तियों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ;

(ग) आगामी दो वर्षों में बेरोजगार लोगों को रोजगार पर लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 62।

(ख) 6380।

(ग) और (घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में जिसमें आगामी दो वर्ष भी आते हैं उसमें सिंचित तथा असिंचित कृषि के विकास (जिसमें छोटे कृषक की सहायता भी सम्मिलित है), औद्योगिक अवस्थापना के विकास, लघु उद्योग तथा माध्यमिक तकनालोजी और सामाजिक सेवाओं के विकास के कारण काफी रोजगार उपलब्ध हो जायेगा ।फिर भी आज की अवस्था में यह आंकना सम्भव नहीं है कि आगामी दो वर्षों में रोज़गार किस सीमा तक उपलब्ध होगा क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्यों का ब्यौरा अभी तय किया जाना है। इस समय कार्य कर रही 248 औद्योगिक बस्तियों में लगभग 70,000 व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं।

आविष्कार संवर्धन बोर्ड

3912. श्री कामेश्वर सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मोटर गाड़ियों के संम्बंध में एक आविष्कार के बारे में वर्ष 1963 में बड़ोदा के श्री वी० धुकरीकर ने आविष्कार संवर्धन बोर्ड को एक आवेदन-पत्र दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस आवेदन-पत्र पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) आविष्कार संवर्धन बोर्ड को आर्थिक सहायता तथा पुरस्कार के लिए श्री वी० डी० हुकेरिकर (न श्री वी० धुकेरिकर) से आवेदन 13 दिसम्बर, 1963 को प्राप्त हुआ था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आवेदनकर्त्ता से प्रस्तावित आविष्कार के बारे में पूरा व्यौरा प्राप्त न होने के कारण विलम्ब हुआ जिस की अनुपस्थति में इस गुणावगुण को आंकना सम्भव नहीं है और यह जानना भी सम्भव नहीं कि इस को व्यावसायिक स्तर पर अपनाया जा सकता है।

Capital Investment of Companies

3913. **Shri Hukam Chand Kachwai** :Will the minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number and names of companies and firms whose capital investment exceeds rupees one crore and 50 lakhs at present ;

(b) the number and names of those companies whose capital investment exceeds Rs. 100 crores ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Companies having capital investment as represented by paid up capital of over rupees 1.5 crores each are 276 in number. Their names are indicated in the statement laid or the Table of the House, **[Placed in Library. See No. LT—2618/68]** Information about firms is not available.

(b) Only one company, viz. Hindustan Steel Ltd., has a paid—up capital of over Rs. 100 crores.

Import and Export of Films

3914. **Shri Bharat Singh Chauhan: Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Hardyal Devgun:**

Will the minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of foreign films imported and the number of indigenous films exported during the first ten months of the year 1968;

(b) the names of the countries to which these films were exported and the amount of foreign exchange earned thereby ;

(c) Whether it is a fact that the foreign films are being imported indiscriminately and also that any obscene films have been exported as a result of which Indian culture and tradition have suffered;

(d) if so, whether Government proposes to impose a ban on the export of obscene films; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) and (b) : A Statement is laid on the Table of the House (**Placed in Library. See. No. LT--2619/68**)

(c) No, Sir.

(d) and (e); Do not arise. The films are certified under the cinematograph Act 1952 which prohibits certification of films which deal with vice or immorality. A numbes of films have been banned for exhibition on that account.

Printing of forms and Manual in Hindi by the Ministry of Commerce

3915. **Shri Bharat Singh Chauhan** : **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : **Shri Hardayal Devgun** :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of forms and manuals of his ministry and its attached offices. whose Hindi versions have been prepared;

(b) the number of those forms and manuals which are yet to be translated into Hindi;

(c) the arrangements being made to prepare the Hindi version of those forms and manuals which have not so far been translated into Hindi and the time by which their Hindi version would be prepared ; and

(d) the reasons for delay in preparing their Hindi versions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Forms : 23
Manual : Nil

(b) Forms : 35
Manuals : 4

(c) and (d) : Two forms and one manual out of those mentioned in reply to (b) above are in the process of translation. Arrangements are being made for the translation of the remaining forms and manuals.

पारादीप पत्तन में तलकर्षण

3916. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज परामर्शदाता बोर्ड ने उटाकमंड में हुई अपनी बैठक में खनिजों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिये पारादीप पत्तन में स्थायी तलकर्षण की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :

(क) और (ख) : खनिज सलाहकार बोर्ड की 24-25 सितम्बर, 1968 को उटाकमंड में हुई मीटिंग के लिये कार्यसूची का, उत्कल खनन और औद्योगिक संस्था द्वारा सुझाया गया एक विषय यह था ;

"प्रदीप पत्तन में तलकर्षण की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके परिणाम-स्वरूप उस पत्तन से खनिजों के निर्यात जोखम में आई है । परिवहन मंत्रालय प्रदीप पत्तन में स्थायी तलकर्षण की व्यवस्था करने का शीघ्र प्रबन्ध करे" ।

मीटिंग में यह बताया गया था कि यह विषय परिवहन तथा जहाजरानी मन्त्रालय को निदशित किया गया है ।

परिवहन और जहाज़रानी मंत्रालय ने तत्पश्चात् सूचित किया है कि पत्तन के अनुरक्षण तलकर्षक की सप्लाई में देरी हो जाने के कारण प्रदीप पत्तन में पर्याप्त सिल्ट जम गई थी जिस के परिणामस्वरूप अगस्त, 1968 के मध्य से उपलब्ध जलप्रवाह 42 फीट से कम हो कर लगभग 28 फीट का हो गया । तथापि, पत्तन का अनुरक्षण-तलकर्षक जनवरी, 1968 में प्राप्त हुआ और पत्तन पर कार्य कर रहा है । एक तलकर्षक कलकत्ता पत्तन से भी किराये पर लिया गया है और इसने भी पत्तन पर 25 अगस्त, 1968 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है । पत्तन 30 नवम्बर, 1968 को 35 फीट के जल-प्रवाह को घोषित करने के योग्य था ।

पत्तन पर 42 फीट के मूल जल-प्रवाह की स्थिति को पुर्नस्थापित करने के लिये ठेके पर तलकर्षण कार्य करवाने का भी एक प्रस्ताव है ।

Laying of New Railway Lines

3917. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Om Prakash Tyagi : **Shri Gadilingana Gowd :**
Shri Siddayya :

Will the minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether Government have taken a final decision to lay some more Railway lines during the Fourth Five Year Plan;

(b) If so, the names of the areas where new railway lines would be laid; and

(c) whether any scheme to convert some metre gauge lines into broad gauge lines is also under the consideration of Government; if so, details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Not yet.

(b) Does not arise.

(c) In view of the heavy traffic density likely to develop in the next few years on certain MG sections of the Indian Railways and also the need to provide through transport facilities with broad gauge to connect major ports, important industrial centres, big iron ore mining projects etc., a programme to convert certain important MG lines to BG is under

consideration of the Railway Board. The actual conversion of such MG sections into BG would depend on the results of the surveys proposed to be undertaken with a view to determine priorities in accordance with the availability of funds. Certain works connected with coversion of MG lines into BG sanctioned during the Third Plan Period are in progress. Recently, the conversion of Miraj-Kolhapur section from MG to BG has been sanctioned.

Conversion of Loans to Private Companies into Equity Shares

3918. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Narain Swarop Sharma :**
Shri J. B. Singh : **Shri Jagannath Rao Joshi**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5930 on the 27th August, 1968 and state :

(a) whether Government have any proposal to introduce legislation to enable conversion of loans, extended by the financial institutions to private companies, into equity shares in the event of default by such companies; and

(b) if so, when the legislation is expected to be introduced ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) The matter is still under examination.

Pulp Factory in U. P.

3919. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to atate ;

(a) whether Government have under considerataion any proposal to set up a pulp factory or any other public undertaking in Gonda, Basti and Bahraich area of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the comparative position of per capita income in this area ?

The Minister of Industrial Development and Company Affaiars : (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) According to the information collected for the single year 1955-56, the per capita income of Gonda, Basti and Bahraich districts was Rs. 162, 122, and 150 respectively. The per capita income of U. P. as a whole during that year was Rs. 213/- and All India Rs. 255/-

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन

3920. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि चंडीगढ़ एशिया में सबसे सुन्दर नगर माना जाता है और प्रत्येक वर्ष भारी संख्या में पर्यटक वहां जाते हैं तथापि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उपयुक्त प्रतीक्षालयों, स्नानागारों और ढके हुए प्लेटफार्मों की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस स्टेशन पर 17 फुट लम्बा और 14 फुट चौड़ा ऊंचे दर्जे का एक प्रतीक्षालय जिसके साथ आधुनिक ढंग का गुसलखाना बना हुआ है, 28 फुट लम्बा और 20 फुट चौड़ा तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय और 50 फुट लम्बा और 30 फुट चौड़ा छतदार प्लेटफार्म पहले से मौजूद है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

निर्वर्गीकृत परिवहन कर्मचारियों को नियोजित किये जाने के विरोध में वाणिज्यिक क्लर्क एसोसिएशन का आवेदन

3921. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वर्गीकृत परिवहन कर्मचारियों को वाणिज्यिक विभाग में नियोजित किये जाने के विरोध में वाणिज्यिक क्लर्क ऐसोसिएशन ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या सरकार के नीति के कारण परिवहन कर्मचारियों को दृष्टि की कमजोरी के झूठे प्रमाण-पत्र लेने के लिये प्रोत्साहन मिला है ताकि वे वाणिज्यिक वर्गों में रोजगार प्राप्त कर सकें ; और

(ग) इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। इन पर कोई निर्दिष्ट कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी क्योंकि जिन श्रम-संगठनों को प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर बातचीत करने की सुविधा प्राप्त है वे ऐसे मामलों के बारे में स्थानीय रेल प्रशासन से हमेशा बात-चीत कर सकते हैं। फिर भी, जो प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में स्थिति यह है कि चूंकी जो कर्मचारी डाक्टरी दृष्टि से अपनी कोटि के लिए अयोग्य किन्तु किसी निचली कोटि के लिए योग्य ठहराये जाते हैं, उन्हें वैकल्पिक काम पर लगाना रेल प्रशासनों के लिए अनिवार्य होता है, अतः वाणिज्य अथवा किसी अन्य विभाग के जिन पदों के लिए वे उपयुक्त पाये जाते हैं, उन पर उन्हें लगाने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है।

चंडीगढ़ में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें

3922. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में चंडीगढ़ में कुछ केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएँ स्थापित करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या चंडीगढ़ में कुछ परियोजनाएँ स्थापित करने की वांछनीयता पर सरकार ने विचार किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)

(क) और (ख) चण्डीगढ़ में आर्डिनेस केवल फैक्टरी (आयुध समुद्री तार कारखाना, तथा सेन्ट्रल साइन्टीफिक इनस्ट्रमेन्ट्स आरगेनाइजेशन' (केन्द्रीय वैज्ञानिक औजार संगठन) नामक दो केन्द्रीय परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं। चण्डीगढ़ में बेकरी स्थापित करने का प्रश्न इस समय मार्डन बेकरीज़ (इण्डिया) लिमिटेड के विचाराधीन है जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है।

एर्नाकुलम जंकशन के पास कोचीन मेल के आगे धरना

3923. **श्री कुंवरलाल गुप्त : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के उप-मुख्य संचालन अधीक्षक ने पुलिस महानिरीक्षक को इस आशय का एक शिकायत-पत्र भेजा है कि 19 सितम्बर, 1968 को एर्नाकुलम जंकशन के पास कोचीन मेल के आगे जब भीड़ ने धरना दिया तो पुलिस देखती रही और कोई कार्यवाही नहीं की ;

(ख) यदि हां, तो उस पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या दोषियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर रेलवे ने उन (दोषियों) के विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई व्यवस्था की थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) रेलवे के हड़ताल अधिकारी की रिपोर्ट, जिसमें 19 सितम्बर, 1968 को एर्णाकुलम के पास हुई घटनाओं का ब्यौरा दिया गया था, पुलिस के महानिरीक्षक को भेज दी गई थी। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि यद्यपि एर्णाकुलम में सुरक्षा व्यवस्था के इंचार्ज, पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेडेन्ट ने स्थिति का सामना करने के लिए उनके पास पुलिस दल पर्याप्त नहीं था। कोई उत्तर नहीं मांगा गया था।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Registration of Patents

3924. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state;

(a) the number of patents registered in the country and the number of foreign and Indian patents;

(b) the number of Indian patents registered in foreign countries; and

(c) the policy of Covernment in regard to registering the foreign patents ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) The number of patents registered in India since 1952 is given below :

Year	Indian	Foreign	Total
From 1952 upto 1959	5,375	51,924	57,299
1960	261	2,252	2,513
1961	325	2,601	2,513
1962	377	3.226	3,603

1963	279	3,399	3,678
1964	365	3,889	4,254
1965	340	3,377	3,717
1966	468	3,657	4,125
1967	395	3,425	3,820
1968 (upto 30-6-68)	205	1,488	1,693

(b) Information not available.

(c) In the matter of registration/grant of patents in India the government of India do not make any discrimination between Indian and foreign patents.

कांडला बन्दर स्टेशन पर गणना मिलान (टैली) क्लर्क

3925. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे के कांडला बन्दर स्टेशन पर कार्य करने वाले 56 गणना मिलान (टैली) क्लर्कों की सेवाएं भारतीय खाद्य निगम को अस्थायी रूप से दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ;

(ग) क्या ये गणना मिलान क्लर्क रेलवे के स्थायी कर्मचारी हैं, उन्हें अन्य रेलवे कर्मचारियों की तरह सेवा की शर्तों की पूरी सुविधाएं तथा अधिकार प्राप्त हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या रेलवे अथवा भारतीय खाद्य निगम ने उनके निवास स्थान की कोई व्यवस्था की है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) कान्दला बंदर में भारतीय खाद्य निगम से सम्बन्धित काम के लिए 52 टैली क्लर्कों को नियुक्त किया गया है ।

(ख) इन कर्मचारियों का खर्च खाद्य और कृषि मंत्रालय के खाद्य विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

(ङ) और (च) रेलवे क्वार्टर अलाट करने के प्रयोजन के लिए इस वर्ग के कर्मचारियों को अ-सारभूत श्रेणी में रखा गया है । जब क्वार्टर उपलब्ध होंगे और उनकी पारी आ जायेगी, तभी उन्हें क्वार्टर मिल सकेगा ।

Suspension of Rewari-Ratangarh Trains

3926. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that much inconvenience is being caused to the public after Rewari-Ratangarh train has been dispensed with ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the annual earnings and expenditure in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Due to breaches on Suratgarh-Hanumangarh section, it became necessary to divert essential goods traffic from Lalgarh-Suratgarh section via Bikaner-Sadulpnr section. To create the capacity for clearance of this traffic,/ BRR/4 BRR/Passengers Rewari-Sadulpur-Ratangarh/had to be temporarily cancelled. These trains were restored from 1.10.1968. Te reduce inconveninece to travelling public, loads of remaining trains on the section were augmented to the extent necessary.

(c) The figures of earnings are not maintained trainwise. The expenditure on the running of the 2 trains mentioned in answer to parts (a) and (b) was, on the average, 19.85 lakhs for the year 1966-67.

Special train on Ramdevji Fair.

3927. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railways introduced special trains this year also like previous years in connection with Ramdevji fair ;

(b) if so, the facilities provided to the passengers ;

(c) the earning to the railways thereby ;

(d) whether it is aiso a fact that temporary sheds costing thousands of rupees are erected there every year; and

(e) if so, the reasons for not erecting a permanent shed and installing a tube-well at the station in view of the income earned by the Railways and with a view to provide amenities to the passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) A statement giving the information is laid in the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT--2620/68]**

(c) Rs. 5,20,000 approximately.

(d) Rail Structures for two sheds measuring (150′ × 75′) each have been provided permanently at Ramdeora in the Mela area. Tbese sheds are covered with tarpaulins and one additional shed (80′ × 20′) is erected temporarily on the platform during the mela. Annnal labour cost for covering the two permanent sheds and providing one temporary shed amounts to Re. 2500/-approximately.

(e) Construction of permanent shed and tube-well at this station are not justified as these facilities are needed only for a short period of a month or so during Mela. During this period temporary sheds are provided and water supply is augmented by additional water tanks from adjoining stations.

Hindustan Salts Ltd.

3928. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government holds 40 percent shares on behalf of the Govemment of India in the Hindustan Salts Ltd. in Rajasthan;

(b) if so, the number of Members from Rajasthan on the said Company; and

(c) the extent of loss caused by the recent floods to the said Company and the quantity of salt in tonnes washed away by the floods ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir. The entire share capitul of Hindustan Salts Limited is held by the Government of India.

(b) Does not arise.

(c) No loss has been sufferod by the Hindustan Salts Ltd. on account of floods.

महाराष्ट्र में कपड़ा मिल

3929. **श्री ओंकार लाल बेरवा : डा० सुशीला नैयर :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का प्रबन्ध संभाल लेने के बारे में सरकार ने कोई अंतिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मिलों का प्रबन्ध संभालने के लिये कानून बनाने हेतु उस राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) महाराष्ट्र की संकटग्रस्त मिलों को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी मिलों को, जिनका परिसमापन हो रहा है अथवा जो अन्यथा बंद हो गई हैं। हाथ में लेने के लिये एक विशेष विधान बनाने का एक प्रस्ताव रखा है और मामला विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

निषिद्ध वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंसों के बारे में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच

3930. **डा० सुशीला नैयर :** क्या वाणिज्य मंत्री 13 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निषिद्ध वस्तुओं के आयात के लिये लाइसेंस जारी करने के बारे विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच कार्य पूरा किये जाने में अब तक और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) कब तक जांच पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) अभी तक अनेक व्यक्तियों तथा दस्तावेजों की जांच की गई है। किन्तु यह बताना कठिन है कि विशेष पुलिप संस्थान द्वारा की जा रही जाच कब पूरी हो जायेगी ।

लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क

3931. श्री एस० आर० दामानी :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री 6 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2846 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अयस्क पर निर्यात शुल्क में संशोधन के प्रश्न पर इस बीच कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात शुल्क में कितनी कमी की गई है तथा उससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ;

(ग) अयस्क की तुलनात्मक किस्मों के लिये आस्ट्रेलिया, रूस तथा प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य देशों द्वारा पेश किये जाने वाले मूल्यों की तुलना में लौह अयस्क के हमारे निर्यात मूल्य कितने कम अथवा अधिक है ; और

(घ) वर्तमान शुल्क में 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत कमी किये जाने पर निर्यात मूल्य क्रमशः कितना कम हो जायेगा और प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिये हमारे मूल्यों में वास्तव में कितनी कमी करने की आवश्यकता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) :

(क) और (ख) जी हां । 31 अगस्त, 1968 के ढेलेदार लोह अयस्क की कुछ किस्मों पर निर्यात शुल्क कम दर दिया गया है। निम्नलिखित विवरण से निर्यात शुल्क में किये गये परिवर्तत का पता लगता है :—

किस्म	अगस्त 1966 से	24.7.67 से निर्यात शुल्क की दर	31-8-68 से व्यय किये जाने के बाद शुल्क	छूट
		(रुपये प्रति टन)		
फीतत्व का ढेलेदार लोह अयस्क				
63 प्रतिशत तथा इस से अधिक	10.00	10.50	10.50	शून्य
62 प्रशित तथा उससे अधिक परन्तु 63 प्रतिशत से कम	10.00	10.50	6.00	4.50
60 प्रतिशत तथा इससे अधिक परन्तु 62 प्रतिशत से कम	10.00	9.00	6.00	3.00

58 प्रतिशत तथा इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम	10.00	7.50	5.00	2.50
58 प्रतिशत से कम	10.00	7.50	4.00	3.50

उमदा लोह अयस्क की किस्मों के निर्यात शुल्क में कोई कमी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) रूस का लोह अयस्क घटिया किस्म का है और सिलसिया अधिक है और इस प्रकार उसकी तुलना भारतीय लोह अस्यक से नहीं की जा सकती। भारतीय लोह अयस्क की तुलना लोह अयस्क के अन्य मुख्य स्त्रोतों अर्थात् आस्ट्रेलिया और ब्राजील के लोह अयस्क से की जा सकती है। इन स्त्रोतों के मुकाबले में भारतीय लोह अयस्क की एफ० ओ० बी० टी० कीमत तुलनात्मक है। जहाँ तक आस्ट्रेलिया का संबन्ध है उनके पत्तनों में अच्छी लदान सुविधाओं के होने तथा उनके पत्तनों में बड़े जहाजों के ठहरने की क्षमता के कारण वह जापान को लोह अयस्क की लदान के मामले में हमारे से अच्छी स्थिति में है। यदि लोह अयस्क की उन किस्मों के, जिनमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, निर्यात् शुल्क में कमी की जाती है, अथवा जिन किस्मों में अब परिवर्तन किया गया है उनके निर्यात शुल्क में और कमी की जाती है तो इससे भारतीय निर्यातकों के रुपये के मूल्य में कमी हो जायेगी परन्तु निर्यात मूल्यों पर जिन पर अब लोह अयस्क निर्यात किया जा रहा है, कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि विदेशी क्रेता हमारी आन्तरिक लागत वे विभिन्न मदों से संबन्धित नहीं हैं। वसूल होने वाली विदेषी मुद्रा को हानि पहुँचाये बिना अपने लोह अयस्क को अधिक प्रतियोगात्मक बनाने का अच्छा ढंग यह है कि हम अपने पत्तनों तथा आयात करने वाले देशों के बीच समुन्द्र भाड़ा लागत को उस स्तर तक कम करें जो कि हमारे मुख्य प्रतियोगिताओं की है।

साइकलों के टायरों और ट्यूबों की मांग

3932. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय साइकल के टायरों और ट्यूबों की मांग कितनी है, और चौथी योजना के अन्त में किती होने का अनुमान है;

(ख) बड़े पैमाने पर टायर और ट्यूब बनाने वाले कारखानों के नाम क्या हैं, और उनकी क्षमता कितनी है और पिछले तीन वर्षों में उनमें वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है;

(ग) छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखानों के नाम क्या हैं, उनकी क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना है; और

(घ) छोटे पैमाने के कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है और उनकी स्थापना के लिए कौन-कौन से स्थान उपयुक्त समझे गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) साइकल टायर तथा ट्यूबों की प्रत्येक की अनुमानित वर्तमान मांग 240 लाख नग है। चतुर्थ

पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति पर अर्थात् 1973–74 में प्रत्येक की मांग 437 लाख नग अनुमानित है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2621/68] ।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में साईकल टायरों तथा ट्यूबों का निर्माण करने वाले एककों के नाम सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2621/68] इन एककों की स्थापित अनुमानित क्षमता 48 लाख टायर तथा 64 लाख ट्यूबें हैं । लघु उद्योग क्षेत्र में टायरों का उत्पादन हाल ही में प्रारम्भ हुआ है और यह उत्पादन अभी थोड़ा ही है । 1967 में लघु उद्योग क्षेत्र में ट्यूबों का उत्पादन 60.3 लाख नग था ।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र में बाईसिक्ल टायरों ताथा ट्यूबों के उत्पादन को विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जा रहा है । एककों की तक्नीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था, ऋण सुविधाओं तथा किराया-खरीद आधार पर मशीनों के सम्भरण के रूप में सहायता की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में फास्फेट के निक्षेप

3933. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा मसूरी और देहरादून के निकट फास्फेट के निक्षेपों की खोज के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोज कार्य को पूरा करने के लिये कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है ; और

(ग) खोज कार्य को पूरा करने पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा और उनके मंत्रालय तथा भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के बीच यदि कोई करार हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा फास्फोराइट के निक्षेपों का पता लगाने के लिये मंसूरी–नरेन्द्रनगर क्षेत्र के 150 वर्ग किलोमीटर के सम्भाव्य इलाके का अन्वेषण किया जा रहा है । इस क्षेत्र के चुने हुए भागों में भिन्न गुणों और परिणाम के फास्फोराइट की पट्टियों का पता लगाया गया है । अधिक उत्साहजनक और सुलभ निक्षेपों में व्यधन और समन्वेषी खनन सहित विस्तृत समन्वेषण भी इस समय किये जा रहे हैं ।

(ख) जी, हां । प्राथमिकता-एक खंडों (मलदेवता, परिटिब्बा-चमसारी और मसराना-किपोई) में विस्तृत समन्वेषण के 31 दिसम्बर, 1968 तक पूरा कर लिए जाने की प्रत्याशा है ।

(ग) प्राथमिकता-एक खंडों में विस्तृत समन्वेषण पूरा करने और मंसूरी-देहरादून क्षेत्र के अन्य भागों में 31 दिसम्बर, 1968 तक प्रारंभिक कार्य हाथ में लेने पर 45 लाख रुपये के अनुमानित व्यय की संभावना है ।

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था में किसी समझौते का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था इस मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ विभाग है ।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची

3934. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के कनिष्ठतम कर्मचारियों का तबादला करके उन्हें फाउन्डरी फोर्ज प्लांट में भेज दिया गया तथा उन्हें लगभग एक वर्ष का दिखावटी प्रशिक्षण देकर उनकी पदोन्नति कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस अधिकारी अथवा अधिकारियों को, जो इस प्रकार की गलत कार्यवाही के लिये जिम्मेदार हैं, क्या दंड देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1963-64 में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के कुछ ऐसे कर्मचारियों का फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट में तबादला कर दिया गया जिन्हें प्लांट के सामान्य कार्य में बाधा डाले बिना वहां भेजा जा सकता था जिन के संबंध में वरिष्ठता का कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता था । यह सच नहीं है कि उन्हें दिखावटी प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था । हर व्यक्ति को गहन प्रशिक्षण दिया गया था और किसी खास ट्रेड में परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् ही जिसके संबंध में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था, विशिष्ट रिक्त पदों पर उनको रखा गया था ।

मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंडिया

3935. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीन टूल कारपोरेशन आफ इंडिया ने खरीद, ठेकों और बिक्री के लिए कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में (50 रुपये से अधिक वाले पदों के लिए) उयुक्त नियम बनाये हुये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन नियमों के बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख हीन अली अहमद) हां (क) केवल बिक्री को छोड़ कर ।

(ख) परियोजना अभी निर्माण अवस्था में है । निर्माण की जाने वाली मशीनों के लिये आर्डर बुक किये जाने से पहले बिक्री सम्बन्धी क्रियाविधि बनायी जायेगी ।

नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड

3936. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के उत्पादन और विकास के लक्ष्य पूरे हो गये हैं और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस कम्पनी की स्थापना में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के क्या नाम थे और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ;

(ग) कम्पनी इस समय किन वस्तुओं का और कितना उत्पादन कर रही है और क्या वे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और पिछले तीन वर्षों के उत्पादन और बिक्री के आँकड़े क्या हैं और इस में कितने माल का निर्यात किया गया था ; और

(घ) क्या कम्पनी को इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रारंभ में कारखाने का उत्पादन लक्ष्य 3.0000 मी० टन निर्धारित किया गया था, सन् 1963-64 में उस लक्ष्य की पूर्ति हो गई ।

मूल योजना में नेपा कारखाने के लिये कोई विकास लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । यह कारखाना अब अपनी विस्तार योजना को कार्यान्वित कर रहा है और इसकी वार्षिक क्षमता 30,000 मी० टन से 75,000 मी० टन हो गई है । आयातित लुग्दी से कागज तैयार करने के लिए काराखने के इसी महीने में चालू हो जाने की आशा है । क्षमता का विस्तार करके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारखाने द्वारा स्थापित संयंत्र से तैयार की गई लुग्दी के 1970 में उपलब्ध होने की आशा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) कारखाने में इस समय अखबारी कागज का ही उत्पादन किया जा रहा है और 1967-68 में उत्पादन 30,000 मी० टन वार्षिक लक्ष्य से भी अधिक हो गया है । अखबारी कागज की किस्म संतोषजनक है किन्तु इस की तुलना आयातित अखबारी कागज से नहीं की जा सकती है, जो कि अच्छे कच्चे माल से तैयार किया गया है । पिछले तीन वर्षों की अवधि में उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़े निम्न प्रकार रहे :—

	उत्पादन (मी० टनों में)	बिक्री (मी० टनों में)
1965-66	30,347	30,237
1966-67	29,506	29 596
1967-68	31,308	31,267

देश में अखबारी कागज की अधिक से अधिक आवश्यकताएं आयात से पूरी की जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप अखबारी कागज का निर्यात नहीं किया जाता है।

(घ) बिजली, भाप, श्रमिक आदि पर खर्च बढ़ जाने से उत्पादन लागत में हुई वृद्धि को छोड़ कर कारखाने को अन्य कोई विशेष कठिनाई महसूस नहीं हुई है। इन लागतों के प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार ने 1 मई, 1968 से नया अखबारी कागज के मूल्य में 1050 रुपये नेपा से 1100 रुपये प्रति टन तक वृद्धि करने की स्वीकृति दे दी है।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड

3937. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेणी स्ट्रक्चुरल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कारखानों की स्थापना और उनके उत्पादन और विकास के लक्ष्य पूरे हो गये हैं और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कम्पनी की स्थापना में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या थे और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ;

(घ) यह कम्पनी इस समय किन वस्तुओं का कितना उत्पादन कर रही है और क्या वे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, और पिछले तीन वर्षों के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े क्या हैं और इसमें से कितने माल का निर्यात किया गया ; और

(ङ) क्या इस कम्पनी को इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इमारतों के निर्माण तथा अन्य उद्देश्यों के लिये भारी इस्पाती ढांचों का निर्माण जिसमें क्रेनें प्लेटों का काम, पेनस्टाक स्टोर करने के लिए टंकियां, ट्रांसमिशन (पारेषण) टावर, बड़े-बड़े पुल, एल० डी० कन्वर्टर इत्यादि भी जिसमें सम्मिलित हैं या उत्पादन भी सम्मिलित है की परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये त्रिवेणी स्ट्क्चरल नामक एक कम्पनी का जुलाई, 1965 में गठन किया गया था। परियोजना को इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी पूर्णतम क्षमता 25,000 मी० टन प्रति वर्ष होगी।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार इसमें उत्पादन 1968-69 में प्रारम्भ होना था और उत्पादन उसी कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ हो गया है।

(ग) इस कम्पनी को आस्ट्रिया के मेसर्स वायस्ट के सहयोग से स्थापित किया गया है और इसमें इनके शेयर 49 प्रतिशत हैं। शेष 51 प्रतिशत शेयर भारत सरकार के पास हैं। कम्पनी

की प्रारम्भिक अधिकृत पूंजी 2 करोड़ रुपये थी। विदेशी सहयोगी के 98 लाख रुपये के शेयरों में से 20 लाख रुपये के शेयरों को नकद नहीं लिया गया। उनके बदले तक्नीकी जानकारी प्राप्त की जायेगी। शेष 78 लाख रुपयों का उपयोग आवश्यकतानुसार पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिये किया जायेगा। हाल ही में कम्पनी की अधिकृत पूंजी को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये करने का निश्चय किया गया है। कोई विदेशी मुद्रा सहायता के रूप में प्राप्त नहीं हुई।

(घ) कम्पनी ने इस्पाती ढांचों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इन्हें भारतीय मानकों के अनुरूप निर्मित किया जा रहा है। वर्ष 1968-69 के लिए उत्पादन लक्ष्य 5000 मी० टन है। गत वर्षों में कोई उत्पादन तथा बिक्री नहीं हुई। किसी वस्तु का अभी तक निर्यात नहीं किया गया है।

(ङ) कम्पनी कच्ची इस्पाती प्लेटों की कमी अनुभव कर रही है। ऐसी प्लेटों की देश में उपलब्धि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को परामर्श दिया गया है कि वह शेष आवश्यकताओं के लिए प्लेटों को आयात करने की व्यवस्था करे।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

3938. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वर्तमान निदेशन मंडल के और सदस्यों के नाम क्या हैं वे कब नियुक्त किये गये थे, और उनकी पदावधि कितनी है, और नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ;

(ख) अनियमितताओं, चोरी, स्टाक में कमी, आग लगने या किसी ऐसे अन्य कारणों से कम्पनी को कितनी हानि हुई और क्या इन मामलों की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या खरीद, ठेकों और बिकी से संबंधित उन कर्मचारियों की भर्ती के लिए (500 रुपये मासिक से अधिक वाले पदों के लिए) इस कम्पनी ने उपयुक्त नियम बना रखे हैं ; और यदि हां, तो वे नियम क्या हैं और यदि नहीं, तो क्या ये नियम बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या इस कम्पनी के कार्य संचालन के बारे में किसी समय सामान्य मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो उस का क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो क्या इस कम्पनी की कमियों का पता लगाने के लिए और इसके कार्य-संचालन को सुधारने के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत इलैक्ट्रिकल्स लि० का वर्तमान निदेशक मण्डल निम्नलिखित है :—

1. श्री डी० सी० बैजल, अध्यक्ष,
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।

2. श्री पी० एम० नायक,
अतिरिक्त सचिव,
श्रम और रोजगार विभाग,
श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

3. श्री के० एल० विज,
उपाध्यक्ष,
केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग, नई दिल्ली ।

4. श्री राना के० डी० एन० सिंह,
संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग,
औद्योगिक विकास और समवाय-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।

5. श्री के० एम० चिन्नप्पा,
महा प्रबन्धक,
टाटा एवास्को लिमिटेड, बम्बई ।

6. मेजर जनरल ई० हबीबुल्ला,
11-महत्मा गांधी रोड,
हजरत गंज, लखनऊ ।

7. एस० के० मजूमदार,
संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ।

8. श्री एम० ए० अब्बासी, सचिव, उद्योग विभाग,
आन्ध्र प्रदेश ।

मण्डल (बोर्ड) की स्थापना 3 अक्तूबर, 1968 को हुई थी । केवल एस० के० मजूमदार और एम० ए० अब्बासी की नियुक्तियां क्रमशः दिनांक 17 अक्तूबर, 1968 और 21 नवम्बर, 1968 को हुई । यह मण्डल (बोर्ड) दूसरे मण्डल के पुनर्गठन तक काम करेगा । अगले मण्डल का गठन एक साल पश्चात् होने वाली साधारण सभा की वार्षिक बैठक में होगा । अध्यक्ष के अतिरिक्त सभी सदस्य इस बैठक में सेवानिवृत्त हो जायेंगे । वर्तमान अध्यक्ष का वेतन 3000 रुपये प्रतिमास है, इसमें सेवा निवृत्ति के उपरान्त लाभों के कारण कोई कटौती नहीं होती है । सर्वश्री पी० एम० नायक, के० एल० विज, राना के० डी० एन० सिंह, एस० के० मजूमदार और एम० ए० अब्बासी अधिकारी वर्ग से चयन किए हुए निदेशक हैं । उन्होंने सरकारी नियमों द्वारा स्वीकृत दैनिक-भत्ता और यात्रा-भत्ता मात्र ही मिलता है । अन्य गैर-सरकारी निदेशक निम्नलिखित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं :--

(1) निदेशक मण्डल की बैठक में उपस्थित होने के लिए—

(क) निदेशक जो न तो सरकारी कर्मचारी है और न प्रबन्धक निदेशक ही उसका निदेशक मण्डल की बैठक में उपस्थित होने का पारिश्रमिक 100 रु० होगा चाहे निदेशक मण्डल की कोई बैठक विशेष स्थान या अन्य किसी कारण से एक दिन से अधिक क्यों न चले ।

(ख) प्रबन्धक निदेशक को मण्डल की बैठक में उपस्थित होने का कोई विशेष या अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं प्राप्त होगा किन्तु उसे कम्पनी के नियमों के अनुसार स्वीकृत यात्रा भत्ता मिल सकेगा । मुख्यालय से बाहर के स्थानों पर मण्डल की प्रत्येक बैठक के लिए किसी-अन्य स्वीकृति नियम की दर से यात्रा भत्ता लेने की अनुमति उसे नहीं मिलती है तब तक उसे अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा ।

(ग) निदेशक जो न तो सरकारी कर्मचारी हो और न प्रबन्धक निदेशक ही हो यदि वह अपने निवास स्थान से अन्यत्र किसी स्थान पर बैठक में भाग लेता है तो उसे शुल्क के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी का वास्तविक रेल भाड़ा अथवा हवाई जहाज का भाड़ा दिया जाता है और बैठक के प्रथम दिन 100 रुपये की निश्चित राशि दी जाती है । तत्पश्चात् यदि बैठक एक से अधिक दिन चले तो यात्रा-खर्चा तथा उसके ठहरने से सम्बद्ध खर्चों की पूर्ति के लिये शेष दिनों में 50 रु० प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है । परन्तु ;

(1) यदि वह यात्रा सड़क द्वारा करता है तो उसे प्रति मील यात्रा-भत्ता उसी दर से दिया जाएगा जो कि भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्त होता है ।

(2) यदि वह यात्रा अपने वायुयान द्वारा करता है तो उसे दोनों तरफ का हवाई जहाज का मानक भाड़ा दिया जायेगा ;

(3) यदि रेल द्वारा यात्रा वातानुकूलित डिब्बे में की जाती है तो उसे प्रथम श्रेणी के स्थान पर वातानुकूलित श्रेणी के भाड़े के अनुसार दिया जाय ;

(घ) ऐसे निदेशक, जो कि सरकारी कर्मचारी है, के यात्रा-भत्ते का विनियमन समय-समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-5 (126) सिब्बन्दी-4/56 दिनांक 28 फरवरी, 1957 के अनुसार किया जायेगा ।

2. मण्डल द्वारा स्थापित समितियों तथा उप-समितियों की बैठकें

बोर्ड द्वारा नियुक्ति समितियों तथा उप समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशक को निम्नलिखित भत्ता दिया जायगा :—

(क) उसके सामान्य निवास स्थान से आने-जाने का रेल (जिसमें वातानुकूलित श्रेणी भी सम्मिलित है) अथवा हवाई जहाज का वास्तविक भाड़ा ।

(ख) एक दिन के ठहरने के लिए 50 रुपये जिसमें दैनिक-भत्ता भी समाविष्ट है ।

यदि किसी समिति / उप-समिति की बैठक एक दिन से अधिक चले तो उसे दूसरे और तत्पश्चात् प्रत्येक दिन का दैनिक भत्ता 20 रुपये प्रतिदिन की दर से दिया जायगा ।

3. परियोजना को प्रगति से अपने आपको अवगत कराने के लिए हरिद्वार, हैदराबाद तथा तिरुचिरापल्ली की यात्रा

यदि कोई निदेशक अपने आप को परियोजना की प्रगति से परिचित रखने के उद्देश्य से हरिद्वार/हैदराबाद/तिरुची की यात्रा करता है तो उसे निम्न प्रकार अदायगी की जाती है :—

(क) उनके सामान्य निवास स्थान से दोनों तरफ का रेल (जिसमें वातनुकूलित श्रेणी भी सम्मिलित है) अथवा हवाई जहाज का वास्तविक भाड़ा ;

(ख) 50 रुपये यात्रा से सम्बद्ध खर्चे के रूप में ।

परन्तु यदि कोई निदेशक परियोजना की प्रगति के ज्ञानार्थ यात्रा को निदेशक मण्डल की बैठक अथवा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्ति समिति/उप-समिति की बैठक के साथ जोड़ता है और उसकी ठहराने की अवधि एक दिन से अधिक हो तो उसे दूसरे और इसके बाद के दिनों के लिए उसे 20 रुपये दैनिक-भत्ते के हिसाब से दिया जाता है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2622/68]

(ग) जी, हां । 350-900 और इससे अधिक वेतन-मान वाले पदों पर भर्ती देश के प्रमुख पत्रों में विज्ञापन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है । चयन का अन्तिम निर्णय केन्द्रीय चयन मण्डल द्वारा दिया जाता है जिसमें सम्बद्ध एकक का महाप्रबन्धक, संघ लोक सेवा आयोग के अवकाश प्राप्त दो सदस्य, होते हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जाता है । 1300-1600 तथा उससे अधिक वेतन-मान वाले पदों के लिए कम्पनी का अध्यक्ष भी चयन वेतनमान वाले पदों के लिने कम्पनी का अध्यक्ष भी चयन मण्डल में बैठता है ।

चुने गए व्यक्तियों को नियुक्ति-पत्र चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित क्रम के आधार पर भेजे जाते हैं ।

(घ) तृतीय लोक सभा की सरकारी उपक्रमों की समिति ने 1966 में कम्पनी के कार्यों की जांच की थी और अपना प्रतिवेदन 3 मार्च, 1967 को संसद को प्रस्तुत किया था ।

मानव निर्मित रेशा तथा धागा उद्योग का लागत ढांचा

3939. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1601 और 1602 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने मानव निर्मित रेशा धागा उद्योग में निर्मित धागे की लागत के ढांचे की इस बीच जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : टैरिफ आयोग द्वारा अप्रैल, 1969 के अन्त तक अपनी जांच समाप्त कर के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की आशा है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

3940. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित बातों के बारे में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के तीनों कारखानों-अर्थात् हैवी मशीन टूल्स प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट में क्या प्रगति हुई ;

(1) उनकी अधिष्ठापित क्षमता और अब वास्तविक उत्पादन ;

(2) निर्माण-कार्य की प्रगति ;

(3) उनके उत्पादन में आयातित कच्चे माल का प्रयोग ;

(4) कुल खर्च ;

(5) वार्षिक उत्पादन का मूल्य ;

(6) हानि की राशि ; और

(7) प्रत्येक में नियुक्ति विदेशी विशेषज्ञों की पृथक-पृथक संख्या ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) वर्ष 1968-69 के लिए उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार है :—

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट		
यांत्रिक वस्तुएं		16000 मी० टन
स्ट्रक्चरल्स		5785 मी० टन
स्ट्रक्चरल (हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के अधीन काम करने वाले अन्य अभिकरण)		8215 मी० टन
	योग	30,000 मी० टन
फाउन्ड्री फोर्ज परियोजना		
जी० आई० कास्टिंग		7250 मी० टन
सिल्लियों के ठप्पे		2500 मी० टन
रोल्स		1500 मी० टन
अलौह कास्टिंग		100 मी० टन
इस्पाती रोल्स		500 मी० टन

इस्पाती कास्टिंग		4800 मी० टन
इस्पाती सिल्लियां		3000 मी० टन
फोर्जिंग		2000 मी० टन
	योग	21650 मी० टन

हैवी मशीन टूल्स प्लांट

मशीनरी औजार	33 नग
सी० एल० डब्ल्यू० ट्रैक्शन गियर एसम्बली (सेटों में)	10 सेट

अप्रैल-सितम्बर, 1968 के लिए उत्पादन लक्ष्य और अप्रैल-सितम्बर, 1968 के वास्तविक उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

	आंकड़े मी० टनों में	
	लक्ष्य	वास्तविक
यांत्रिक वस्तुएं	4490.0	4206.50
स्ट्रक्चरल्स	2436.0	2288.10
स्ट्रक्चरल्स (हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के अधीन काम करने वाले अन्य अभिकरण)	3723.0	4581.90
योग	10649.0	11076.50

फाउन्ड्री फोर्ज परियोजना

	लक्ष्य	उत्पादन
जी० आई० कास्टिंग	3150.0	2329.861
सिल्लयों के ठप्पे	750.0	953.07
जी० आई० रोल	750.0	429.84
अलौह कास्टिंग	38.0	36.741
इस्पाती कास्टिंग	1900.0	907.983
कृत्रिम कच्चा लोहा	--	653.30
इस्पाती सिल्लयां	1200	986.59
इस्पाती रोल	150	—
फोर्जिंग	900	684.680
योग	8838.0	6982.065

हैवी मशीन टूल्स प्लांट

मशीनी औजार	9 नग	5 नग

(2) हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट

28,000 मी० टन संयंत्रों व उपकरणों के लगाये जाने की कुल आवश्यकता में से अक्तूबर, 1968 तक 26,469.52 मी० टन लगाये जा चुके हैं।

फाउन्ड्री फोर्ज परियोजना

मुख्य उत्पादन कर्मशालाओं में उपकरण लगाये जाने की स्थिति इस प्रकार है :—

(क) ग्रे आयरन फाउन्ड्री	100 प्रतिशत पूरा हो गया है।
(ख) इस्पात फाउन्ड्री	95.9 प्रतिशत
(ग) फोर्ज शाप	85.5 प्रतिशत
(घ) रफ मशीन शाप	83.1 प्रतिशत
(ङ) फेटलिंग शाप	96.8 प्रतिशत

हैवी मशीन टूल्स प्लांट

31-10-68 को मशीनों और उपकरणों के लगाये जाने की स्थिति इस प्रकार थी :—

वस्तु	लगाई जाने वाली चीजों की कुल संख्या	लगाई गई चीजों की कुल संख्या
1. मशीन टूल	368 (4681 टन)	335
2. ई० ओ० टी० क्रेनें	25	24
3. वाल ब्रेकट क्रेनें	22	22

(3) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(4) 1 जुलाई, 1968 तक 200.6 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगाई गई जिसमें से 100 करोड़ रुपये सामान्य पूंजी के रूप में है तथा 100.6 करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋण के रूप में हैं।

(5) वर्ष 1967-68 में जितने मूल्य का वार्षिक उत्पादन हुआ उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	मी० टन०	मूल्य (लाख रुपयों में)
हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	14611	556.93
फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	9०03.13	179.60
हेवी मशीन टूल्स प्लांट	15 संख्या	56.6

(6) 31-3-68 तक कुल 2557.03 लाख रुपये की हानि हुई।

(7) प्रत्येक संयंत्र से लगे हुए विदेशी विशेषज्ञों का ब्यौरा 31-10-68 को इस प्रकार था :—

	विशेषज्ञों की संख्या
फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	183
हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	118
हेवी मशीन टूल्स प्लांट	18

रेल के माल-डिब्बे बनाने वाले कारखाने

3941. **श्री श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री कामेश्वर सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे माल-डिब्बे बनाने वाले कारखाने रूस को निर्यात किये जाने वाले माल डिब्बों के 50 प्रतिशत डिब्बे बना सकेंगे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जमालपुर रेलवे वर्कशाप में रेल के माल-डिब्बे बनाने की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है ;और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) जमालपुर कारखाने में मुख्यतः भाप रेल इंजनों के ओवरहाल से सम्बन्धित बड़ा-बड़ा काम किया जाता है । चूंकि यह काम कुछ समय तक जमालपुर में होता रहेगा, इसलिए माल-डिब्बों के निर्माण के लिए वहां अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है ।

Exemptions and Rebates on Exports

3942. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minisrer of **Commerce** be pleased to State :

(a) the loss suffered in rupees on account of exemptions and rebates in taxes or otherwise allowed on the export of various commodities during the year 1967-68, and the names of such commodities; and

(b) the total earnings from their exports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qareshi) : (a) and (b) Exemption from duties and rebates in taxes are the concern of the Ministry of Finance. It has been reported by that Ministry that a sum of about Rs. 14.15 crores was paid during 1967-68 by way of drawback of customs and central excisc duties on export of various products. The total earnings from the export of commodities on which the above sum was paid is estimated to be of the order of Rs. 184 crores. There was no scheme of Income Tax relief on exports in force during 1967-68. Information regarding the amount of exemption or rebate of Central Excise duties on ezports is not readily available.

Foreign Trade Undertaken by the Public Sector

3943. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the percentage to the total value of exports and imports undertaken by the Public Sector during rhe year 1967-68 and the extent to which the percentage of foreign trade is likely to be augmented by the Public Sector by the end of the Fourth Five Year Plan; and

(b) the areas where the said trade is likely to be developed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Informatlon is being collected and will be laid on the Table of the House.

Import of Terene and Silk Threads

3944. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantities of raw silk, artificial silk, terylene, oiher artificial threads and/pulp and yarn imported from abroad during the year 1967-68; and

(b) thc total quantities of silk fabrics and artificial silk fabrics manufactured, exported and consumed in the country durlng this period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) **Quantity imported during 1967—68;**

Raw Silk	: 44,841 Kgs.
Synthetic regenerated fibre/yarn	: 4.28 Million Kgs.
Terylene (Fibre/yarn)	; 0.48 Million Kgs.
Miscellaneous yarn like fish net twince, tyre cord, etc.	: 0.20 Million Kgs.
Chemical wood pulp (Rayon Grade)	: 10.85 Million Kgs.

(b) **Quantity manufactured exported and consumed during 1967-68.**

(Qty. in Million Sq. metres)

	Pure silk fabrics	Art silk fabrics
Manufactured	23.40 (Estimated)	917.00 (Estimated)
Exported	2.381	6·30
Consumed	21.00 (Estimated)	913.00 (Estimated)

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

3945. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल का प्रत्येक महाप्रबन्धक किस-किस राज्य के थे;

(ख) प्रत्येक महा-प्रबन्धक के कार्यकाल में कितने कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये ; और

(ग) प्रत्येक महा-प्रबन्धक के कार्यकाल में कितने कर्मचारी उसी राज्य के थे, जिस राज्य का तत्कालीन महा-प्रबन्धक था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2623/68]

Trade with Mauritius

3946. **Shri Prakash Vir Shrstri : Shri Ram Avatar Sharma : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a)whether it is a fact that the Government of Mauritius have proposed that the Indian traders should go and do business in that country;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme in view of the said proposal; and

(c) if so, the outline thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) Governmet have not received such a proposal.

(b) and (c) Do not arise.

तकनीकी लाइसेंस करार

3948. **श्री रवि राय : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 सितम्बर, 1968 को "नेशनल हैरलड" नामक समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ यह समाचार सही है कि तकनीकी लाइसेंस तथा सम्बद्ध विषयों के बारे में पेश आने वाली कठिनाइयों का सविस्तार अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश उद्योग महासंघ भारत में बर्तानवी विशेषज्ञों का एक छोटा दल भेजेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) ब्रिटिश उद्योग संघ का एक शिष्ट मण्डल भारत सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी सहयोग पर बातचीत करने के लिए नवम्बर, 1968 के अन्तिम सप्ताह में भारत आया था। शिष्ट मण्डल ने इस विषय में उप-प्रबन्ध मन्त्री, औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्री और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से बातचीत की।

बातचीत का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था और उस में भारत में अनुसन्धान तथा विकास, तकनीकी जानकारी को प्राप्त करने के विभिन्न स्वरूप, सहयोग करारों में विभिन्न पार्टियों के

सम्बन्ध, तकनीकी जनकारी के बार-बार आयात की समस्यायें, भारत से निर्यात को प्रोत्साहन और टैक्सों की अदायगी का आधार आदि सम्मिलित थे ।

मोर पंखों का निर्यात

3949. श्री रवि राय : श्री स० आ० अगड़ी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोरों को मार कर भारी मात्रा में मोर पंख निर्यात के लिये इकट्ठे किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968 तक वर्षवार कुल कितनी मात्रा में मोर पंखों का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में बड़ी मात्रा में मोर पंख निर्यात के लिये एकत्र किये जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितने निर्यातकों को अभी भी मोर पंखों का निर्यात करने की अनुमति है ; और

(ङ) इस राष्ट्रीय पक्षी मोर के विनाश को रोकने के लिये क्या सरकार मोर पंखों के निर्यात पर प्रतिबन्धि लगाने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) हां, 1966-67 तथा 1967-68 के वर्षों में क्रमशः 6875 किग्रा तथा 4080 किग्रा की मात्रा का निर्यात किया गया ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) 26 ।

Participation of Railway Employees of Bikaner Division Railway Workshop in Token Strike.

3950. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees of Bikaner Division Railway Workshop, Bikaner of the Northern Railway, who took part in the token strike of the Central Government employees on the 19th September, 1968;

(b) the number of employees among them who actively participated in the strike and the number of those who absented themselves from duty; and

(b) whether a list of all the aforesaid employees containing their names and addresses would be laid on the Table ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) At the Railway Workshop at Bikaner, 1255 employees took part in the strike on 19th September, 1968.

(b) (i) Number of employees who actively participated in the strike in the Bikaner Workshop—19.

(b) (ii) Number of employees who absented themselves from duty in the Bikaner workshop—1236.

(c) The preparation of a list of 1255 names and other particulars for being laid on the Table of the Lok Sabha involves considerable labour and stationery, which does not appear to be commensurate with the purpose for which it can be used.

Strike by Railwaymen in Bikaner Division

3951. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any talks for seeking cooperation had been held between the officers of Bikaner Division and the representatives of the Railway Workers' Union of INTUC at the time when the notice for observing strike on the 19th September, 1968 was given by the Northern Railway employees;

(b) whether the strike was successful because the employees of the Railwaymen's Union had been put on duty for this purpose ;

(c) whether it is a fact that when the firing took place in Bikaner, all the concerned high officers of the State Government were present there but the railway officers did not even come out of their bungalows; and

(d) whether it is also a fact that the Secretary of the Northern Railway Workers' Union had informed the Ministry of Railway telegraphically in this regard and if so, the action taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes Sir.

(b) No Sir.

(c) No Sir.

(d) A communication was received to this effect but no action was considered necessary in view of reply to part (c) above.

Rules Re. Reservation of Seats in Trains

3952. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have made some changes in the rules regulating the reservation of seats in trains ;

(b) if so, the changes made ;

(c) whether Government have made it compulsory that each passenger will have to occupy his reserved seat 10 minutes before the departure of the train, otherwise, the same would be treated as cancelled ;

(d) if so, the extent to which this rule is justified ; and

(e) whether Railway Department would refund the money also on cancelling the seat ; if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) A statement is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT. 2624/68]**

(c) Yes.

(d) Previously, passengers were required to occupy the reserved accommodation five minutes before the departure of the train. This did not leave adequate margin for

allotment to wait-listed passengers of berths which were reserved but not occupied due to cancellation of the journey by the passengers without prior notice. While on the one hand there used to be long waiting lists for important trains, on the other hand the trains used to leave with a number of reserved berths unoccupied. To eliminate this wastage and to enable waitlisted passengers to occupy such berths allotted to them and load their luggage in the train conveniently without causing late starts to the trains, the margin of time for occupation of reserved accommodation before the departure of the train, has been increased from 5 minutes to 10 minutes.

(e) Refunds on tickets on which reservations are made but not availed of, are granted, after levy of a cancellation fee in accordance with rules which have been notified in the Coaching Tariff and the Railway Time Tables.

Thefts in Railway Godowns

3953. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of thefts committed in Railway godowns during the current year till the end of September, 1968 ;

(b) the number of culprits arrested in this connection during the said period;

(c) the number of those who are connected with Railway Department among the persons arrested on charge of theft;

(d) how much amount has been demanded from Railway by the owners of goods stolen; and

(e) the fresh steps taken by Government for checking thefts ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 253

(b) 166

(c) 29

(d) Statistics of claims preferred against thefts from godowns are not separately maintained.

(e) 1. Constant review of Railway Protection Force arrangments in goods sheds and parcel offices is made with a view to achieve better security and protection to Railway goods.

2. The strength of crime intelligence staff on railways has recently been augmented and more stress is laid on the collection of crime intelligence and in consequence thereof on tracking down miscreants.

3. Surprise checks by Railway Protection Force Officers have been intensified in important goods and parcel sheds.

4. Railway Protection Force have now been empowered under the provisions of Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 to prosecute persons found in possession of Railway property, suspected to have been stolen or unlawfully obtained.

Industries set up in the States

3954. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of public sector industries set up by the Centre, Statewise;

(b) the capital invested in these industries, State-wise;

(c) whether any State has made any complaint in regard to showing favouritism to some States and ignoring others in setting up these public sector industries and factories;

(d) if so, the names of those States and the nature of complaints made by them; and

(e) Government's reaction thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) The required information has been given in the statement placed on the Table of the House by the Prime Minister on the 13th November, 1968 iu reply to Starred Question No. 61.

(c) to (e) Almost all the State Governments have been writing from time to time to the Central Government that their State has been neglected in matter of locating public sector projects in comparison to other States. The locations of Central industrial projects are decided primarily on techno-economic considerations. However, subject to those techno-economic considerations, preference has been given in the past in locating Central public sector prejects in comparatively backward regions of the country.

निर्यात की वृद्धि-दर

3955. श्री म० सुदर्शनम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन से पूर्व के पांच वर्षों में निर्यात में किस दर से वृद्धि हुई थी ; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर अब तक की निर्यात की अधिकतम दर क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें 1961-62 से 1965-66 तक के वर्षों में निर्यातों की वृद्धि दर दिखाई गई है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2625/68]

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होने के पश्चात्, 1950-51 में 600.64 करोड़ रु० के निर्यात की तुलना में 1951-52 में 732.94 करोड़ रुपये के निर्यात होने की दर में, अर्थात् 22 प्रतिशत की, अधिकतम वृद्धि हुई थी। तथापि यह वृद्धि असामान्य थी क्योंकि यह कोरिया युद्ध के परिणामस्वरूप तेजी आने के कारण हुई थी।

तब से 1953-54 की तुलना में 1954-55 में विकास की दर में (11.7 प्रतिशत) वृद्धि हुई जो उसके पश्चात् सर्वाधिक थी। परन्तु उससे कहीं अधिक वृद्धि की दर अप्रैल-सितम्बर 1968 के निर्यातों में थी जो अप्रैल-सितम्बर, 1967 के छः महीनों की तुलना में 17.5 प्रतिशत अधिक थे। 1951-52 से भारत के निर्यातों के मूल्य को दिखाने वाला एक विवरण अनुबन्ध-2 (अंग्रेजी में) में दिया गया है।

चाय के मूल्य

3956. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(ख) क्या यह सच है कि चाय के बिक्री के मूल्य निरन्तर कम हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके फलस्वरूप उपभोक्ता को बेची जाने वाली चाय के बिक्री मूल्यों में कोई कमी नहीं हुई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है जिससे बिक्री के मूल्यों में गिरावट का लाभ उपभोक्ता को मिले न कि व्यापारी को ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) वर्ष 1968 के आरंभ सेभारतीय चाय के मूल्यों में गिरावट दिखाई दे रही है ।

(ख) नीलाम भाव औरखुदराभाव के मध्य परस्पर प्रभाव एक दम नहीं होता और इससके प्रभावकारी होनेमें समयल गेगाबशर्ते चाय के उन वर्गों के भावों में काफी गिरावट आ जाये जिनकी भारत में खपत होती हैऔर यह गिरावट अन्य लागतों जैसे पेकिंग की लागत, परिवहन, मजदूरी और ऊपरी लागतों में बृद्धि के कारण निष्प्रभावी न हो जाए ।

(ग)सरकार स्थिति पर सावधानी-पूर्वक निगरानी रख रही है और उसका यह विचार नहीं है कि इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाना तत्काल आवश्यक है ।

कोयला खानों को माल डिब्बों की सप्लाई

3957. **श्री सु० क़ु० तापड़िया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में 'इन्डैन्ट' किये गये माल-डिब्बों की तुलना में कोयले खानों को बहुत कम माल-डिब्बे सप्लाई किये गये ;

(ख) कम माल-डिब्बे सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कितने माल-डिब्बे मास-वार 'इन्डेन्ट' किये गये तथा कितने माल-डिब्बे सप्लाई किये गये ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हां।

(ख) (i) कोयले के लदान के लिए इडेन्ट और सप्लाई में अन्तर होना अपरिहार्य है क्योंकि संचलन की योजना के अनुसार प्रतिदिन माल-डिब्बे एक निर्धारित संख्या में ही लादे जा सकते हैं जब कि इंडेन्ट बहुत घटता-बढ़ता रहता है कभी लक्ष्य से कम और कभी लक्ष्य से बहुत अधिक। कोयला की ढुलाई के लिए रेलों की क्षमता वर्ष भर एक-सी रहती है, लेकिन कोयला उपयोगकर्त्ता वर्ष के कुछ महीनों में अपने इडेन्ट रेलों की क्षमता से बहुत अधिक बढ़ा देते हैं और माल-डिब्बों की कुल मांग पूरा करना रेलों के लिये असम्भव हो जाता है।

(ii) कोलया क्षेत्रों को दिये गये मालडिब्बों का सदा पूरा उपयोग नहीं होता। मई से अक्तूबर, 1968 तक 6 महीने की अवधि में कोयला-क्षेत्र की साइडिंगों से प्रति महीने औसतन 1813 मालडिब्बे खाली गये और इस प्रकार परिवहन-क्षमता बेकार गयी। इसके अतिरिक्त बहुत से अवसरों पर लदान के लिए और माल-डिब्बे साइडिंग पर नहीं लगाये जा सके क्योंकि कोयला क्षेत्र से पहले से सप्लाई किये गये माल-डिब्बों का लदान समय पर नहीं कर पाये।

(iii) मई 1968 में पूर्व रेलवे और जून और जुलाई 1968 में दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलों में इंजन कर्मियों ने एक वर्ग द्वारा गुमराह होकर जो आन्दोलन शुरू किया था, उसके कारण ढुलाई में काम धीमा पड़ गया और कोयला क्षेत्रों में माल डिब्बे पहुँचाने में विलम्ब हुआ। इसके अलावा जून और जुलाई 1968 में बड़े पैमाने पर देशी और आयात अनाज की ढुलाई उच्चतम अग्रता के आधार पर सीमित अवधि में पूरी करनी पड़ी। इसका भी कोयले के लदान पर बुरा प्रभाव पड़ा। अगस्त 1968 में पश्चिम भारत में अत्यधिक वर्षा और लाइन में टूट-फूट पड़ जाने के कारण मध्य और पश्चिम रेलों के गन्तव्य स्टेशनों के लिये कोयले का आबंटन विनियमित करना आवश्यक हो गया। सितम्बर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल और अक्तूबर, 1968 में पूर्वी तट खंड पर भारी टूट-फूट के कारण दक्षिण के गंतव्य स्टेशनों के लिए कोयले के आबंटन में कमी करनी पड़ी जिसका कोयले के लदान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 15/16 की रात को सोननगर स्टेशन पर रेल दुर्घटना के कारण नवम्बर में कोयले के लदान पर बहुत बुरा प्रभाव हुआ जिसकी वजह से पूर्व रेलवे के ग्रैंड कार्ड पर लगभग तीन दिन तक सीधी संचार-व्यवस्था भंग हो गयी थी। किसी अन्य महीने की तुलना में सितम्बर और अक्तूबर, 1968 में कोयले का लदान अभी तक अधिकतम रहा है।

(ग)

महीना	इन्डेन्ट	सप्लाई	
	(बड़ी लाइन के माल-डिब्बों में)		
मई, 68	404560	23?821	
जून, 68	399710	211103	
जुलाई, 68	349924	232042	
अगस्त, 68	324964	236107	
सितम्बर, 68	362627	250916	
अक्तूबर, 68	329291	259545	
नवम्बर, 68	352212	242085	(अन्तिम)

नागपुर से पूना तक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी

3958. डा० अ० ग० सोनार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर से कुर्दुवाड़ी होते हुये पूना तक एक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव था ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को अब समाप्त कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कताई मिलें

3959. डा० अ० ग० सोनार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में कितनी कताई मिलें स्थापित की गईं ; और

(ख) उनमें से कितनी मिलें प्रत्येक राज्य में सहकारिता के आधार पर चलाई जा रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । [देखिये संख्या एल० टी० 2626/68]

कपास में आत्म-निर्भरता

3960. श्री हिम्मतसिंह का : श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारभीय कपास मिल्स संघ ने कपास में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा कपास के आयात पर प्रति वर्ष 90 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के व्यय को रोकने के लिए पांच सूची कार्यक्रम बनाया है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पता लगा है कि भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने अपनी कपास विकास परियोजना का पंचमुखी विस्तार करना शुरू किया है ।

(ख) संघ के कार्यक्रम के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(1) कपास के सभी क्षेत्रों में विशाल पैमाने पर प्रदर्शन-सहशिक्षण केन्द्रों का जाल बिछाना ;

(2) विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित बीज, खाद, उपकरण आदि और मरम्मत तथा वर्कशाप सुविधाओं की व्यवस्था के लिये अनेक कृषि-सेवा केन्द्र स्थापित करना ।

(3) कपास क्षेत्रों के विशाल खण्डों में व्यापक पौध संरक्षण आन्दोलन आरंभ करना ;

(4) सभी स्तरों (ग्राम, तालुका, जिला आदि) पर फसल प्रतियोगिता का आयोजना करना ; तथा

(5) सीमित क्षेत्रों को चुन कर आत्म-पूर्ति योजना शुरू करना और कृषकों को, इस

शर्त पर कि वे अपनी उपज को एकत्रित करके वित्तपोषी निकायों को बचेंगे, बीज, खाद उपकरण आदि ऋण के आधार पर सुलभ कराना।

(ग) चूंकि योजना कपास के विकास के लिए है अतः सरकार भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ की योजना और उसके क्रियान्वयन का स्वागत करती है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात

3961. **श्री हिम्मतसिंहका** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने निर्यात में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की सिफारिश की हैं;

(ख) यदि हां, तो हमारे निर्यात की प्रत्येक परम्परागत मद के निर्यात में कितना विस्तार होने की सम्भावना है और पंचवर्षीय योजना में किन नये मदों का निर्यात किया जायेगा और इस अवधि में इसमें से प्रत्येक मद का कितना-कितना निर्यात किया जायेगा; और

(ग) प्रत्येक मण्डी में प्रत्येक मद की निर्यात क्षमता सहित भारतीय वस्तुओं के लिए क्षमतापूर्वक मण्डियां कौन-कौन सी हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना के परम्परागत आयातकों को प्रत्येक मद के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्यात लक्ष्य अभी बनाए जा रहे हैं। सरकार के प्रोत्साहन और सहायता से भारतीय उत्पादक तथा व्यापारी प्रत्येक सम्भव उत्पाद का निर्यात करने और प्रत्येक संभव बाजार का पता लगाने के लिये सतत प्रयत्नशील हैं। फिर भी पहले से यह बताना स्पष्टतः संभव नहीं है कि कौन-कौन उत्पाद निर्यात किये जायेंगे अथवा किन नये बाजारों का पता लगेगा।

इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के विस्फोटक पदार्थों तथा सहायक वस्तुओं की बिक्री में कमी

3962. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के विस्फोटक पदार्थों और सहायक वस्तुओं की बिक्री में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाली छमाई में भारी कमी हो गई थी परन्तु संचालन लागत में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में विचार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) गत वर्ष अर्थात् 31 मार्च 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष की अपेक्षा 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में बिक्री 10.4 प्रतिशत गिरी। इसका कारण औद्योगिक मन्दी का प्रभाव था। किन्तु सघन बिक्री आन्दोलन से तथा 30 सितम्बर, 1968 को

समाप्त होने वाले गत 6 महीनों में औद्योगिक उत्पादन में सुधार होने से स्थिति सामान्य हो गई है । लागत में वृद्धि मुख्यतः मजदूरी करार तथा मजदूरों को बढ़ाये गये लाभों के कारण हुई है किन्तु इसके प्रभाव को ठीक करने के लिए किसी अतिरिक्त पग उठाने की आवश्यकता नहीं ।

खनिज निक्षेपों का विदोहन

3963. **डा० रानेन सेन :** **श्री सोताराम केसरी :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खनिजों के ज्ञात निक्षेपों से खनिजों के निकालने में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ; और

(ग) खनिज निक्षेपों से खनिजों को तेजी से निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) जी, नहीं। वास्तव में देश में ज्ञात खनिज निक्षेपों के उपयोग में समस्त रूप से उन्नति अच्छी रही है । सन् 1948 में देश में खनिज उत्पादन का कुल मूल्य 64 करोड़ रुपये था, जो कि 1963 में बढ़ कर 258.74 करोड़ रुपये और 1966 में बढ़ कर 302·61 करोड़ रुपये हो गया । खनिज उत्पादन का परिमाण-सूचकांक भी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रवृति दिखाता रहा है। सन् 1960 में 100.0 को आधार मानने पर 1963 के लिये परिमाण-सूचकांक 123.3 था और 1966 के लिये यह 135.0 था । और भी , लौह-अयस्क और अलौह धातुओं, विशेषतया, एल्यूमिनियम और जस्ते के विकास और उत्पादन में भी पर्याप्त प्रगति की गई है ।

तथापि, तांबा-अयस्क, हीरे फ्लूओरस्पार, पाइराइट आदि जैसे कुछ खनिजों के विषय में प्रगति कुछ धीमी रही है, जिस के मुख्य कारण तांबा अयस्क के संबंध में प्रद्रावक की स्थापना के लिये उपयुक्त विदेशी सहयोग प्राप्त करने में कठिइनायां, प्रवाह-पत्रों, खनन कार्यक्रमों के तैयार करने में और उपयुक्त खनन तथा परिष्करण मशीनरी प्राप्त करने में तकनीकी कठिनाइयां, आदि हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने कोयला, लौह-अयस्क, हीरे, तांबा, सीसा और जस्ता, मैंगनीज, बौक्साइट, सोना और फ्लूराइट आदि जैसे महत्वपूर्ण खनिज निक्षेपों के विकास और उपयोग के लिये सरकारी क्षेत्र के उद्यम स्थापित किये हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को भी खनिज निक्षेपों के विकास और उपयोग के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

वर्धा में ढलाई और गढ़ाई का कारखाना

3964. **श्री गार्डिलिगन गौड :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा में ढलाई और गढ़ाई कारखाना परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कम्पनियों के प्रबन्धक निदेशकों द्वारा धन का प्रयोग

3965. **श्री गाडिलिंगन गौड:** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय--कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि कम्पनियों के प्रबन्धक निदेशकों ने कम्पनियों के धन का उचित प्रयोग किया है, सरकार के पास कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार अंशधारियों के हितों की किस प्रकार रक्षा करती है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम में, कम्पनियों के कार्य को उनके लेखाओं में, जो स्वतन्त्र लेखा-परीक्षकों द्वारा जांचे जाते हैं, एवं तब हिस्सेदारियों के समक्ष उपस्थित किये जाते व कंपनी रजिस्ट्रारों को भी प्रस्तुत किये जाते हैं सही अथवा प्रकट किये जाने की व्यवस्था है । यदि लेखाओं की परिनिरीक्षा करने से किन्हीं अनियमितताओं का पता चलता है अथवा, कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो लेखाओं की किताबों का निरीक्षण करने के लिए कम्पनी अधिनियम, में उपबन्ध है । जहां, निधि इत्यादि के प्रतारण अपकारण अथवा दुरुपयोग बताती हुई प्रथमदृष्टया सामग्री प्राप्त होती है, तो वहां, जांच-पड़ताल के आदेश दिये जा सकते हैं । प्रबन्ध को हटाने के लिये न्यायालय में जाने तथा एक विशेष व्यक्ति, एक निदेशक का पद संभालने के लिए योग्य तथा उचित व्यक्ति है अथवा नहीं, इसके लिए एक निर्णय अभिलेखन करने के लिए भी, सरकार के पास उपलब्ध है । न्यायालय द्वारा प्रतिकूल उपपत्ति के मामले में, संबंधित व्यक्ति अपने पद से हटाया जा सकता है, व हटाने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि तक, निदेशक का पद अथवा किसी कम्पनी के प्रबन्ध से संबंधित कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता ।

1966-67 में औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

3966. **श्री गोडिलिंगन गौड :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967-68 में राज्यवार तथा उद्योग-वार कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 1967 और 1968 (31.7.68) तक की अवधि में जारी किये गये लाइसेंसों का राज्यवार और उद्योगवार दो विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2627/68]

बलगारिया से व्यापार करार

3967. **श्री विश्वनाथ :** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगामी वर्षों में व्यापार के बारे में भारत और बल्गारिया के बीच किसी नये व्यापार करार पर हाल ही में हस्ताक्षर हुये हैं ; और

(ख) यदि, हाँ तो इसका ब्यौरा क्या ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ।

(ख) हाल ही में एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल सोफिया गया था। व्यापार-वार्ता की समाप्ति पर भारत तथा बल्गारिया जन गणराज्य के बीच 18 अक्तूबर, 1968 को एक नये पंचवर्षीय व्यापार तथा भुगतान करार पर हस्ताक्षर किये गए। नये करार के अन्तर्गत पारस्परिक व्यापार के उत्तरोतर विकास की व्यवस्था है। यह करार 1-1-1969 से लागू होगा तथा इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में भेज दी गई हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में लौहे अयस्क के मूल्य

3968. **श्री एस० आर० दामानी : श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अस्यक के निर्यात मूल्यों को गिराने से रोकने के लिये भारत द्वारा लौह-अयस्क निर्यात करने वाले अन्य मुख्य देशों से परामर्श किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) आस्ट्रेलिया से प्रतियोगिता के फलस्वरूप इन देशों के निर्यात में कितनी कमी हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। भारत तथा अन्य विकासशील देशों, जो लौह-अयस्क के प्रमुख निर्यातक हैं, के बीच इस वर्ष सितम्बर में केराक्स (वेनेजूएला) में परामर्श हुआ।

(ख) भारत के अतिरिक्त अन्य भाग लेने वाले देश ये थे :—पेरू, चिली, ब्राजील, वेनेजूएला, मौरितानिया तथा लाइबेरिया। परामर्श अभी भी प्रारम्भिक जांच की स्थिति में है।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खुर्दा और बोलनगीर के बीच रेलवे लाइन

3969. **श्री अ० दीपा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में बरास्ता दासपुल्ला-पूर्णकटक-तारोखा खुर्दा और बोलनगीर के बीच रेलवे लाइन बनाये जाने के बारे में क्या कोई अभ्यावेदन सरकार को भेजे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जांच से पता चला कि यह लाइन लाभप्रद नहीं होगी। अतः इसे बनाने का विचार नहीं है।

तालचेर और बरहामपुर के बीच रेलवे लाइन

3970. श्री अ० दीपा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में अंगुल–बोइन्डा–अथमल्लि पुराना कटक-फूल–बनी से होती हुई तालचेर तथा बरहामपुर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के लिये सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी हां।

(ख) अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण, निकट भविष्य में तालचेर-बरहामपुर लाइन के निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं है।

इस्पात उत्पादों का विविधिकरण

3971. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में की गई एक समीक्षा से पता लगा है कि यदि इस्पात उत्पादों के विविधिकरण के लिए तुरन्त कार्यवाही न की गई तो आगामी कुछ वर्षों में भारतीय लोह/ इस्पात के निर्यात में भारी कमी होने की संभावना है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों पर इस आवश्यकता के बारे में जोर दिया है ; और

(ग) निर्यात को अधिक लाभदायक बनाने के लिए उत्पादन के वर्तमान ढांचे में किस प्रकार परिवर्तन किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :

(क) से (ग) हाल में किये गये पर्यवेक्षण से पता चला है कि चूंकि पश्चिमी एशिया और दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों में पुनर्बेलन-सुविधाएं सुलभ हो रही है उन देशों में छड़ों की मांग घट रही है। इसलिये निर्यात हेतु इस्पात के उत्पादों का विविधिकरण आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये किये जा रहे उपायों में से एक उपाय यह है कि परम्परागत छड़ों के स्थान पर अति लचीली छड़ों का उत्पादन किया जा रहा है। दोनों सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को अपने उत्पादन प्रतिमानों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता से अवगत करा दिया गया है।

जापान में इस्पात का कम उत्पादन लागत

3972. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री रा० कृ० सिंह :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की तुलना में जापान में इस्पात की उत्पादन लागत बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिन से जापान को सस्ते दर पर इस्पात उत्पादन करने में सहायता मिली है ; और

(ग) भारत में उन परिस्थितियों को किस हद तक लागू किया जा सकता है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :

(क) जापान में इस्पात की उत्पादन लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह बात प्रायः सर्व विदित है कि भारत की तुलना में जापान में इस्पात की उत्पादन लागत संभवतः कम है।

(ख) जापान को सहायक मुख्य बातें है :–अच्छी किस्म का कच्चा माल विशेषतः कोयला, कम पूंजीगत लागत, उत्तम प्रौद्योगिक प्रक्रियायें और कम कर्मचारी ।

(ग) जहां तक वर्तमान इस्पात कारखानों का सम्बन्ध है, इनमें से कुछ बातों का प्रयोग करने की गुंजाइश केवल प्राद्योगिक सुधार करने तक ही सीमित रहेगी। फिर भी नये कारखानों को ऐसे स्थानों पर लगाया जा सकता है जिससे वे बढ़िया किस्म के आयातित कोयले का लाभ उठा सकें ।

भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल

3973. श्री ज्योतिमय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1967 से 30 जून, 1968 तक सरकारी तथा गैर-सरकारी कितने व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने विदेशों का दौरा किया था ;

(ख) उन पर कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) क्या इन दौरों के फलस्वरूप विदेशों के साथ हमारे व्यापार की स्थिति में सुधार हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सुधार का स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 1 जनवरी, 1967 से 30 जून, 1968 की अवधि में 27 सरकारी, 17 गैर-सरकारी व्यापार प्रतिनिधि-मन्डल विदेशों में गये ।

(ख) सरकारी प्रतिनिधि-मन्डलों पर लगभग 3,44,000 रु० और गैर-सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों पर लगभग 1,37,000 रु० खर्च हुए ।

(ग) और (घ) जी हां। जनवरी-जून 1968 की अवधि में हमारे निर्यात 604 करोड़ रु० के हुए जबकि 1967 को उसी अवधि में 576 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात हुए थे।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार

3974. श्री ज्योतिमय बसु : औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों (जिन के विदेशों के साथ सहयोग के करार हैं) की एक सूची सभा-पटल

पर रखेंगे जिनमें विदेशी सहयोगियों के (1) 50 प्रतिशत से अधिक (2) 40 प्रतिशत से अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम (3) 25 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत से कम आर्डनरी शेयर हैं ;

(ख) प्रत्येक फर्म में सहयोग करने वाले विदेशियों के नाम तथा उनकी राष्ट्रीयता क्या है; और

(ग) जिन मामलों में विदेशी सहयोगियों को 50 प्रतिशत से अधिक आर्डनरी शेयर रखने की अनुमति दी गई है उनमें सहयोग की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1951–52 से ले कर भारतीय कम्पनियों के नाम, स्वीकृत राशि, विदेशी हिस्सेदारों के नाम तथा उनके हिस्से का प्रतिशत दिखाने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। आधे से अधिक हिस्सा तथा आधे से कम हिस्सों वाले पृथक-पृथक दो विवरण दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2628/68]।

(ग) विदेशी सहयोग के करारों की शर्तों के ब्यौरे को गोपनीय समझा जाता है।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार

3975. श्री ज्योतिमय बसु : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956-57 से 1967-68 के दौरान वर्षवार तथा उद्योगवार विदेशी सहयोग सम्बन्धी कितने करारों पर हस्ताक्षर किये गये ; और

(ख) 1956-57 से 1967-68 में वर्षवार कितनी कम्पनियों में (जिन्होंने विदेशों के साथ सहयोग के करार किये हुये हैं) विदेशी विनियोजकों को 50 प्रतिशत से अधिक आर्डनरी शेयर रखने की अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1956 से अब तक स्वीकृत किये गये विदेशी सहयोग की संख्या सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2629/68] इन सहयोगों के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्योग शामिल हैं—लौह तथा धातु के उत्पाद, मोटर गाड़ी, मशीनी औजार, तथा छोटे औजार, औद्योगिक मशीन तथा उपकरण, वैद्युत उपकरण अकार्बनिक रसायन, औषध तथा भेषज, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, कांच, पैट्रोलियम तथा पैट्रो-रसायन, ट्रैक्टर, रेल के इंजन, परामर्शदात्री तथा इंजीनियरी सेवाएं।

(ख) ऐसी कम्पनियों की संख्या का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें विदेशी पूंजी अधिक मात्रा में लगी हुई थी और जिन्हें पूंजी के आरम्भिक निर्गम के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।

रेलवे आरक्षण

3976. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में वे कौन-कौन सी रेल गाड़ियाँ हैं जिनमें रेलवे द्वारा सब स्थानों का आरक्षण किया जाता है ; और

(ख) इस व्यवस्था से भीड़-भाड़ में कितनी कमी हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) नीचे लिखी गाड़ियों में समूचा स्थान आरक्षण के लिए उपलब्ध होता है :-

(1) 25/26 बम्बई सेन्ट्रल-नयी दिल्ली/अमृतसर वातानुकूल एक्सप्रेस (सप्ताह में) तीन बार)

(2) 8/82 हवड़ा-नयी दिल्ली/अमृतसर वातानुकूल एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार

(3) 95/96 बम्बई वि० ट०-हवड़ा वातानुकूल एक्सप्रेस (नागपुर के रास्ते-सप्ताह में एक बार)

(4) 97/98 मद्रास सेन्ट्रल-बम्बई वि० ट० वातानुकूल एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार)

(5) 99।100 मद्रास सेन्ट्रल-हवड़ा वातानुकूल एक्सप्रेस (सप्ताह में एक बार)

(6) 79।80 नयी दिल्ली-आगरा छावनी ताज एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

(ख) ऊपर लिखी गाड़ियों में केवल उतने ही यात्री बुक किये जाते हैं जितने कि स्थान उपलब्ध होते हैं, इसलिए इन गाड़ियों में भीड़ नहीं होती ।

रेलवे स्टेशनों पर चाय के स्टाल

3977. श्री हेमराज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के नरपुर, जालारा, जवान वाला शहर, अतूर, गंगवाल, गुलेर, ज्वालामुखी रोड, काँगड़ा-नगरौत, भगवान और पालमपुर स्टेशनों पर चाय के कोई स्टाल नहीं बनाये गये हैं तथा ठेकेदारों को बर्षा में खुले में स्टाल लगाने पड़ते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके लिये कब तक छत वाले स्टालों की व्यवस्था की जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) नूरपुर रोड (न कि नूरपुर पर ठेकेदार ठेले और ट्रे पर चाय आदि की बिक्री करते हैं । तलारा (न कि जलारा) पर जवान वाला शहर और गुलेर स्टेशनों पर ठेकेदार को चाय की बिक्री के लिए भेज दी हुई हैं । इन स्टेशनों पर बहुत कम यात्री आते-जाते हैं और खोमचे के ठेकेदारों को ग्राहक बहुत कम मिलते हैं । इसलिये इन स्टेशनों पर चाय की दुकानों की व्यस्था करने का कोई औचित्य नहीं है और यात्रियों के लिये चाय की बिक्री के वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त समझे गये हैं । अतूर और मंगवाल स्टेशनों पर ठेकेदार अपने खर्च पर दुकान बनाने के लिये सहमत हो गये हैं लेकिन, चूंकि पोंग बांध के बनने से इन स्टेशनों की वर्तमान स्थान-स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिये इन दुकानों के बनाने का काम आस्थगित रखा गया है । ज्वालामुखी रोड, कांगड़ा और नगरौता स्टेशनों पर रेल परिसर के भीतर चाय की दुकानों की व्यवस्था कर दी गई है । गाड़ियों के आने-जाने के समय प्लेटफार्मों पर रखी मेजों से यात्रियों को चाय दी जाती है । ये प्रबन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं । "भगवान" नाम का कोई स्टेशन नहीं है । सम्भवतः आशय भरभाड़ स्टेशन से

है जहां पर खोमचे का कोई ठेका नहीं है। पालमपुर पंजाब (न कि पालमपुर) स्टेशन पर चाय की एक दुकान की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

पठानकोट स्टेशन पर वस्तुओं की बुकिंग

3978. श्री हेंमराज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट से कांगड़ा घाटी सैक्शन के अप स्टेशनों के लिये वस्तुओं को बारी-बारी बुक किया जाता है और पठानकोट स्टेशन पर बड़ी लाइन के लिये प्राप्त होने वाली वस्तुओं को अप स्टेशनों के लिये बुक करने तथा वहां भेजने में काफी समय लगता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार कांगड़ा घाटी सैक्शन के अप स्टेशनों को ऐसी वस्तुओं को तुरन्त बुक करने तथा भेजने के लिये क्या कार्यवाही करने का है जो पठानकोट में बड़ी लाइन पर जैसे ही आती है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) पठानकोट से कांगड़ा घाटी खण्ड के स्टेशनों के लिए माल की बुकिंग पूर्णतः प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। लेकिन, पठानकोट के रास्ते अन्य स्टेशनों से कांगड़ा घाटी खण्ड के स्टेशनों को जो माल बुक होता है, उसके यानान्तरण में कभी-कभी कुछ विलम्ब हो जाता है। इस विलम्ब के कई कारण हैं, जैसे एकदम काफी मात्रा में माल आ जाना, छोटी लाइन के चल स्टाक का प्रर्याप्त रूप से उपलब्ध न होना आदि। उपलब्ध साधनों के भीतर इन विलम्बों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इस खण्ड पर, जो कि अलाभप्रद हैं, चल-स्टाक बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी लगाना सम्भव नहीं है।

Black-Marketing by a Motor Company of Bombay

3979. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a case of black-marketing against a prominent motor company of Bombay was pending before the Indusrial Tribunal;

(b) whether it is also a fact that the case has now been hushed up; and

(c) if so, the reasons for hushing up the case ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) The required information has been called for from the Government of Maharashtra and will be laid on the Table of the House on receipt.

सोननगर स्टेशन पर रेल दुर्घटना

3980. श्री म० ला० सोंधी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोननगर स्टेशन पर 15 नवम्बर, 1968 को रेल दुर्घटना वाली तारीख को गाड़ी के ड्राइवर ने लाल सिगनल की ओर ध्यान नहीं दिया था; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्ति को दण्ड देने तथा यदाकदा होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की है। जांच की रिपोर्ट का इन्तजार है, जिसके मिलने पर यह मालूम होगा कि दुर्घटना का कारण क्या था और उसके लिये कौन जिम्मेदार है।

(ख) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना जगाने और दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए रेलें पहले से ही एक चौमुखी संरक्षा-अभियान-शिक्षाप्रद, मनोवैज्ञानिक, दण्डात्मक और प्रौद्योगिक में लग हुई हैं।

उद्योग, विकास तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन

3981. श्री म० सुदर्शनम : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग–विकास और विनियमन अधिनियम के लाइसेंसिंग उपबन्धों में और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के लाइसेंस देने सम्बन्धी उपबन्धों में और आगे संशोधन करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी, कुछ उद्योगों को (उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29-ख के अन्तर्गत) लाइसेंस देने सम्बन्धी उपबन्धों के अधिनियम से कुछ उद्योगों को छूट देने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है। ऐसे उद्योगों की सूची जिसे लाइसेंस से मुक्त किया जाना है अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं की गई है।

Reseavation of Seats For M. PS. While Coming To Delhi

3932. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware that the Members of Parliament are not able to get their seats reserved in Railway trains on a number of occasions while coming to Delhi from their constituencies and they have to pass night at Railway stations.

(b) if so, the steps Government propose to take to remove this difficulty; and

(c) whether Government would arrange to reserve some seats for Mambers of Parliament at Kanpur so that while coming from District Banda, they may not experience any difficulty in getting seats in 11 Up and Lucknow Express at Kanpur ?

The Minister of Railways Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). Every effort is made by the Railway Administrations to arrange reservation for Mambers of Parliament. A serious view is taken of any instance in which a Mamber of Parliament may be inoonvenienced for reservation having not been provided to him.

Members of Parliament, when undertaking journey connected with Parliament work can reserve First Class accommodation 30 days in advance as against 20 days permitted

for general public. In regard to reqests from Members of Parliament for reservation of accommodation required for journeys to be performed at short notice; the Railway Administrations make every endeavour to comply with such requests; the Railway administrations have also been instructed that if the H. O. R. quota set aside on various trains is not utilized by the High officials entitled for it, wait-listed Members of Parliament travelling in connection with Parliamentary work should be given preference over others in allotment of accommodation from the unutilised H. O. R. quota. Instructions have also been issued to Railways to set apart suitable quotas of First Class berths by important trains between State capitals and Delhi/New Delhi and these quotas are to be allotted perferentially to Members of Parliament travelling to and from their constituencies during the session periods.

For reservation of accommodation in trains for journeys between Kanpur and Delhi/New Delhi in 11 Up and 83 Up, the following quotas are allotted to Kanpur ;---

11 **Up Howrah Delhi Express**	
Air-conditioned First Class	-- 2 berths
First Class	-- 18 berths including 2 in H. O. R.
Second Class	-- 2 berths
83 **Up Lucknow-Delhi Express**	
First Class	-- 10 berths including -- 2 in H. O. R.
Third Class	-- 16 sleepers

Reqests fer reservation for Members of Parliament in 11 Up and 83 Up, are complied with within the quotas indicated above, utilising the H. O. R. quotas preferentially for Members of Parliament when such quotas are not required for High officials.

भारतीय कपड़े का आस्ट्रेलिया को निर्यात

3983. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में इस बात के संकेत मिले हैं कि आस्ट्रेलिया को निर्यात किये जाने वाले भारतीय कपड़े के व्यापार में न केवल वृद्धि हुई है बल्कि इसमें और वृद्धि की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आस्ट्रेलिया में भारतीय कपड़े की नई मांग को जानने के कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और भारतीय व्यापार में और वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) 1968 में आस्ट्रेलिया को सूती कपड़े के निर्यातों में अभी तक वृद्धि का रुख दिखाई दिया है । आस्ट्रेलिया को सूती कपड़े के भारतीय निर्यात में और वृद्धि की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिये, हाल

ही में आस्ट्रेलिया के प्राधिकारियों, जिनमें आस्ट्रेलिया का टैरिफ बोर्ड तथा व्यापार मंत्रालय भी शामिल हैं, के साथ बातचीतें हुई हैं । आस्ट्रेलिया में कपड़े की जिन किस्मों की मांग है उनका तथा इन मदों के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का समय समय पर विस्तृत अध्ययन किया गया गया है । आस्ट्रेलिया के बाजार को निर्यातों में वृद्धि के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपयुक्त किस्म प्रस्तुत करने के लिये अब विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी

3984. **श्री रामावतार शास्त्री** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान पश्चिम रेलवे में रेलवे पुलिस या रेलवे संरक्षण दल द्वारा बहुत से रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) उनको गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों की कितनी-कितनी सजा हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) 275

(ग) चोरी, आरिष्ट, आपराधिक न्यासभंग आदि अपराधों और रेल सम्पत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 तथा बम्बई पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के लिए ।

(घ) अब तक 8 व्यक्तियों को 5 रुपये से ले कर 20 रुपये तक जुर्माने की सज़ा दी गयी है ।

Night Duty Allowance to Technical Supervisors of Eastern Railway

†3985. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Technical Supervisors on the Railways are entitled to to night duty allowances ;

(b) whether it is also a fact that despite this rule, the Technical Supervisors on the Eastern Railway are not paid night duty allowance at all ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to pay them night duty allowance ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, provided they are drawing pay upto Rs. 470/—(AS) per month and are classified as 'Continuous' or 'Intensive' under the Hours of Employment Regulations, and perform duties between 22 hours and 6 hours. In the case of workshops, only Chargemen and Mistries are eligible for night duty allowance.

(b) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

पूर्व रेलवे के स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की स्वीकृत संख्या

3986. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे पर स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की (वर्गवार) स्वीकृत संख्या क्या है :

(ख) इस समय स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के पदों की संख्या क्या है ; और

(ग) रेलवे बोर्ड के दिनांक 9 अप्रैल, 1964 के पत्र संख्या पी० सी० 60/ पी० एस–5–टी० सी०–3 के अन्तर्गत स्टेशन मास्टरों और असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों (वर्गवार) के पदों के वितरण की वास्तविक संख्या क्या होनी चाहिए ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० म० पुनाचा) :

	रेतनमान	स्टेशन मास्टर	सहायक स्टेशन मास्टर
(क)	450-575	3	–
	370-475	5	–
	335-425	18	–
	250–380	31	69
	205-280	426	574
	130–240	–	1901
		483	2544
(ख)	450-575	3	–
	370-475	5	–
	335-425	17	–
	250-380	31	69
	205-280	426	574
	130-240	–	1901
		482	2544
(ग)	450-575	57	–
	370-475		–
	335-425		–
	250-380		50
	205–280	426	585
	130–240	–	1909
		483	2544

झांसी और मिर्जापुर जिलों में खनिज

3987. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झाँसी और मिर्जापुर जिलों के दक्षिणी भागों को, जिन्हें सामान्यता खनिज निक्षेपों के लिए बंजर समझा जाता था, वह क्षेत्र अब लोह-अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और निकल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने क्षेत्र में मुख्यतः अलौह-धातुओं की तीव्रीकृत भूतल और अपस्तल खोज के लिये कार्यक्रम तैयार किये हैं और उनके अनुसार काम कर रही है ।

पोलैंड के साथ व्यापार समझौता

3988. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 अक्तूबर 1968 को वारसा में भारत तथा पोलैंड के बीच एक दीर्घकालीन व्यापार तथा भुगतान संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) भारत तथा पोलैंड के बीच 39 अक्तूबर, 1968 को वारसा में एक पंचवर्षीय व्यापार तथा भुगतान करार पर हस्ताक्षर हुए थे जो 1.1969 से लागू होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार के विविधीकरण के उद्देश्य से आदान-प्रदान किये जाने वाले माल की सूचियां काफी विस्तृत कर दी गई हैं। एक दीर्घकालीन समझौता भी हुआ है जिसके अन्तर्गत पोलैंड भारत को गंधक और यूरिया का अधिकाधिक मात्रा में संभरण करेगा। भारतीय एंजीनियरिंग माल की खरीद में पर्याप्त वृद्धि करने पर भी पोलैंड सहमत हो गया है।

उत्तर प्रदेश में तांबे और सीसे के निक्षेप

3989. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि उत्तर प्रदेश की तीन सीमान्त जिलों अर्थात् अलमोड़ा, पिथोरागढ़ तथा चमौली जिलों में तांबे तथा सीसे के निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :

(क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और जब उपलब्ध होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली-कालका मेल में लाश का पाया जाना

3990. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 अक्तूबर, 1968 को जब डाउन दिल्ली-कालका मेल गाड़ी हावड़ा पहुँची तो लोहे के एक ट्रंक में एक युवती की क्षत विक्षत लाश मिली थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) 27 अक्तूबर, 1968 को, नं० 2 डाउन कालका-दिल्ली-हवड़ा डाक गाड़ी के हवड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 9 पर पहुँचने के बाद, जब यात्री गाड़ी से उतर कर प्लेटफार्म से चले गये, तो सरकारी रेलवे पुलिस के एक सिपाही ने देखा कि दूसरे दर्जे के एक डिब्बे के सामने प्लेठर्फाम पर एक ट्रंक और एक बिस्तर-बन्द पड़ा हुआ है। सिपाही उस सामान को लावारिस सम्पत्ति के रूप में प्लेटफाम निरीक्षक के कार्यलय में ले गया । चूँकि सामान के हिलने से दुर्गन्ध निकलने लगी थी, इसलिए हवड़ा-स्थित सरकारी रेलवे पुलिस के कमांडिग अफसर को बुलाया गया और सामान खोलने पर उसमें से टुकड़े-टुकड़े किया हुआ एक मृत शरीर निकला । चार टुकड़े ट्रंक में पाये गये और एक टुकड़ा बिस्तर-बन्द में पाया गया । अभी मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है । लेकिन पहचान करने के लिए पुलिस सभी सुराग लगा रही है । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ।

(ग) संविधान के अधीन, रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और सरकारी रेलवे पुलिस की है । सरकारी रेलवे पुलिस इन अपराधों की रोकथाम के लिए उपाय करती है और लम्बे सफर वाली खास-खास गाड़ियों में पहरे की व्यवस्था करती है । लावारिस सामान पर निगाह रखने के लिए उन्होंने अपने कर्मचारियों को और सतर्क कर दिया है ।

बेसिन पर रेलवे पुल

3991. **श्री रा० को० अमीन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालघर तथा बम्बई के बीच बेसिन पर एक पुल गाड़ियों के हिचकोलों के कारण कमजोर पड़ रहा है ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों को इस पुल के टूटने की सम्भावना के बारे में चेतावनी दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय पालघर और बम्बई के बीच बसीन क्रीक पर बने हुए पुल से है । यदि हां, तो पुल के कुछ फेंडर पाइलों और बेयरिंगों का नवी-

करण उपेक्षित है, जो किया जा रहा है, हालांकि गाड़ियों के झटकों के कारण पुल कमजोर नहीं पड़ रहा है ।

गुजरात राज्य में माल डिब्बों की मांग

3992. **श्री रा० की० अमीन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य में नमक निर्माता माल डिब्बों की लगातार मांग करते रहते हैं ;

(ख) क्या परिवहन की कठिनाइयों के कारण नमक उद्योग को भारी नुकसान पहुँचा है : और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि परिवहन में कोई विशेष कठिनाई नहीं थी । मनुष्यों के उपयोग में आने वाले नमक की ढुलाई नमक आयुक्त द्वारा निर्धारित और रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय योजना में नमक आयुक्त द्वारा निर्देशित कोटे तक अग्रता श्रेणी "ग" के अन्तर्गत की जाती है। जो नमक इस कार्यक्रम में नहीं आता उसकी ढुलाई अन्य सामान्य माल यातायात के साथ रजिस्ट्रेशन की तारीख के अनुसार अग्रता श्रेणी "ङ" के अन्तर्गत की जाती है । लेकिन विभिन्न उद्योगों के लिये कच्चे सामान के रूप में अपेक्षित नमक की ढुलाई अग्रता श्रेणी "घ" के अन्तर्गत की जाती है । कार्यक्रम के अनुसार और विना कार्यक्रम के ढोये जाने वाले दोनों तरह के नमक के लिये अधिकतम डिब्बे उपलब्ध करने का प्रयास किया जाता है । 1 मई से 20 नवम्बर, 1968 तक पश्चिम रेलवे में स्थित गुजरात राज्य के नमक उत्पादन-केन्द्रों से कार्यक्रम के अनुसार ढोये जाने वाले नमक के लिए बड़ी लाइन के 6028 और मीटर लाइन के 14007 तथा बिना कार्यक्रम के ढोये जाने वाले नमक के लिए वड़ी लाइन के 3281 और मीटर लाइन के 15887 माल डिब्बे लादे गये जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में कार्यक्रम के अनुसार ढोये जाने वाले नमक के लिए बड़ी लाइन के 5736 और मीटर लाइन के 11928 तथा बिना कार्यक्रम के ढोये जाने वाले नमक के लिए बड़ी लाइन के 2853 और मीटर लाइन के 14520 माल डिब्बे लादे गये थे । अक्टूबर और नवम्बर, 1968 में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में लाइन टूट जाने के कारण असम और उत्तरी बंगाल को नमक का यातायात अस्थायी तौर पर स्थगित करना पड़ा था ।

श्रीलंका में भारतीय साड़ियों का बहिष्कार

3993. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री हुकुम चन्द कछवाय :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका में भारतीय साड़ियों का बहिष्कार कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) भारत सहित सभी स्रोतों से श्रीलंका में साड़ियों के आयात पर जुलाई, 1967 से रोक लगी हुई है। चूंकि भारत के विरुद्ध कोई विभेद निहीं किया जाता अतः सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लघु उद्योग आयोग

3994. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि के० डी० मालवीय समिति ने लघु उद्योग आयोग के सदस्यों में व्यापक परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मालवीय समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं और उन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

विदेशी तकनीशनों के बारे में परिपत्र

3995. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने कोई परिपत्र जारी किया है कि सभी विदेशी तक्नीशनों को कार्य मुक्त कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो वह परिपत्र क्या है और उसे जारी करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीय तक्नीशन सिद्धान्त में तो योग्य हैं परन्तु स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर उन्होंने उत्पादन की मात्रा तथा किस्म खराब कर दी है और अनुभव न होने के कारण कई उद्योगपतियों को अत्यधिक हानि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय तक्नीशनों के विदेशी तक्नीशनों के अधीन व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने तक सरकार का विचार इस परिपत्र के अमल में लाने को स्थगित करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसी कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

3996. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादक्ता परिषद् के संचालन पर कितना वार्षिक व्यय होता है, दस प्रमुख अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके मासिक वेतन तथा प्रालब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय उत्पदक्ता परिषद् ने मई, 1967 में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा स्टोर, बम्बई के परामर्शदाता का काम किया था; यदि हां, तो उसकी उपाधियां क्या हैं ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे कार्य लिये गये हैं ; और

(घ) प्रतिवेदन अब तक प्रस्तुत न किये जाने के क्या कारण हैं और उसे कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (घ) जानाकरी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2630/68]

पार्सल क्लर्कों का तबादला

3997. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली मेन, नई दिल्ली तथा दिल्ली डिवीजन के अन्य स्टेशनों पर काम कर रहे कुछ पार्सल क्लर्कों के तबादले के आदेश 1967 और 1968 में जारी किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या तबादले के इन सभी आदेशों का पालन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में इन पर पालन न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) लगभग 125 में से 11 कर्मचारी स्थानान्तरण पर नहीं जा सके हैं क्योंकि उनके वर्ग में कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें कार्यभार से मुक्त नहीं किया जा सका। उत्तर रेल प्रशासन इस मामले पर विचार कर रहा है।

मडुआदिब से बाराबंकी के निकट के स्टेशनों तक बड़ी लाइन

3998. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी के निकट मडुआदिब से भटनी, देवरिया, गोरखपुर तथा गोंडा के रास्ते बाराबंकी के निकट किसी स्टेशन तर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बड़ी लाइन के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : वाराणसी (मंडुआडीह) से भटनी हो कर गोरखपुर तक और गोरखपुर से गोंडा तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसके साथ गोंडा और बाराबंकी के बीच अतिरिक्त बड़ी लाइन बनाने के औचित्य का निश्चय करने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षणों की मंजूरी दे दी गयी है। उपर्युक्त सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने और रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्टों पर विचार कर लेने के बाद यह निर्णय किया जायेगा कि इन मीटर लाइनों की बड़ी लाइन में बदला जाय या इन्हें मीटर लाइन ही रहने दिया जाय।

श्रीलंका को निर्यात

3999. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उन निर्यातकों को प्रोतसाहन नहीं दिया जाएगा जो अपनी वस्तुओं का निर्यात श्रीलंका को करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब कि कुछ निर्यातकों ने अपना माल भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त के द्वारा भेजा था तथा जिनकी वस्तुओं को उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क अधिकारियों ने जून, 3, 1966 से पहले निर्यात की अनुमति दे दी थी जो कि 6 जून, 1968 की अधिसूचना जारी किये जाने से पहले की तिथि है, फिर भी उनमें से कुछ को तो प्रोत्साहन दिया गया है, और कुछ को नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) निर्यातों का गन्तव्य चाहे कोई भी हो, सामान्यतः नकद सहायता के रूप में निर्यात सहायता दी जाती है। किन्तु भारत सरकार द्वारा अन्य सरकारों को दी गई ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्यातों पर नकद सहायता को जहाज पर मूल्य के अधिकतम 15% तक सीमित करने का विनिश्चय किया गया है। यदि उत्पाद कम प्रतिशत के लिये पात्र है तो वही लागू होगा। अन्य सुविधाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) निर्यात उच्चायुक्त अथवा राजदूतावास के माध्यम से नहीं किये जाते तथा प्रश्न में मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है। यह समझते हुए कि '6 जून, 1968' के बजाए '6 जून, 1966' होगा, प्रश्न यह प्रतीत होता है कि 6 जून, 1966 को रुपये के अवमूल्यन से पूर्व लागू निर्यात संवर्द्धन योजना के अंतर्गत अनुमेय सुविधाएं 6 जून, 1968 से पूर्व भारतीय सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा निर्यात के लिये अनुमत कतिपय खेपों को क्यों नहीं दी गई। यदि ऐसा है तो उत्तर यह है कि निर्यात संवर्द्धन योजना के अंतर्गत सुविधाओं को देने के प्रयोजन के लिये लदान-पत्र की तारीख को निर्यात की तारीख माना है।

Delhi-Palwal Shuttle Train

4000. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that about 7,000 commuters travel daily by Delhi-Palwal Shuttle train resulting in very heavy rush and danger to lives ;

(b) whether it is also a fact that the delay in the improvements effecting in the train timings and in increasing the number of bogies is due to the fact that the said shuttle has to pass through the Northern and the Central Zones ; and

(c) the action Government propose to take in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) no.

(b) No.

(c) Does not arise.

Appointment of Scheduled Caste Traffic Trainees of Northern Railway

4001. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he received any letter/representation on the 28th August, 1968 regarding the appointment of Scheduled Caste Traffic Trainees of the Northern Railway on alternatative posts ;

(b) if so, the decision taken thereon ; and

(c) the difficulty in appointing such trained candidates on alternative posts in the lowest class III category ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, regarding an ex. Traffic Apprentice.

(b) An offer of appointment as a clerk in the scale of Rs. 110-180 has since been sent to the concerned individual.

(c) Apart from the fact that no guarantee of alternative appointment is given to a candidate who is unable to complete successfully the prescribed training for the post for which he had been recruited, the question of suitability of such a candidate for another category of posts also arises. If appointed thereto, he has again to be given sume more training to make him fit for the alternative post. Condidates duly selected and qualified for that category may be available and they will have a legitimate grievance if their prior claim for appointment is ignored by appointing a candidate who has already been found unfit for another railway post. Above all, a post should also be available to acconmodate such a failed candidate and this fact has assumed greater importance these days as highest prority has to he given for absorption of surplus staff against all available vacancies in preference to taking direct recruits.

Supply of Meals to Traffic Apprentices in Trainig School, Muzaffarpur.

4002. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Officers of the North-Eastern Railway misused Rs.22, 397.77 by supplying meals free of cost in an illegal manner to the Traffic Apprentices in the Training School, Muzaffarpur from October, 1961 to December, 1965;

(b) the names and designations of the officers found responsible for this misuse ;

(c) the nature of punishment awarded to them for this misuse; and

(d) the manner in which the loss of this money has been compensated ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) The matter is stiil under consideration. It is expected to be finalised shortly.

(b) to (d) Does not arise at present.

तालचेर और रूरकेला के बीच रेल सम्पर्क

4003. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप बन्दरगाह न्यास ने तालचेर और रूरकेला के बीच रेल सम्पर्क बनाने तथा प्रस्तावित परियोजना की चौथी पंचवार्षीय योजना में प्राथमिकता देने के बारे में सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि तालचेर-बिमलागढ़ रेल सम्पर्क की लागत और आर्थिक क्षमता का अनुमान लगाने के लिए 1969-70 में आवश्यक सर्वेक्षण किया जाये ।

अभ्रक के उत्पादन में कमी

4004. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में अभ्रक उत्पादन बहुत कम हो गया है जब कि इस से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अभ्रक उत्पादन में कितनी तुलनात्मक कमी हुई है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये गये है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य (हजार रुपयों में)
1965	37,531	110,091
1966	30,467	128,349
1967	21,172	148,958
1968 (जनवरी-अगस्त)	16,223	94,018

(ग) अधिकतर खान मालिकों द्वारा उत्पादन में गिरावट के लिये बताये गये विभिन्न कारण, पैगमेटाइट में अभ्रक का निम्न केन्द्रीकरण, अलाभकारी कार्यकरण, श्रीमकों की कमी और खनन मशीनरी तथा फालतू पुर्जों से संबंधित कठिनाइयां आदि बताये जाते हैं ।

(घ) किसी वर्ष के उत्पादन में ह्रास का उसी वर्ष या अगले वर्ष के निर्यात मूल्य

के साथ सह-सम्बन्ध दिखाना संभव नहीं । जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से दिखाई देगा पिछले तीन वर्षों में रुपयों के रूप निर्यात मूल्य बढ़ा है :-

वर्ष	निर्यात का कुल मूल्य हज़ार रुपयों में
1965	110,091
1966	128,349
1967	148 958
1968 (जनवरी-अगस्त)	94,018

(ङ) अभ्रक के मुख्यतः निर्यात-अनुस्थापित माल होने के कारण इसका उत्पादन निर्यात-मांग और अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट की परिस्थितियों के अनुसार होता है । अभ्रक निर्यात संवर्धन परिषद् ने, जो कि अभ्रक के निर्यात-व्यापार की देख-रेख करती है, निर्यात-शुल्क में कमी करने का सुझाव दिया है । यह विषय इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

मोटर गाड़ियों के टायरों का उत्पादन

4005. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ उत्पादकों को मोटरगाड़ी के टायरों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) मोटर गाड़ियों के टायरों की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के परिणामस्वरूप देश में होने वाली टायरों की कमी किस सीमा तक दूर हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने मोटर गाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों के उत्पादन में 14.5 लाख की संख्या तक वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है, जो निम्न प्रकार है:-

कारखाने का नाम	स्वीकृत क्षमता	टिप्पणी
1. डनलप इण्डिया लि० (अम्बबूर कारखाना)	250,000 संख्या	विस्तार
2. मद्रास रबड़ फैक्टरी लि०	250,000 संख्या	विस्तार
3. मीट टायर आफ इण्डिया लि०	250,000 संख्या	विस्तार
4. इनचेक टायर लि०	300,000 संख्या	विस्तार
5. मोदी इण्डस्ट्रीज लि०	400,000 संख्या	नया कारखाना

(ग) कुछ खास किस्म के ट्रैक्टरों, स्कूटरों / मोटर साइकिलों तथा ट्रकों के टायरों को

छोड़ कर देश लगभग मोटर गाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों की आवश्यकताओं के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। स्वीकृत की गई अतिरिक्त क्षमता का क्रियान्वयन लगभग दो वर्षों में हो जायगा। इस अतिरिक्त क्षमता में केवल उन श्रेणियों के टायरों का ही ध्यान नहीं रखा गया है जिसकी इस समय कमी है बल्कि अधिक संख्या में मोटर गाड़ियों के उत्पादन के कार्यक्रम के अन्तर्गत इनका उत्पादन आरम्भ होने के बाद लगभग तीन वर्षों तक टायरों की मांग में जो वृद्धि होगी उसकी पूर्ति भी हो सके यह भी ध्यान रखा गया है। वर्तमान उत्पादन क्षमता से तथा उस उत्पादन क्षमता से जो संतुलनकारी उपकरणों के जरिये स्थापित की जायेगी अगले दो वर्षों में टायरों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

4006. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में मैंगनीज अयस्क के निर्यात में भारी कमी हुई है और देश ने बहुत सी विदेशी मंडियों को खो दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 300 खान बन्द होने वाली हैं ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कितनी तुलनात्मक कमी हुई है ;

(घ) इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ग) पिछले छः वर्षों में भारत से हुए मैंगनीज अयस्क के निर्यात नीचे दिये गये हैं :-

वर्ष	मात्रा (हजार मे० टनों में)
1962	908
1963	932
1964	1569
1965	1369
1966	1168
1967	1083
1968 (जनवरी से अक्तूबर)	1010

यह ठीक है कि पिछले दो वर्षों में पहले के वर्षों की तुलना में निर्यातों में कमी हुई है।

(ख) सरकार को उन मैंगनीज की खानों की संख्या के विषय में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है जो निर्यातों में कमी होने के परिणामस्वरूप बन्द होने ही वाली हैं।

(घ) उपभोग केन्द्रों के निकट सप्लाई के नये स्रोत निकल आना, बद्ध-खानो का विकास, औद्योगिकीय उन्नति होने के फलस्वरूप इस्पात के उत्पादन में मैंगनीज अयस्क पर पहले से कम निर्भरता तथा भारत से होने वाले निर्यातों पर अपेक्षतः अधिक समुद्री भाड़ा, ये कारण उन प्रमुख कारणों में से कुछ हैं जिनका भारतीय मैंगनीज अयस्क के निर्यातों पर प्रभाव पड़ा है ।

(ङ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपने विक्रेता-अभिकर्ताओं के माध्यम से प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ निकट सम्पर्क रखा हुआ है । निर्यात आदेशों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए यह निगम विदेशों में प्रतिनिधिमण्डल भी भेजता रहा है । इसने मैंगनीज अयस्क के निर्यात अधिकतम करने के लिए विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों एवं व्यापार-मिशनों की सेवाओं का भी लाभ उठाया है ।

राज्य विद्युत चालित करघा योजना

4007. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्र द्वारा चलाई जा रही विद्युत करघा योजना को दूसरे स्थानों पर चलाया जाये क्योंकि वे इस योजना के लिये अपनी आय का 25 प्रतिशत भाग नियत करने में समर्थ नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के क्या नाम हैं ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत उन राज्य सरकारों को बिजली से जलने वाले कितने करघों को स्थापित करने की आवश्यकता होगी ;

(घ) इस योजना के लिये कितना धन दिया जायेगा ;

(ङ) यदि उन्होंने विद्युत चालित करघे लगाये हैं तो उनकी संख्या क्या है ; और

(च) उपरोक्त भाग (क) के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरशी) : (क) जी हां ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य को 7,300 विद्युत-चालित करघों का आवंटन किया गया है । राज्य सरकार को सहकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विद्युत-चालित करघों को वितरित करने की स्वतन्त्रता दी गई है । केवल सहकारी क्षेत्र में आवंटित किए गए विद्युत-चालित करघों को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों से 75:25 के अनुपात में सहायता प्राप्त करने का हक है ।

(ङ) महाराष्ट्र में कोई नहीं ।

(च) विद्युत करघा स्थापित करने की योजना को केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजना के रूप में स्वीकार करने के अनुरोध को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है ।

रेलवे कर्मचारियों के धारणाधिकारों का परिवर्तन

4008. **श्री दी० च० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक क्लर्क यूनिट से दूसरे क्लर्क यूनिट में कर्मचारियों के धारणाधिकारों में परिवर्तन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते क्योंकि प्रत्येक यूनिट की वरिष्ठता शाखा-वार होती है ;

(ख) क्या अभी भी कुछ ऐसे मामले हैं जहां उत्तर रेलवे में विशेषकर टेलीफोन आपरेटरों के लिए धारणाधिकारों में परिवर्तन की अनुमति दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो धारणाधिकारों के उक्त अदल-बदल की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यूनिट में कार्य कर रहे कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों को सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) सामान्यतः लियन में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता ।

(ख) से (घ) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मल्का गंज दिल्ली के निकट स्थित कब्रिस्तान में ट्रक अड्डे का हटाया जाना

4009. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल्कागंज, दिल्ली के निकट कब्रिस्तान में ट्रक अड्डा हटा दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वक्फ बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद (क) : जी नहीं ।

(ख) ट्रक यूनियन से पट्टे के करार की अवधि अगस्त, 1968 में समाप्त हो गई अंजुमन-ए-राइयां के सचिव को अनुदिष्ट किया गया है कि वह पट्टे करार का नवीकरण न करें और ट्रक अड्डे को हटवायें। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अनुदेशों का पालन न करने के कारण दिल्ला वक्फ़ बोर्ड द्वारा वक्फ़ अधिनियम के खण्ड 43 (1) के अधीन कार्यवाही की गई है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि हटाये न जाने के लिये मुतवल्ली के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन कार्यवाही क्यों न की जाय । वक्फ अधिनियम, 1954 के खण्ड 36-बी के अधीन भी कार्यवाही की गई है और दिल्ली के कलक्टर को लिखा गया है कि वह वक्फ़ की भूमि को वर्तमान अनाधिकृत निवासियों से हस्तगत कर दिल्ली वक्फ़ बोर्ड को सौंपें ।

Reservation of Beds for Staff Nurses on the N.E. Railway

4010. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that beds are not reserved for staff nurses in the Medical Department of the North-Eastern Railway, Gorakhpur;

(b) whether it is also a fact that beds are given to outdoor patients by receiving money from them and rurses are not able to get beds when they fall ill; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. The beds are not reserved for any particular category of staff in any Department including the staff nurses of the Medical Departmant on Railways.

(b) No.

(c) Question does not arise.

हिन्दुस्तान जिंक लिण्टिेड में जस्ते की चादरों का जमा होना

4011. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या स्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या जस्ते का वास्तविक प्रयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा जस्ते के उदार आयात के कारण हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में उत्पादित जस्ते की चादरें बड़ी मात्रा में जमा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने में जमा स्टाक को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में उत्पादित जस्ते की चादरों की कीमते आयातित चादरों की कीमतों से अधिक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लागत को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)

(क) उदार आयात नीति के अन्तर्गत जारी किये गये आयात लाइसेन्सों के विरुद्ध बहुत अधिक मात्रा में जस्ता धातु के आ जाने के परिमाण स्वरूप हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के पास जस्ता धातु का कुछ संग्रह हो गया था। इस्पात संयंत्रों द्वारा अपने जस्ता चढ़ाने के एककों में इस जस्ते के उपयोग में अरुचि भी स्वदेशी इलक्ट्रोलाइटिक जस्ते की उठान में कमी का कारण थी, क्योंकि उनका ऐसा अनुभव मालूम पड़ता है कि इसमें सीसा जैसे सूक्ष्मात्रिक तत्व धातुओं की प्रतिशतता उन विशिष्टिओं के अनुरूप नहीं जिसके कि वे अभ्यस्त थे।

(ख) सरकार ने स्वदेशी उत्पादकों के पास जस्ता धातु के स्टाकों के संग्रह हो जाने संबन्धी स्थिति का पुनर्विलोकन किया और परिस्थिति को सुधारने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं। स्वदेशी उत्पादकों द्वारा उत्पादित जस्ता धातु देश में विभिन्न उपभोक्ता

उद्योगों को पुनः आवंटित किया गया है, जिससे संचयित स्टाक उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है। इस के साथ ही सरकार ने जस्ता धातु को आयात-उद्देश्यों के लिये "वास्तविक उपभोक्ता प्रतिबन्धित" वर्ग के अंतर्गत रख कर इस का आयात भी सीमित कर दिया है।

(ग) क्योंकि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का जस्ता प्रद्रावक अभी उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में है अतः जस्ता धातु के उत्पादन-लागत के विश्वसनीय अनुमान इस समय उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जा रहे जस्ता धातु का मूल्य आयातित धातु के मूल्य से अधिक है।

(घ) कम्पनी द्वारा उत्पादित जस्ता धातु के ऊँचे मूल्य का एक कारण राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा जस्ता प्रद्रावक को तुलनात्मक रूप से ऊँची दर पर बिजली सप्लाई करना है। बिजली की दर में कमी किये जाने का प्रश्न राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। कम्पनी उत्पादन लागत के अन्य अवयवों को कम करने की सम्भावनाओं की भी खोज कर रही है।

घाना के साथ व्यापार वार्ता

4012. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाना के व्यापार मन्त्री हाल में दिल्ली आये थे ;

(ख) यदि हां, तो व्यापार तथा उद्योग के किन विशिष्ट क्षेत्रों के लिये भारतीय उद्योगपतियों से सहायता मांगी गई थी ; और

(ग) घाना के साथ वर्तमान व्यापार सन्तुलन की स्थिति क्या है तथा इस बातचीत के परिणामस्वरूप उस देश को निर्यात तथा वहां से आयात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्यमंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) जी, हां। 12 से 25 नवम्बर 1968 के दौरान घाना के व्यापार आयुक्त (मंत्री के समान पद) श्री फ्रांसिसको रिविरो अये ने भारत की यात्रा की थी।

(ख) और (ग) 1967-68 में भारत तथा घाना के बीच व्यापार संतुलन निम्नलिखित था :—

घाना से आयात	:	5.65 लाख रु०
घाना को निर्यात	:	8.99 लाख रु०
	शेष	3.34 लाख रु०

श्री अये मुख्यतः दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के इच्छुक थे। जबकि इस समय परिमाणात्मक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है तथापि बातचीत से यह संकेत मिला कि भारत तथा घाना के बीच व्यापार प्रवाह को बढ़ाने तथा उसमें विविधता लाने की काफी गुंजाइश है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि इंजीनियरी तथा रासायनिक क्षेत्रों में उत्तम

माल का संभरण करने की भारतीय क्षमता क्या है। इन प्रारम्भिक वार्ताओं के बाद राजनयिक अथवा अन्य माध्यमों से अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है।

मशीन टूल इंडस्ट्री की समस्याएं

4013. श्री न० कु० सांघी : श्री रा० बरुअ :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित एक औद्योगिक दल ने मशीन टूल इण्डस्ट्री, जो कि अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर रही है, की समस्याओं के बारे में भारतीय इंजीनियरिंग संस्था से विस्तार से बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद (क) और (ख) इन्जीनियरिंग एसोसिएशन आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि विश्व बैंक द्वारा भेजे गए औद्योगिक शिष्टमण्डल के सदस्यों की एसोसिऐशन के कुछ सदस्यों के साथ 7 नवम्बर, 1968 को बैठक हुई थी उसमें मशीनी औजार उद्योग में हाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा हुई थी। इस शिष्टमण्डल का उद्देश्य उन कारकों, जो कि औद्योगिक उत्पादन में हाल की प्रवृत्तियों को विनियोजन तथा व्यापार को प्रभावित करते हैं, के बारे में सांख्यकी आंकड़े तथा जानकारी इकट्ठी करना है जो कि बैंक के सामान्य आर्थिक अध्ययन में आता है।

कोरबा में एल्युमिनियम परियोजना को स्थापित करने के बारे में भारत और रूस के बीच करार

4014 श्री न० कु० सांघी : श्री सीताराम केसरी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत एल्यूमीनियम कम्पनी और रूस एजेंसी 'तजाहप्रोमेक्सपोर्ट', मास्को के बीच एल्यूमीनियम परियोजना, मध्य प्रदेश के बारे में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना पर क्या खर्च आने का अनुमान है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक):

(क) जी, हां।

(ख) समझौता के संक्षिप्त ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) सोवियत अभिकरण प्रायोजना के मुख्य उत्पादन एककों, अर्थात् प्रद्रावक और गढ़ाई की सुविधाओं, से संबंधित भाग की ही विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। सभी सहायक और गौण सुविधाओं के विषय में तथा समस्त प्रायोजना के लिये प्रायोजाना रिपोर्ट भारतीय अभिकरण के द्वारा तैयार की जायेगी ;

(2) मैसर्स जाजप्रोमएक्सपोर्ट ने भारतीय विशेषज्ञों को डिजाइन कार्यों में, जो कि वह सोवियत संघ की डिजाइन संस्थाओं में करेंगे मिलाना भी स्वीकार कर लिया है ;

(3) विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट का सोवियत प्रभाग समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने की तिथि से 11 महीनों में भारतीय दल को प्रस्तुत किया जायेगा ;

(4) विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के साथ सोवियत संघ ने जानकारी तथा एकस्वो और लाईसेन्सों के उपयोग-अधिकारों को जो कि उनके हैं और जिन की प्रायोजना के लिये आवश्यकता है, हस्तान्तरण करना भी स्वीकार कर लिया है ;

(5) मैसर्स जाजप्रोमएक्सपोर्ट को 10 लाख रूबलों की, जो लगभग 83.3 लाख रुपयों के बराबर है, फीस दी जायेगी ।

(ग) प्रद्रावक और गढ़ाई संयंत्रों की पूंजीगत लागत का विश्वसनीय अनुमान विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के तैयार हो जाने के पश्चात् ही उपलब्ध होगा ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में उपस्थिति दर्ज कराने वाली मशीनों का नष्ट किया जाना

4015. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री अदिचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में उपस्थिति दर्ज करने वाली 40 मशीनों को जान बूझकर अब तक नष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मशीनों को किन परिस्थितियों में नष्ट किया गया ; और

(ग) क्या आयातित मशीनों को जान बूझकर नष्ट किये जाने के बारे में जांच-पड़ताल की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

4016. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अदिचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि जबकि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को शीघ्रता दक्षता प्राप्त करने के लिये आवश्यक अनुभव प्राप्त करना चाहिये वे नये क्रम आदेश नहीं ले रहा है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन बोकारो इस्पात परियोजना को 1970-71 तक अपेक्षित 90,000 टन मशीनरी उपकरण तथा ढांचे सप्लाई करने की स्थिति में नहीं होगा और क्या यह भी सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि बोकारो परियोजना स्वयं निर्धारित समय से एक वर्ष पीछे रह जायेगी और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के पास मशीन, उपकरणों तथा ढांचों के ऐसे कितने ऋयादेश हैं जिनके अनुसार सामान सप्लाई नहीं किया गया है और यह ऋयादेश हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की मिलों को काम पर लगाये रखने के लिए किस हद तक पर्याप्त हैं और अतिरिक्त ऋयादेश प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–ऋर्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) यह तथ्य नहीं है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन नये ऋयादेशों की उपेक्षा कर रहा है । उपलब्ध निर्माण सुविधाओं, विद्यमान ऋयादेशों तथा आवश्यक निर्माण तथा तैयारी अवधि को दृष्टगत रख निविदायें प्रस्तुत की जाती हैं ।

(ख) तथा (ग) यह तथ्य नहीं है कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए दिए ऋयादेश प्राप्त 98.00 मी० टन उपकरणों तथा ढांचों के सम्भरण करने की स्थिति में नहीं है । वास्तव में बहुत से उपकरणों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है । ये उपकरण, जो कि अत्यन्त जाटिल हैं और देश में पहली बार ही निर्मित किए जा रहे हैं, जहां तक इनके संभरण कार्यक्रम का सम्बन्ध है यह कई कारणों पर निर्भर करता है विशेषकर डिजाइन प्रलेखों का सम्भरण प्रवाह इस्पाती चादरों तथा अन्य कच्चे माल की उपलब्धि तथा रूस से आयातित पुर्जों का संभरण, आदि । हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन बोकारो की विभिन्न वस्तुओं का श्रीघ्रातिशीघ्र संभरण करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है । संभरण के पुनरीक्षित कार्यक्रम को बोकारो अधिकारियों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है । भारी मशीन निर्माण संयंत्र के पास 1.11.1968 को भुगतान न किये गये कुल ऋयादेश 91.470 मी० टन के मशीनी वस्तुओं के, 34.456 मी० टन ढांचों के और 45 मशीनी औजारों के थे । भारी मशीन संयंत्र के पास 45 मशीनों के निबटाये न गए ऋयादेश थे । यह ऋयादेश भारी मशीन निर्माण संयंत्र को 1971-72 तक व्यस्त रखेंगे । फिर भी कुछ अन्य वस्तुओं, विशेषकर जटिल उपकरणों के निर्माण के लिए क्षमता उपलब्ध होगी जहां तक भारी मशीन औजार संयंत्र का सम्बन्ध है क्षमता का निर्माण किया जा रहा है और उसमें प्रत्येक नमूने के मशीनी औजारों की स्थिति भिन्न होगी ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

4017. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, ने प्रतिरक्षा संस्थान में एक रोलिंग मिल के संपूर्ण आधुनिकीकरण के लिये मशीनों और उपकरणों की सप्लाई के

लिये लगातार तीन बार निर्धारित की गई अन्तिम तिथियों की अब तक अवहेलना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सप्लाई किए जाने वाली अपेक्षित मशीनों और उपकरणों का मोटा ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) इस काम के लिये वर्तमान मिल की फिर से ठीक व्यवस्था करनी है। यह बहुत ही कठिन व जटिल कार्य है। इसमें वर्तमान उपकरणों में काफी परिवर्तन किया जायेगा, अनेक नए उपकरणों जैसे हॉट व्ल्यूम ट्रांसफर्मर, टूलिग बेड्स आदि जैसे नए उपकरण लगाने पड़ेंगे। एक नए स्थान पर स्केलमिट बनाना होगा तथा मोटर हाउस आदि में परिवर्तन करना होगा। काम की विभिन्न अवस्थाओं की पूर्ति के पहले निर्धारित की गई तारीखों में परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि उत्पादन संबन्धी अनेक समस्यायें थीं और विशेष रूप में कास्टिंग और फोर्जिंग की सप्लाई में कमी थी। इन कास्टिंग और फोर्जिग की सप्लाई का आर्डर गैर सरकारी फर्मों को दिया गया था जो निर्धारित तिथियों पर माल की सप्लाई नहीं कर सकी। 1967 में रांची में साम्प्रदायिक गड़बड़ी के कारण भी अन्य आर्डरों के साथ-साथ इस आर्डर की पूर्ति में विलंब हुआ। अब इस उपकरण के बारे में कार्य पूर्ण गति पर है तथा पहली व दूसरी अवस्थाओं का कार्य मार्च 1970 तक पूरा हो जायेगा। उस स्थान पर निर्माण तथा मशीनें लगाने का काम शीघ्र ही आरंभ किया जायेगा।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का गढ़ाई और ढलाई का कारखाना

4018. श्री स० कु० तापड़िया : श्री हिम्मतसिंहका :
श्री अदिचन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के गढ़ाई और ढलाई के कारखाने द्वारा निर्मित कुछ वस्तुएं विशेषकर भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए सप्लाई किये गए उपकरण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सप्लाई किए गए वे खोदने के बारे में कुछ प्रतिरक्षा उपकरण त्रुटिपूर्ण पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस गढ़ाई और ढलाई के कारखाने द्वारा अब तक निर्मित और सप्लाई किये गये त्रुटिपूर्ण उपकरणों और मशीनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गढ़ाई और ढलाई के इस कारखाने द्वारा इतनी अधिक मात्रा में त्रुटिपूर्ण उपकरण और मशीने बनाई जानें की क्या कारण हैं और भविष्य में ऐसी त्रुटियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के लिए अधिकांशतः ढले व गढ़े हुए पुर्जे बनाता है। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट विभिन्न ग्राहकों को सप्लाई करने के लिये अंतिम उत्पादन

बनाता है। विस्तार कारखाने के लिए भिलाई को सप्लाई करने के संबन्ध में कुछ दोष पाये गये थे जिनको हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने बदल दिया था और जहां तक झलाई का संबंध है यह काम वहीं जाकर सुधार दिया गया था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दिये गए उपकरणों की झलाई में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मेसर्स भारत इलेक्ट्रानिक को दिया गया गाइड बुश नामक उपकरण भी दोषपूर्ण पाया गया था।

(ख) और (ग) चूंकि ग्राहकों को माल की सप्लाई फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट द्वारा नहीं की जाती बल्कि हैवी इंजीनियरिंग कोरपोरेशन द्वारा की जाती है अतः खराब क्वालिटी के आधार पर गत पांच वर्षों में कारपोरेशन की जो-जो चीजें अस्वीकार की गई उनका एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2631/68]

इन दोषों का कारण यह है कि आरम्भिक अवस्था में कम्पनी के सामने कई समस्यायें थीं और ऐसी आशा की जाती है कि कंपनी उत्पादन विधियों के बारे में दक्षता प्राप्त कर लेगी और निकट भविष्य में ही इन आरम्भिक कठिनाइयों को दूर कर देगी।

उत्तर प्रदेश में विद्युत चालित करघों का लगाया जाना

4019. श्री लोबो प्रभु : क्या वाणिज्य मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में 10,000 विद्युत चालित करघे लगाने की अनुमति देने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान हथकरघों और विद्युत चालित करघों की बेकार क्षमता के बारे में विचार कर लिया है और यदि नहीं तो क्या प्रस्तावित विद्युत चालित करघों को मंजूरी देने से पहले उसका नमूना सर्वेक्षण करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि मद्रास और केरल राज्य में, जहां विद्युत करघे लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है पड़ोसी राज्यों से विद्युत चालित करघों के बने हुये करघे का निर्यात किये जाने के कारण हथकरघे बेकार हो रहे हैं जिससे उनकी धागे की मांग बहुत कम हो रही है ; और

(घ) यदि हां तो सरकार द्वारा उन विद्युत चालित करघों को लगाये जाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं जिन्हें वर्तमान मिलों ने आय-कर और श्रम विधियों से बचने के लिये पहले ही बड़े पैमाने पर निकाल दिया है तथा क्या सरकार इस बारे में नमूना सर्वेक्षण करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश को 10,300 विद्युत् चालित करघे आबंटित किए गए हैं।

(ख) जी हां। अतः नमूना सर्वेक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विद्युत चालित उद्योग की समस्याओं का पता लगाने के लिए भारत सरकार ने 1963 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक विद्युत चालित जांच समिति स्थापित की थी। सभी संगत तत्यों पर विचार करने के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची

कि चौथी योजना में कपड़े की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से 1,10,000 विद्युत चालित करघे लगाना आवश्यक है । सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली और विभिन्न राज्यों को विद्युत चालित करघे आबंटित किए गए हैं । एक राज्य से दूसरे राज्य में कपड़ा ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है चाहे वह मिल अथवा विद्युत् चालित करघे अथवा हथकरघे द्वारा बना हो ।

कलकत्ता पत्तन में माल के प्रवेश पर शुल्क

4020. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल के प्रवेश पर अधिक शुल्क के कारण व्यापारी कलकत्ता पत्तन को अलाभप्रद समझते हैं ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार शुल्क को कम करने के लिये कुछ उपाय करने तथा इस प्रकार निर्यात व्यापार बढ़ाने का है ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वाणिज्यिक पक्षों का यह मत रहा है कि कलकत्ता में पत्तन प्रभार अधिक हैं । पतन प्रभार सामान्यत: विभिन्न दृष्टिकोणों के संदर्भ में नियत किये जाते हैं जिनमें पत्तन संचालन व्यय, निर्यात संवर्धन की आवश्यकताएं आदि शामिल होती हैं । कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति की, जिसमें पत्तन प्रभारों का स्तर भी शामिल है, परिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है ।

(क) कलकत्ता पत्तन से निर्यातित माल पर लिये जाने वाले प्रभार आयातित माल पर लगने वाले प्रभारों की तुलना में कम हैं । यह रियायत निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से दी जा रही है ।

Hindi Name Plates at Railway Stations on N.E. Railway

4021. **Shri Meetha Lal Meena**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi name plates on several Railway stations on the North Eastern Railway have been smeared with coal tar;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the date by which the name plates would be cleaned and rewritten ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

कपास और पटसन खरीदने के लिये निगम

4022. **श्री बसुमतारी** : क्या वाणिज्य मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 511 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास और पटसन खरीदने के लिये निगमों की स्थापना करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निगमों के कार्य क्या होंगे और इनके मुख्यालय किन-किन स्थानों पर होंगे ।

वाणिज्य मंत्रालय में (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रुई तथा पटसन निगमों की स्थापना करने के प्रस्ताओं पर विचार किया जा रहा है, किन्तु ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में पूंजी विनियोजन

4023. श्री बसुमतारी क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री 20 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4469 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में पूंजी विनियोजन के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मन्त्री श्री राम सेवक : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना जो संसदीय कार्य विभाग को आश्वासन के परिपालन में अलग से भेज दी गई है निम्नलिखित है :—

निम्नलिखित सारणी में सरकारी क्षेत्र के राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मध्य प्रदेश) दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल), बोकारो (बिहार) और (पश्चिमी बंगाल में) दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखानों की स्थापना/विस्तार पर 31-3-68 तक हुआ कुल पूंजीगत व्यय दिखाया गया है:—

कारखाना	कुल पूंजीगत व्यय	विदेशी मुद्रा
1. राउरकेला इस्पात कारखाना	3716.3	1812.8
2. भिलाई इस्पात कारखाना	3726.9	1613.1
3. दुर्गापुर इस्पात कारखाना	2658·2	1167.5
4. बोकारो इस्पात कारखाना	925.5	236.9
5. मिश्र-इस्पात कारखाना	588.9	208.1

राउरकेला कारखाने के लिए विदेशी मुद्रा की आश्यकतायें अधिकांशतया पश्चिमी जर्मनी द्वारा दिये गये ऋण, भिलाई और बोकारो को सोवियत रूस द्वारा दिये गये ऋण और दुर्गापुर को यू० के० द्वारा दिये गये ऋण से पूरी की गई । मिश्र-इस्पात कारखाने के लिए विदेशी मुद्रा का खर्च मुख्यत: यन और कनेडा द्वारा दिये गये ऋणों से पूरा किया गया ।

वर्ष 1967-68 में सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों और गैर-सरकारी क्षेत्र के दो कारखानों का विक्रेय इस्पात का उत्पदन 4.56 मिलियन टन के लगभग था ।

वर्ष 1967-68 में 17.65 लाख टन लोहा और इस्पात (रद्दी लोहा भी शामिल है) निर्यात किया गया जिससे 645.8 मिलियन रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई ।

चौथी तंचवर्षीय योजना बनाने के सम्बन्ध में लोहे और इस्पात की दीर्घावधि मांग पर इस समय विचार किया जा रहा है

इस्पात का निर्माण और आयात

†4024. **श्री काशी नाथ पान्डेय** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री 13 अगस्त, 1968 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3871 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादन और आयात के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि में विदेशों से आयात किये गये प्रत्येक किस्म के इस्पात की कुल मात्रा और उसका मूल्य क्या है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) 1960-61 से 1966–67तक प्रमुख उत्पादकों द्वारा बिक्री योग्य कुल उत्पादित इस्पात तथा उसका मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है [पुस्तकालय में रखा गया। देखि एसंख्या एल ०टी० 2632/68]

(ग) उक्त अवधि में आयात किये गये इस्पात की किस्म और मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है [पुस्तक लयमें रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2632/68]

दुर्गापुर स्थित सरकारी मिश्र इस्पात कारखाने का विस्तार

†4025. **श्री काशी नाथ पान्डेय** : क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री 20 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित सरकारी मिश्र इस्पात कारखाने की क्षमता 1 लाख मीट्रिक टन से बढ़ा कर 3 लाख मीट्रिक टन करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री राम सेवक): (क) तथा (ख) चौथी योजना में इस्पात विकास कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मैसर्स दस्तूर एन्ड कम्पनी ने भी मिश्रित इस्पातों की मांग का सर्वेक्षण किया है और उनकी रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा। इन अध्ययनों के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर विस्तार योजनाओं पर अग्रेतर कार्यवाही की जागी।

विदेशी फिल्मों का आयात

4026. **श्री जुगल मंडल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 के दौरान भारत में किन–किन और कितनी संख्या में विदेशी फिल्मों का आयात किया गया ;

(ख) ये फिल्में किन–किन देशों से और कितनी कितनी संख्या में आयात की गयीं;

(ग) प्रत्येक आयाकर्ता ने इन फिल्मों से एकत्र कर के कितनी-कितती राशि विदेशों को भेजी और इनके नाम क्या हैं ,

(घ) प्रत्येक आयातकर्ता द्वारा कितनी राशि भारत में ही रखी और आयातकर्ताओं ने फिल्मों के आयात के बारे में भारत में रखी राशि का कैसे प्रयोग किया; और

(ङ) विदेशों को सरकारी तौर पर राशियों को भेजने की रीति क्या है और 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक फिल्म आयातकर्ता ने कितनी-कितनी राशि विदेशों को भेजी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) चूँकि आयातित फिल्मों के रिकार्ड संख्या तथा नाम के अनुसार नहीं रखे जाते अतः यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है[**पुस्तकालय में रखा गया** । देखिये संख्या एल० टी० 2633/68]

(ग) और (ङ) सोवियत संघ तथा मशीन पिक्चर्स ऐक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार किये गये हैं वैसे तो सोवियत संघ कि कोई राशि भेजने की अनुमति नहीं हैं पर संस्था की सदस्य कम्पनियों को कुल 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष भेजने की अनुमति है। वर्ष 1963-64 से 1967-68 तक संस्था की सदस्य कम्पनियों द्वारा भेजी गई राशियां संलग्न विवरण में (अंग्रेजी में) दी गई हैं ।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें प्रत्येक आयातक दारा भारत में रखी गई राशि दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2633/68] ये राशियां निरुद्ध लेखे में रखी गई हैं जो न तो भेजी जा सकती हैं और न तो फिल्मों के आयात में प्रयुक्त की जा सकती हैं ।

Additional Train Between Sawai Madhopur and Jaipur

4027. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be p leased to state:

(a) Whether Government propose to introduce an additional passenger train between Sawi Madhopur and Jaipur in view of the constant demand therefor from all quarters;

(b) if so, the date by which it would be introduced;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether it is a fact that only two trains are rn ubetween the said places in 24 hours ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(c) and (d) Sawai Madhopur-Jaipur Section is, at present, served by a to tal of 4 trains. An analysis of utilisation of existing services has revealed that there is no traffic justification for introduction of any additional service on this section at present.

Large Scale Industries in Rajasthan

4028. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state .

(a) whether Government propose to include in the Fourth Five Year Plan the programme for the development of large scale industries in Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A, Ahmed) : (a) and (b) The Fourth Five Yean Plan is yet to be finalised and the proposals of the State Government are under consideration. However, the Central Industrial Projects, namely the Khetri Copper Project and the Machine Tool Plant, Ajmer which are currently under implementation in Rajasthan are likely to be completed during the Fourth Plan.

दक्षिण-मध्य रेलवे के सेवा-निवृत्त कर्मचारी

4029. **श्री द० ब० राजू:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के 31 अक्तूबर, 1968 को कितने मामले क्रमश: तीन वर्षों, एक वर्ष और छ: महीनों से अधिक समय से अविचाराधीन थे ;

(ख) इन मामलों का अब तक फैसला न किये जाने के क्या करण हैं ;

(ग) इन मामलों का फैसला कब तक होने की सम्भावना है ; और

(घ) विजयवाड़ा डिवीजन में नामों सहित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Maintenance of Stocks in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

4030. **Shri J. Sunder Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that goods are stolen in large quantities from Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that the responsibility for maintenance of stocks has not been entrusted to any one in the Bhavan and if not, the particulars of the employee who has been entrusted with this responsibility;

(c) whether it is also a fact that the stocks are not maintained in terms of number or metre length of articles, but in terms of rupees which show inflated cost;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the total value and the details of the goods which were found short or in excess at the time of stock-taking for the years 1967-68 and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

4031. **Shri J. Sunder Lal** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7240 on the 16th April, 1968, and state :

(a) the action taken by Government or the Department concerned for investigating into the alleged acceptance of bribery in the Khadi Gramodyog Bhavan, New Dehli from the contractors engaged for dyeing and printing.

(b) if not, the reasons therefor in view of the assurance given by Government for finding out the factual position in the matter ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to ensure that appropriate action is taken against the persons indulging in corruption ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The factual position has been ascertained. The Commission has not received any complaint so far about any case of bribery in dyeing and printing contracts given by the Bhavan.

(b) and (c) Do not arise .

यात्री कार निर्माण कारखाना

4032. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक और यात्री कार निर्माण कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने की स्थापना सरकारी क्षेत्र में की जायेगी ; और

(ग) यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) कम कीमत वाली छोटी यात्रीवाहक कार के उत्पादन करने के कारखाने की गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) ऊपर निदेशित प्रायोजना के कार्यान्वयन के निर्णय के उपरान्त ही इन पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा सरकारी विभागों को कारों की बिक्री

4033. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभाग ने चालू वर्ष में राज्य व्यापार निगम से कितनी आयातित कारें खरीदीं ;

(ख) सरकार द्वारा खरीदी गई कारों का मूल्य क्या है ; और

(ग) यदि इन कारों को टेंडरों के द्वारा लोगों को बेचा जाता तो इससे राज्य व्यापार निगम को अनुमानतः कितनी आय होती ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) 8 कारें, जिनका मूल्य लगभग 3,15,545 रु० है ।

(ग) इसका सही अनुमान लगाना कठिन है कि यदि ये कारें टेण्डरों से वेची जातीं तो राज्य व्यापार निगम को इनसे कितना लाभ होता । उन मूल्यों को देखते हुए, जो ऐसी ही कारों के लिये खुले नीलाम में मिलें हैं, यह संभव है कि यदि ये कारें टेण्डरों से वेची जातीं तो लगभग 25 प्रतिशत अधिक मूल्य मिलते ।

बेलाडिल्ला में लौह अयस्क निकालना

4034. श्री रा० कृ० सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बेलाडिला खानों से प्रति वर्ष कितना लौह अयस्क निकालने का विचार है ;

(ख) कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जायेगा और यह निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा ; और

(ग) देश में इस्पात कारखानों द्वारा कितने लौह अयस्क की खपत की जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामसेवक) : (क) निक्षेप संख्या 14 से 40 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक निर्धारित क्षमता की तुलना में, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें कि प्रायोजना को चालू किया गया है, जापान को निर्यात की वचनबद्धता 18 लाख मैट्रिक टन की है, जिसके पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है । वर्ष 1969-70 के दौरान तथा उसके उत्तरवर्ती वर्षों में बेलाडिल्ला निक्षेप संख्या 14 से 40 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष, जो निर्धारित क्षमता है, के उत्पादन की प्रत्याशा है ।

(ख) निक्षेप संख्या 14 की खान का सारा उत्पादन जापान को निर्यात किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Company Law Administration

4035. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development** and **Company Affairs** be pleased to state the names and designations of persons working in the office of the Company Law Administration ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed): There is no office styled as the Office of the Company Law Administration; but if information is sought in respect of the names and designations of persons working in the Department of Company Affairs that information in respect of the officers of that Deparment is contained at page 469 of the latest Delhi Telephone Directory for March, 1968, aud at page 1007 of the Times of India Directory and Year Book for 1968 and such other reference books.

Prosecutions Launched against the Companies

4036. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development** and **Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of companies in respect of which cases of income tax evasion and corruption were detected by the Company Law Administration during 1966-67 and 1967-68

(b) the names of the companies against which prosecutions were launched and the names of the companies which were blacklisted.

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed): (a) Under the powers vested in the Company Affairs Department, it cannot investigate or take action in cases ofincome tax evasion and corruption. However, if in the course of enquiries under the Companies Act suspicious circumstances are noticed regarding tax evasion or corruption, relevant information is passed on to the concerned Departments, for further action. As the Company Affairs Department does not detect such cases, the question of giving names of companies involved does not arise.

(b) In view of the reply at (a) above, the question of prosecution by the Company Affairs Department or blacklisting does not arise.

North Eastern Railway Stores Department

4037. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Divisional Office of the North Eastern Railway Stores Department was opened under an Assistant Controller of Stores ; and

(b) if so since when and the duties and functions of this office ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Employees in Railway Ministry

4038. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the category-wise names and designations of employees in his Ministry, Railway Board, Railway Sevice Commissions and in each Zonal Railway who have benefited from Ministry of Home Affair's Office Memorandum No. 9/45/60-Establishment dated 20th April 1961 upto October, 1968 ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : These orders apply only to the staff in the Railway Board's Office who are governed by orders issued by the Home Ministry for other Secretariat Staff. The number of staff in Railway Board's Office who have been benfited from this Office Memorandum is as under :

Class III.....66
Class IV.....33

पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात

4039. **श्री गु० चं० नायक :** **श्री दे० अमान :**
श्री महेन्द्र मांझी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में पारादीप पत्तन से कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया और सप्लाई के स्रोत कौन-कौन थे ;

(ख) प्रत्येक स्रोत ने कितनी-कितनी मात्रा में लौह अयस्क की सप्लाई की ;

(ग) आगामी तीन वर्ष में पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(घ) इस पत्तन से निर्यात किये जाने वाले विभिन्न किस्मों के लौह-अयस्क के निर्यात मूल्य क्या हैं ;

(ङ) वारविल, बांसपानी और बाराजामदन क्षेत्र से कितनी मात्रा में लौह अयस्क की सप्लाई होने की आशा है ;

(च) डौक यार्ड पर लौह आयस्क की वसूली लागत क्या है और विभिन्न स्रोतों से लागत के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ; और

(छ) क्या इस्पिया पत्तन खुल जाने के बाद पारादीप पत्तन में किये जाने वाले निर्यात पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ,

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी मुहम्मद कुरैशी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में पारादीप पत्तन से लौह-अयस्क के निर्यात, सप्लाई के स्रोतों सहित, नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	वास्तविक निर्यात	मात्रा लाख मे० टनों में सप्लाई का स्रोत	
		वारविल/बांसपानी बाराजमदा क्षेत्र	दायतरी टोंका
1966 (वर्ष का उत्तर भाग)	0.24		0.24
1967	5.96	4.27	1.69
1968 (जनवरी-नवम्बर)	9.5 (लगभग)	8.5	1.00

(ग) तथा (ङ) : पारादीप पत्तन से अगले तीन वर्षों में लौह-अयस्क का प्रत्याशित निर्यात, सप्लाई के स्रोतों सहित निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लक्ष्य	मात्रा लाख मे० टनों में सप्लाई का स्रोत	
		बाराजमदा क्षेत्र	दायतरी
1969-70	20.0	13.0 से 15.0	5.0 से 7.0
1970-71	30.0	15.0	15.0
1971-72	35.0	15.0	15.0 से 20.0

(घ) तथा (च) : लौह अयस्क के अत्यन्त प्रतिस्पर्द्धात्मक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों के निर्यात मूल्य, उनके वसूली मूल्यों तथा उत्पादन लागत के अलग-अलग आंकड़ों सम्बन्धी वाणिज्यक ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा ।

(छ) जी, नहीं ।

लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के निक्षेप

4040. **श्री गु० चं० नायक :** **श्री दे० ग्रमात :**

श्री महेन्द्र मांझी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय खान ब्यूरो तथा उड़ीसा और बिहार सरकारों ने क्योंझर, सुन्दरगढ़ तथा सिंहभूम जिलों में लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक जिले में लौह निक्षेप हैं ;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक जिले में गत तीन वर्षों में लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की कितनी मात्रा निकाली गई है तथा कितनी निर्यात की गई है और विभिन्न इस्पात कारखानों के प्रयोग के लिये कितनी भेजी गई ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में बिहार के क्योंझर तथा सिंहभूम जिलों के बारबिल, बांसपानी तथा बराजमदा क्षेत्र से लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क कितनी मात्रा में सिकाल कर रूर्-केला इस्पात कारखाने को भेजा गया ;

(ङ) इन क्षेत्रों से रूरकेला इस्पात कारखाने तक इसकी ढुलाई पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(च) क्या इस क्षेत्र से बरसुआन अथवा रक्षी (बोजमुंडा और बरसुआन लाइन) रेल लाइन का निर्माण करना व्यवहार्य है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और जब उपलब्ध होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्व रेलवे पर नियंत्रण करने वाले स्वचालित यंत्र

4041. **श्री चित्तिबाबू :** क्या रेलवे मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में दुर्घटनाओं की संभावना को रोकने के लिये परीक्षण के रूप में रेल गाड़ियों का नियंत्रण करने वाले स्वचालित यंत्र का प्रयोग किया जायेग ;

(ख) यदि हां, तो इस यंत्र का मूल्य कितना है ;

(ग) यह कब तक लगाया जायेगा ; और

(घ) यह वास्तव में कहाँ पर लगाया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, ।

(ख) 55.7 लाख रुपये ।

(ग) आशा है, यह काम उत्तरोत्तर अक्तूबर 1970 से मार्च 1971 तक चालू कर दिया जायेगा ।

(घ) निम्नलिखित खण्डों पर स्वचल गाड़ी नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी :—

(i) मुख्य लाइन और हवड़ा-बर्दवान कार्ड के रास्ते हवड़ा-बर्दवान खण्ड ।

(ii) ग्रांड कार्ड के रास्ते बर्दवान-गया-मुगलसराय खण्ड ।

कुडेरमुख लौह-अयस्क परियोजना

4042. **श्री लोबो प्रभु** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुडरेमुख लौह-अयस्क की अग्रिम परियोजना में मंजूरी दिये जाने के बाद कितने समय का विलम्ब हो गया है, इसके क्या कारण हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा रहा है ;

(ख) कुडरेमुख तक सड़क का निर्माण कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इसकी अग्रिम परियोजना के लिये भी इसकी आवश्यकता है ;

(ग) इस सड़क को करकला से हो कर बनाये जाने के क्या कारण हैं जबकि उसकी उपसड़कें अधिक हैं और चौड़ाई भी बेलथानबगड्डी से अधिक है ; और

(घ) इस बात को देखते हुए कि बन्दरगाह परियोजना को 1972 तक कुडरेमुख से लौह-अयस्क की सप्लाई होने की सम्भावना है, लौह-अयस्क परियोजना का वर्तमान कार्यक्रम क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा कुद्रेमुख लौह-अयस्क निक्षेपों के तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता और प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन किये जाने के लिये सरकार की अन्तिम अनुमति 19, अक्टूबर, 1968, को दी गई थी, जिसके उपरान्त 15 नवम्बर, 1968, से 25 नवम्बर, 1968, तक निगम ने विदेशी साझेदारों के साथ विस्तृत बातचीत की और 1 दिसम्बर, 1968, से अध्ययन प्रारंभ किये । अतः कार्य प्रारंभ करने में कोई देरी नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आगे ही राज्य सरकार को शीघ्रतापूर्वक सड़कें सुधारने तथा आवश्यक पुलों का निर्माण करने के लिये कह चुका है । निगम ने राज्य सरकार को कारकल-माला-भगवती सड़क के संरेखन को, जो कि मंगलौर से कुद्रेमुख (प्रल्लेश्वर) के लिये न केवल सब से अच्छी योजक होगी बल्कि राज्य सरकार को माला-भगवती क्षेत्र की विपुल बन सम्पदा के उपयोग में लाने के लिये भी सहायक होगी, चौथी पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट करने की और संरेखन के लिये सर्वेक्षण को शीघ्रता से करने की प्रार्थना की है ।

(घ) मंगलौर बन्दरगाह के विकास का पहला क्रम, जिस की पूर्ति 1972 तक की जानी है, कुद्रेमुख के अयस्क की उपलब्धता को विचार में नहीं लेता । कुद्रेमुख के लिये वर्तमान् मंजूरी तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनों और प्रायोगिक संयंत्र जांच कार्यक्रम तक ही सीमित है, जिसे अब से 18 महीनों के अन्दर पूरा किया जाना निर्धारित है । कुद्रेमुख निक्षेपों के वाणिज्यक

उद्योग के लिये मुख्य प्रायोजना के विषय में, 1970 के लगभग मध्य तक सम्भाव्यता अध्ययनों के पूरा कर लिये जाने के उपरांत ही, निर्णय लिया जायेगा ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

4043. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम अथवा निगम के तकनीकी परामर्शदात्री ब्यूरो में अनियमितताओं के बारे में एक संसद सदस्य द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 1968 को लिखित पत्र प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो वे अनियमितताएं क्या हैं और उन अनियमितताओं की जांच के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) आरोपित अनियमितताएं इनके बारे में थीं :—

(1) काम के घंटों में वृद्धि ;

(2) समयोपरि (ओवरटाइम) भत्ते का दिया जाना ;

(3) 1600-2000 के वेतनक्रम में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति ;

(4) वायु अनुकूलन यंत्रों की खरीद ;

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा शाप संस्थापन अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का रजिस्ट्रेशन न किया जाना ;

इनके बारे में जाँच की जा रही है ।

Manufacture of Cheap Scooters

4044. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that it is proposed to set up a factory to manufacture cheap scooters in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the location thereof, when the work is proposed to be started and the numher of persons who would get employment thereby ?

The Minister of Industrlal Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) One of the three parties, whose schemes are being considered for the manufacture of scooters, has applied for the establishment of the unit at Ghaziabad in Uttar Pradesh. A descision in regard to the grant of licence to one of the three parties under consideration is expected to be taken in the near future. If ultimately the party that has applied for establishment of the unit in Uttar Pradesh is selected for the grant of licence for the establishment of a new unit for the manufacture of scooters, the new unit may go into production in about two years after it is licensed. It has been indicated by the party that the new unit would provide employment for about 750 persons.

New Railway Lines in Rajasthan

4045. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government have recommended to introduce some new rail-links in Rajasthan;

(b) whether it is also a fact that these new rail-links would include construction of Gangapur City-Dhalpur-broad gauge line and conversion of Sawai Madhopur-Jaipur line into broad-gauge line;

(c) whether a survey has been conducted in respect of the aforesaid rail-links;

(d) if so, the details thereof;

(e) if not, by when it is likely to be conducted; and

(f) the date from which the work of constructing new lines would be taken up ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Yes.

(c) to (e) No surveys have been carried out for the Gangapur City.Dholpur BG line and conversion of Sawai Madhopur-Jaipur MG line into BG, in the recent past. A survey for the conversion of Sawai Madhopur-Jaipur MG line into BG was however, carried out in 1905 by ex-Jaipur State. The results of this survey are not available now. An investigation in 1949 revealed that this conversion would cost Rs. 1.08 crores.

(f) Due to the present difficult financial position these proposals have to await better times for consideration.

गया-पटना यात्री गाड़ी में डकैती

4046. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 नवम्बर को पुर्व रेलवे के पुनपुन और पड़ा बाजार स्टेशनों के बीच गया-पटना यात्री गाड़ी की डाकुओं के एक सशस्त्र गिरोह ने रोक लिया था और पटना के एक व्यापारी से नकद रुपया लूट ले गये थे ;

(ख) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, लेकिन यह घटना 17-11-68 को हुई थी ।

(ख) जी हां, पटना की सरकारी रेलवे पुलिस ने अभी तक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ।

(ग) रेल परिसीमा के अन्दर कानून और व्यवस्था बनाये रखने और रेल सम्पत्ति तथा यात्रियों की जान और माल की संरक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य और राज्य की सरकारी रेलवे पुलिस पर है । फिर भी, अपराधों के नियंत्रण के लिए सरकारी रेलवे पुलिस के साथ हमेशा निकट सहयोग रखा जाता है और यदि कोई गम्भीर अपराध की घटना होती है या किसी विशेष क्षेत्र या गाड़ी में

अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं तो तुरन्त उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है, ताकि आवश्यक उपाय किये जा सकें और रात की सवारी गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस के पहरे की व्यवस्था की जा सके। इस मामले में, पटना जंकशन की सरकारी रेलवे पुलिस के कमांडिंग अफसर ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत अपराध संख्या 18 के रूप में एक मामला दर्ज कर लिया है और जांच हो रही है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

4047. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अगस्त, 1968 में घड़ियों के अधिकतम उत्पादन का रिकार्ड स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में घड़ियों का कुल कितना उत्पादन हुआ, यह गत वर्ष की इस अवधि के उत्पादन की तुलना में कैसा है ;

(ग) क्या एच० एम० टी० ने घड़ियों में तिथि दिलाने की व्यवस्था आरम्भ की है, यदि हां, तो ऐसी घड़ी का नाम तथा लागत क्या है ;

(घ) क्या सरकार ऐसी घड़ियों के निर्यात करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए एच० एम० टी० ने घड़ियों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और देश की मांग को यह कहां तक पूरी करेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त 1968 की अवधि में घड़ियों की कुल उत्पादन संख्या 26,000 थी जबकि अगस्त 1967 में 20,000 थी।

(ग) जी हां, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने दो प्रकार की तारीखों वाली घड़ियों का उत्पादन प्रारम्भ किया है। विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम	मूल्य (कर अतिरिक्त)
1. एच० एम० टी० तारीख (स्वर्निम मुल्लमे का केस)	140 रुपये
2. एच० एम० टी० तारीख (स्टेनलेस स्टील केस)	135 रुपये

(घ) इन घड़ियों के निर्यात के बारे में उत्पादन बढ़ाने के उपरान्त विचार किया जायेगा।

(ङ) 3,00,000 घड़ियां । 3,00,000 घड़ियों के लक्ष्यपरक उत्पादन से देश की 30 प्रतिशत मांग की पूर्ति प्रत्याशित है ।

एशिया तथा सुदूर पूर्व देशों में आर्थिक सहयोग का सम्मेलन

4048. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968 में बैंगकाक में एशिया तथा पूर्व सुदूर के देशों में आर्थिक सहयोग के बारे में संबंधित देशों का मंत्री स्तर का एक सम्मेलन होगा ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार किया जायेगा ; और

(ग) इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी हां, ।

(ख) सम्मेलन के लिये संशोधित अंनतिम कार्यावली की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाता है ।[पुस्तकालय में रखी गई । देखिरे संख्या एल० टी० 2634/68]

(ग) सम्मेलन में श्री दिनेश सिंह, वाणिज्य मंत्री, कार्यावली की महत्वपूर्ण मदों से सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की सहायता से, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

कटक-पारादीप रेल सम्पर्क

4049. श्री प्र० के० देव : श्री गु० चे० नायक :
श्री अ० दीपा : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव : श्री दे० अमात :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कटक से छपने वाले अमृत बाजार पत्रिका और हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड के 15 नवम्बर, 1968 के अंक में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कटक पारादीप के बीच रेल की पटरी बिछाये जाने के बारे में देरी होने के पीछे कुछ "निहित और कुटिल चाल" है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जिन समाचारों का हवाला दिया गया है, सरकार को उनकी जानकारी है ।

(ख) इन प्रेस रिपोर्टों में उल्लिखित आरोप का कोई आधार नहीं है ।

सहयोग नीति

4050. श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास तथ समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहायता सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को हाल ही में संहिताबद्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग के आवेदनों के शीघ्र निपटाने के विचार से भारत सरकार ने विदेशी नियोजन मंडल, उसकी उप-समिति और प्रशासकीय मन्त्रालयों को व्यक्तियों का प्रत्यायोजन करना स्वीकार कर लिया है। काम को सुगम बनाने के लिए सरकार ने उन उद्योगों की सूचियां उदाहरण स्वरूप तैयार की हैं (क) जहां तकनीकी सहयोग सहित या उनके बिना विदेशी नियोजन की अनुमति दी जाय ; (ख) जहां विदेशी तकनीकी सहयोग की अनुमति तो दी जाये किन्तु विदेशी विनियोजन की नहीं ; और (ग) जहां किसी प्रकार के (तकनीकी अथवा वित्तीय) सहयोग की आवश्यकता नहीं है। उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सहयोग के ऐसे करारों के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली तकनीकी जानकारी के बदले में सामान्यतः दी जाने वाली रायल्टी की सीमाएँ भी सरकार द्वारा बता दी गयी हैं। इस विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति दिनांक 26 नवम्बर, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2635/68]

संयुक्त अरब गणराज्य से रुई का आयात

4051. श्री सीताराम केसरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य से रुई आयात करने वालों ने उस देश के रुई व्यापार की शर्तों में उनके हितों की सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन तथा ईस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन ने संयुक्त अरब गणराज्य के जहाजी व्यापारियों के साथ रुई संविदाओं सम्बन्धी भुगतान खंड के सम्बन्ध में कतिपय स्पष्टीकरण मांगे हैं।

(ख) इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन तथा ईस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन को आवश्यक सूचना दे दी गई है।

भारत-नेपाल व्यापार वार्ता

4052. श्री सीताराम केसरी
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया
श्री जार्ज फरनेन्डीज
श्री हेम बरुआ
श्री रा० रा० सिंह देव
श्री राम चन्द्र वीरप्पा
श्री चित्ति बाबू

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच हुई हाल की एक बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों का पुनरीक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा ; और

(ग) क्या भारत ने नेपाल को कुछ रियायातें दी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) वार्ता का निष्कर्ष संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है जिसकी एक प्रति पहले ही सभा-पटल पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बी० आर० भगत द्वारा रखी जा चुकी है ।

आसाम में मिला कच्चा लोहा

4053. श्री जहानुद्दीन अहमद
श्री हेम बरुआ :

क्या : इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के गोआलपाड़ा जिले में चन्डोडियांग में हाल ही में बड़ी मात्रा में लौह-अयस्क के निक्षेपों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के निक्षेपों का पता चला है और उनसे लाभ उठाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और जब उपलब्ध होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का निर्माण

4054. श्री वीरेन्द्र कुमार गौड़ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत सरकार के प्रकाशन 'स्वस्थ हिन्द" के सितम्बर, 1968 के अंक में प्रकाशित "प्रोटीन की कमी से खतरे" नाम के लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) ऐसे कारखानों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु गत दो वर्षों में सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए और आवेदन देने वालों के नाम क्या हैं ;

(घ) इन आवेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या यह सच है कि मेसर्स प्रोटीन एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के आवेदन पर निर्णय करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसा विलम्ब न हो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) सरकार देश में अपोषक भोजन की समस्या से अवगत है और प्रोटीन की अधिकता वाले खाद्यों के उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहित करने के लिए समुचित पग उठा रही है ।

(ग) चौदह आवेदन पत्र प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई।
2. मैसर्स कमानी आयल मिल्स कम्पनी, बम्बई।
3. मैसर्स पंजाब स्टेट इन्ड्स्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़।
4. मैसर्स यूनिचम लैबोट्रीज लिमिटेड, गाजियाबाद (यू० पी०)।
5. श्री आर० जी० पटेल, बम्बई।
6. मैसर्स पालसनज लि०, पटना (प्रोटीनाधिक्य पेय का निर्माण)
7. मैसर्स पालसनज लि०, पटना (सोया मिल्क आदि के लिये)
8. मैसर्स कारन परोडक्स कम्पनी लि०, बम्बई।
9. मैसर्स कुसुम परोडक्स लि० (जिला हुगली (पश्चिमी बंगाल)
10. मैसर्स भारत स्टार्च और कैमिल्कस लि०, कलकत्ता।
11. मैसर्स हनुमान विटामन फूड्स पराईवेट लि०
12. मैसर्स रेपट्सकोस, बरैथ और कम्पनी लि०, बम्बई।
13. मैसर्स रैक्टि कालमन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता।
14. मैसर्स प्रोटीन्स और कैमिकल्स लि०, बम्बई।

(घ) क्रम संख्या (1) से (3) को आशय-पत्र प्रदान किए गए हैं। क्रम संख्या (4) के आवेदक को औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है। क्रम संख्या (5) तथा (6) की फर्मों को परामर्श दिया गया कि वे अपने आवेदनों का पुनर्वीक्षण कर देशीय जानकारी के आधार पर अपने आवेदन पुनः प्रस्तुत करें। क्रम संख्या (7) से (12) की फर्मों के मामले अभी विचाराधीन हैं। क्रम संख्या (13) तथा (14) की फर्मों के आवेदन रद्द कर दिये गये हैं।

(ङ) जी, नहीं।

कार उद्योग

4055. श्री रा० बरुआ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की जनरल मोटर्स कारपोरेशन के चेयरमैन श्री जेम्स रोश, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया था और देश के प्रमुख कार निर्माताओं और सरकार से बातचीत की थी, ने देश के कार उद्योग के भविष्य के बारे में कोई सुझाव दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और

(ख) अमरीका के जनरल मोटर्स कारपोरेशन के चेयरमैन श्री जेम्स रोश ने भारत का दौरा किया और उन्होंने 11 नवम्बर, 1968 को उत्तरपाड़ा में हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के नये इंजन संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत में कार उद्योग के बारे में सरकार के विचार के लिए कोई सुझाव सरकार को नहीं दिए हैं।

हैदराबाद में केबल कारखाना

4056. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में सरकारी क्षेत्र में एक केबल फैक्टरी स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल लागत क्या होगी ;

(ग) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो मुख्य आपत्ति क्या थी ; और

(ङ) कार्य पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और (ख) हैदराबाद में केबल का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। एतद विषयक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार बस्ती को छोड़कर इसकी कुल अनुमानित लागत 486 लाख रुपये होगी।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में सीमेंट फैक्टरी

4057. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आंध्र प्रदेश में थंडूर में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) कारखानों की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत के लेक्मी फर्म के साथ अमरीका की मैसर्स रेवलान का सहयोग

4058. **श्री हा० ना० मुकर्जी** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की मैसर्स रेवलान को टाटा की फर्म लेक्मी का सहयोग देने की अनुमति दी जा रही है, हलांकि यह फर्म पहले ही सुस्थापित है ;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका फर्म को गोआ की एक प्रसाधन निर्माता फर्म के साथ सहयोग की भी अनुमति दी जा रही है;

(ग) क्या प्रसाधनों के क्षेत्र में जिनमें विदेशी जानकारी को अनिवार्य नहीं कहा जा सकता वे विदेशी सहयोग के प्रभाव का पुनरीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या राय है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मैसर्स कास्मि माल्याज, गोवा तथा मैसर्स शुल्टन (ग्रेट ब्रिटेन) लन्दन, जो कि अमरीका की मैसर्स शुल्टन इनकारपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व की अधीनस्थ कम्पनी है, के बीच एक सहयोग करार को दिसम्बर, 1964 में ही स्वीकृति दी गई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार इस प्रकार की निम्न वरीयता वाले उद्योग में विदेशी सहयोग को पसन्द नहीं करती ।

कृत्रिम कपड़ों (सिन्थेटिक फेब्रिक्क) तथा स्टेनलैस स्टील का आयात

4059. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने कृत्रिम कपड़ों और स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के आयात की अनुमति देना मान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) (क) और (ख) जी, नहीं । कृत्रिम कपड़ों तथा स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के आयात की अनुमति नहीं है लेकिन नेपाल सरकार के साथ व्यापार तथा परिवहन संधि, 1960 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रतिबन्धक आधार पर नेपाल से उनके आयात की अनुमति है ।

ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत के निर्यात पर लगाये प्रतिबन्धों का प्रभाव

4060. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री शिव चन्द्र झा : श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन सरकार ने नये प्रतिबन्ध लगाये हैं जिससे भारत द्वारा उस देश को किये जाने वाले निर्यात पर बहुत प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ;

(ग) उनका भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) (क) और (ख) ब्रिटेन सरकार ने शुक्रवार 22 नवम्बर, 1968 को ऐसे कई उपायों की घोषणा की जिनका उद्देश्य ब्रिटेन में होने वाले आयातों पर प्रभाव डालना था ताकि उनकी भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हो सके। आयात जमा योजना भी इन उपायों का एक अंग है। इस योजना का मुख्य उपबन्ध यह है कि ऐसे माल के आयातकों को, जो ब्रिटेन के कुल आयात का लगभग 40 प्रतिशत आयात करते हों, छः महीने की अवधि के लिये सरकार के पास आयातित माल के मूल्य का 50 प्रतिशत जमा कराना पड़ेगा। मोटे तौर पर इस योजना में निर्मित माल आता है जिसमें कपड़ा शामिल है, परन्तु कच्चा माल, खाद्य, खाद्य पदार्थ, तेल तथा तेल उत्पाद शामिल नहीं हैं। चाय, पटसन धागा, पटसन वस्त्र, पटसन के बोरे, नारियल जटा धागा, चटाइयां तथा फर्श-विछावन भी उन मदों में से हैं जो योजना के अन्तर्गत नहीं आतीं।

(ग) और (घ) इस योजना से हमारे निर्यात पर जो प्रभाव पड़ेगा, उसका आकलन किया जा रहा है ताकि प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये उचित कदम उठाये जा सकें। हमारे लन्दन स्थित उच्चायुक्त ने ब्रिटेन सरकार को हमारी चिंता के विषय में और इस योजना के प्रवर्तन से निर्यात हित की मदों, विशेषता वस्त्रों को मुक्त कराने में हमारी दिलचस्पी के विषय में पहले ही अवगत करा दिया है। हमारे उच्चायुक्त यह भी जांच करेंगे कि व्यापारिक स्तर पर ऐसे कौन से कदम उठाना अपेक्षित है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रिटेन में हमारे नये औद्योगिक उत्पादों को प्रवेश दिलाने के संवद्धक प्रयास खतरे में न पड़ जांए।

धारित्र (कैपेसिटर्स) उद्योग

4061. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** **श्री शारदा नन्द :**

श्री सूरज भान :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन इलैक्ट्रिल्स मैनुफैक्चरर एसोसिएशन ने सरकार को सूचित किया है कि धारित्र उद्योग में चारित्र निर्माण की पार्याप्त क्षमता बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उसाकार द्वारा पिछले वर्ष तथा इस वर्ष धारित्रों के आयात की अनुमति दिये जाने के क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा टाटा हाइड्रो इलैक्ट्रिक कम्पनी को धारित्रों को आयात करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि धारित्र स्वदेशी साधनों से उतने ही समय में मिल सकते हैं जितना समय उनको आयात करने में लगेगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार धारित्रों के और आयात पर रोक लगाने तथा जारी किये जा चुके लाइसेंसों को रद्द करने का है जिससे विद्यमान उद्योग को हानि न हो ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी):

(क) जी, हां।

(ख) 11 किलोवाट रेटिंग्ज तक के पावर कैपेसिटरों के आयात की अनुमति नहीं दी

जाती । 11 किलोवाट रेटिंग्ज से ऊपर के कैपेसिटरों के आयात के लिए गत व चालू वर्षों में अनुमति दी गई है क्योंकि ऊंची वोल्टेज के कैपेसिटरों के उत्पादन के लिए देश में उत्पादन क्षमता का विकास अपेक्षित सीमा तक अभी तक नहीं हो पाया है । कुछ विशेष प्रकार के कैपेसिटरों के आयात के लिए भी अनुमति दी जाती है क्योंकि स्थानीय रूप से उनका उत्पादन नहीं किया जाता ।

(ग) टाटा हाइड्रो सप्लाई कम्पनी के लिए 100 एम० वी० ए० आर० की मात्रा० के लिए 29 किलोवाट रेटिंग्ज के एच० टी० कैपेसिटरों के आयात की अनुमति मांगने के लिए एक प्रार्थनापत्र विचाराधीन है ।

(घ) 11 किलोवाट रेटिंग्ज तक के कैपेमिटरों के आयात के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है यद्यपि वास्तविक प्रयोक्ताओं के संबंध में इस वस्तु पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। 11 किलोवाट रेटिंग्ज से ऊपर के कैपेसिटरों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना वांछनीय नहीं है क्योंकि देश में इनके उत्पादन की क्षमता अभी तक अपेक्षित सीमा तक विकसित नहीं हो पायी है । आयात सम्बन्धी प्रत्येक मामलों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

व्यापार सलाहकार परिषद् की बैठक

4062. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 नवम्बर, 1968 को व्यापार सलाहकार परिषद् की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने विदेशी व्यापार के लिये द्विसूत्रीय आन्दोलन चलाने का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव को कहां तक स्वीकार किया गया है; और

(घ) बैठक में और क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी हां, ।

(ख) और (ग) वाणिज्य मंत्री, जो परिषद् के अध्यक्ष हैं, ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत जैसे विकासमान देश के भुगतान संतुलन को वश में रखने के लिये विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक द्विसूत्रीय अभियान (अर्थात् निर्यात् संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन) आवश्यक है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें 22 तथा 23 नवम्बर, 1968 को हुई व्यापार सलाहकार परिषद् की बैठक में प्रकट किये गये मुख्य विचार तथा उसके निष्कर्ष दिये गये हैं ।

विवरण

निर्यात संवर्द्धन के बारे में हमारा उद्देश्य यह होगा कि हम विश्व की परिवर्तनशील परिस्थियों का सामना करने के लिये आवश्यक उदारता के साथ-साथ एक स्थिर नीति का अनुसरण करेंगे ।

2. भारत जैसे विकासशील देश के भुगतान सन्तुलन पर नियन्त्रण रखने के लिये विदेशी

व्यापार के क्षेत्र में दोहरे अभियान अर्थात निर्यात सम्बर्द्धन तथा आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग, की आवश्यकता है ।

3. आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के प्रयोग के उपायों के करने के प्रयोजनार्थ एक अन्तरविभागीय समिति नियुक्त की जानी है । यह समिति आयात पर नियन्त्रण का पुनरीक्षण करने के साथ-साथ ऐसे नये उद्योगों का पता लगायेगा जिसमें आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी कच्चे माल तथा पुर्जों का प्रयोग किया जा सकता है ।

4. निर्यात व्यापार के विस्तार में विशेष योगदान करने के लिये सार्वजनिक निगमों, बैंकों, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं तथा सहायक माल तथा सेवाएं सप्लाई करने वालों जैसी फर्मों, संघठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को चान्दी की शील्डों के रूप में परितोषिक दिये जायेंगे । निर्यात में वृद्धि करने के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद् तथा वस्तु बोर्ड के पंजीकृत सदस्यों में से बहुत अच्छे निर्यातकों को योग्यता प्रमाणपत्र दिये जायेंगे ।

5. निर्यात पर प्रतिबन्धों को हटाने की दृष्टि से प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

6. निर्यातकों को जिन कठिनाइयों का सामना है उनको दूर करने हेतु अत्यधिक ध्यान दिया जायेगा ताकि वे निर्यात सम्बन्धी बचत पूरी कर सकें ।

7. किस्म नियन्त्रण के प्रश्न पर विचार करने के लिये व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को संगठन बनाने चाहियें

8. निर्यात के लिये उत्पादन को प्रोत्साहन देनेलिये के सरकार मशीनरी के आयात की वांछनीयता पर कुछ शर्तों के साथ विचार करेंगी ।

9. जहां तक राज्य सरकारों द्वारा चुंगी तथा अन्य करों को लगाने का प्रश्न है, इस विषय पर राज्य सरकारों से विचार किया जायेगा ।

10. ऊनी कपड़े तथा मिश्रित कपड़े के निर्यात की संभाव्यताओं से लाभ उठाने के लिये एक छोटी सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है ।

11. निर्यात को आयात के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये गये थे । निर्माताओं और व्यापारियों का यह दायित्व है कि आयात के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा अर्जित करें ।

12. विलास की वस्तुओं के आयात पर तो रोक लगी हुई है परन्तु उपभोक्ता वस्तुओं पर ऐसी रोक लगाना वांछनीय न हो ।

13. सरकार का यह इरादा है कि छोटे व्यापारियों और सहकारी क्षेत्र को निर्यात प्रयत्नों में सहायता दी जाये । राज्य व्यापार निगम इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करेगा ।

14. महत्वपूर्ण बन्दरगाहों में निर्यात के मामलों से निपटने के लिये वहां पर सलाहकारों की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

15. निर्यात संवर्द्धन में श्रमिकों के योगदान को बढ़ाने के लिये उपायों को अपनाया जायेगा ।

16. नसल सुधारने के लिये अच्छी नसल की भेड़ों के आयात के कार्यक्रम पर अमल किया जायेगा।

17. यह सुझाव दिया गया था कि व्यापारियों के सलाह से एक योजना तैयार की जाये जिस से पूर्वी यूरोप के देशों को परम्परागत वस्तुओं, जिनसे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, के निर्यात को उचित प्रकार से रोका जा सके।

18. एक अन्य सुझाव यह था कि छोटे पैमाने के उद्योग को अपने उत्पादन के 5 प्रतिशत को प्राथमिकता देकर तरजीही सप्लाई वाला माल समझा जाये।

19. बैठक में दिये गये सुझावों में से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं:-

(क) पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करारों मध्यस्थता सम्बन्धी धारा जोड़ी जाये (ख) छोटे निर्यातकों को मशीनें खरीदने के लिये अपने तीन चार वर्षों के निर्यात के मूल्य को जोड़ने दिया जाना चाहिए। (ग) हथकरघा उद्योग को विदेशों से रंग आयात करने की अनुमति दी जाये (घ) तम्बाकू रंगदार चमड़े और सांप की खालों पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाना चाहिये (ङ) जूतों पर उत्पादन शुल्क हटा दिया जाना चाहिये (च) नकद सहायता के लिये आयात तथा निर्यात मुख्य नियन्त्रक को लेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र को दस्तावेजी प्रमाण स्वीकार कर लेना चाहिये (छ) यह जो प्रक्रिया है कि 7.5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मशीनरी आयात करने वाले औद्योगिक यूनिटों को भारतीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर बाध्य किया जाता है, पर पुनः विचार किया जाना चाहिये (ज) निर्मित माल जो अन्य लघु उद्योगों के उत्पादों के लिये कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है, के मूल्य को नियन्त्रित करने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।

Free Railway Passes to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

4063. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal for giving free Railway passes for sight-seeing to the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes particularly to Adivasis of Bastar and similar backward areas; and

(b) if not, the reasons for depriving them of this facility which is essential for their uplift ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) :

(a) No.

(b) Complimentary free Railway passes are granted to all India organisations of high repute to facilitate work considered to be of national importance, where such governmernt assistance is considered deserving for work humanitarian in nature or social or cultural importance.

Bridge At Sugar Station

4064. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of Railways be pleased to state the reasons for the delay in the construction of a bridge at Sagar station on the Central Railway ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : Presumably, the Hon'ble

Member is referring to the proposed road overbridge in replacement of existing level crossing at Sagar. If so, the position is as under :

Under the extant rules, proposals for construction of road over/under bridges in replacement of busy level crossings are required to be sponsored by the State Government indicating the relevant priority and the year in which they would be able to provide funds towards Road Authority's share of the cost of the work, as required under the extant rules.

There is no firm proposal from the State Government so far for the construction of road overbridge in replacement of the level crossing at Sagar. As soon as the State Government take a final decision to replace this level crossing by a road overbridge and allocate necessary funds, the Railway will take appropriate action for construction of the bridge structure.

खानों अथवा निगमों के चेयरमैन अथवा प्रबन्धक निदेशक का चयन

4065 : **श्री नाथूराम अहिरवार :** **श्री नीति राज सिंह चौधरी .**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों अथवा निगमों के चेयरमैन अथवा प्रबन्धक निदेशक की नियुक्ति के लिए कोई कसौटी है ; और

(ख) कीरीबुर आयरन और माइन, खेत्री कापर परियोजना, बेलाडिल्ला लौह-अयस्क परियोजना तथा जिंक स्पैल्टर, उदयपुर के वर्तमान चेयरमैन अथवा प्रबन्धक की वे विशेष अर्हताएं क्या हैं जिनके कारण सरकार ने उनको इन पदों पर नियुक्त किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :

(क) खनन प्रायोजनाओं/ निगमों के मुख्य प्रशासकों का चुनाव, अन्य बातों के साथ-साथ, उनके पृष्ठाधार, अनुभव और व्यावसायिक योग्यताओं को विचार में रख कर किया जाता है ।

(ख) किरिबुर लौह-अयस्क प्रायोजना, खेतरी कॉपर प्रयोजना, बैलाडीला लौह अयस्क प्रायोजना और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के मुख्य प्रशासकों के वर्तमान् पदाधिकारियों की शैक्षिक तकनीकी और व्यावसायिक योग्यताएं दिलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2636/68]

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

4066. **श्री लतीफत अली खां :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान को लौह अयस्क के निर्यात से भारत को 73 रुपए प्रति टन मिलते हैं जबकि प्रति टन लागत 74 रुपये 50 पैसे आती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सप्लाई की दरों का पुनरीक्षण करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) लौह अयस्क की एफ० ओ० बी० टी० लागत प्रत्येक ग्रेड तथा पत्तन के विषय

में भिन्न-भिन्न होती है। विशिष्ट निर्यातों के मूल्यों के ब्यौरे देना खनिज तथा धातु व्यापार निगम के व्यावसायिक हित में नहीं होगा।

(ख) विदेशी खरीदारों के साथ होने वाली प्रत्येक वार्ता में विक्रेता अभिकरण अर्थात् खनिज तथा धातु व्यापार निगम, अधिकाधिक प्रतियोगी विश्व बाजार को ध्यान में रखते हुए, यथासंभव अधिकतम मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

बेलाडिल्ला लौह अयस्क खानों का उद्घाटन

4067. **डा० रानेन सेन :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान तथा व्यापार निगम के तत्वाधान में बेलाडिल्ला लौह अयस्क खान के उद्घाटन के समय, भारत सरकार प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्तियों तथा संवाददाताओं को बेलाडिल्ला ले गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां ठहराया गया तथा इस सपारोह पर कितना व्यय हुआ ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :

(क) सम्भवतः निर्देश राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा विकसित बैलाडिला लौह अयस्क प्रायोजना (निक्षेप संख्या 14) के 10 नवम्बर, 1968 को हुए उद्घाटन समारोह की ओर है। विदेशी उच्चाधिकारियों को उद्घाटन समारोह के लिये बेलाडिला ले जाया गया था। पत्रकारों को भी उस के लिये निमन्त्रित किया गया था।

(ख) अतिथियों को प्रायोजना क्षेत्र में विभिन्न भवनों में ठहराया गया था। खर्चे के ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

ट्रैक्टरों का उत्पादन तथा वितरण

4068. **श्रीमती निर्लेप कौर :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ट्रैक्टरों के उत्पादन में लगी फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ख) विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के नाम क्या हैं और उनका प्रति वर्ष कितना उत्पादन है ; और

(ग) देश के विभिन्न भागों के ट्रैक्टरों के वितरण की क्या व्यवस्था है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) भारत में ट्रैक्टरों के उत्पादन करने वाले फर्मों के नाम / उनके द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों के मेक और उनकी वार्षिक निपज की सूचना निम्नवत है :-

उत्पादकों का नाम	निर्मित ट्रैक्टर का मेक और प्रकार	उत्पादन 1967	उत्पादन 1968 (अक्टूबर तक)
1	2	3	4
1. मैसर्स ट्रैक्टर एण्ड फार्म ईक्विपमेंट लि० 202/203 माउन्ट रोड, मद्रास-34	मेसी फर्ग्यूसन (एम एफ-1035)	3819	2831

2.	मैसर्स इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स कं० आफ इण्डिया लि० बम्बई	इन्टरनेशनल	बी-175	2669	3116
3.	मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लि० बम्बई	हिन्दुस्तान-50		1030	942
		हिन्दुस्तान-35		773	622
4.	मैसर्स एस्कोर्ट्स लि० फरीदाबाद	एस्कोर्ट-37		1316	2205
		एस्कोर्ट-27 डब्ल्य		795	287
		एस्कोर्ट-47 डब्ल्य		–	740
5.	मैसर्स ऐकर ट्रैक्टर लि० फरीदाबाद	ऐकर		122	306

(ग) उत्पादनकर्ता ट्रैक्टरों का वितरण अपने वितरणकर्ताओं, डीलरों और उप-डीलरों द्वारा करते हैं। जिस क्षेत्र में ट्रैक्टरों की मांग है वहां उत्पादन कर्ताओं के डीलरों और उप-डीलरों का जाल फैला हुआ है। उनका उत्तरदायित्व केवल ट्रैक्टरों केबेचने का ही नहीं है अपितु बिक्री के उपरान्त उनके सन्धारण और मरम्मत का भी है।

ट्रैक्टरों की कीमत

4069. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित ट्रैक्टर विदेशों में निर्मित ट्रैक्टरों की तुलना में बहुत मंहगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किसानों को कम कीमतों पर ट्रैक्टर उपलब्ध करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) देश में निर्मित ट्रैक्टरों का मूल्य, उसी प्रकार के आयातित ट्रैक्टरों की तुलना में अधिक है।

(ख) देश में निर्मित ट्रैक्टरों के अधिक मूल्य के कई कारण हैं जैसे आयातित तथा देश में निर्मित पुर्जों का अधिक मूल्य, भारतीय कच्चे माल का अधिक मूल्य, उत्पादन स्तर कम होने के कारण ऊपरी खर्चों का अधिक होना, कुछ पुर्जों तथा कच्चे माल पर सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क इत्यादि।

(ग) उत्पादन मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादनों को अधिकतम सम्भव सीमा तक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पन्जाब और हरियाणा में ट्रैक्टरों की चोर-बाजार में बिक्री

4070. **श्रीमती निलेप कौर** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा हरियाणा में ट्रैक्टरों को चोरबाजार में बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि पंजाब में ट्रैक्टर बहुत ऊंची दरों पर बेचे जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) प्रशुल्क आयोग से देश में निर्मित ट्रैक्टरों के सूचित विक्री मूल्य तय करने की दृष्टि से जांच करने को कहा गया है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उस पर विचार करने के बाद विभिन्न ब्राडों के देशीं ट्रैक्टरों के अधिकतम बिक्री मूल्य, ट्रैक्टर (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1967 के उपबन्धों के अधीन 3 जून, 1968 से अधिसूचित कर दिए गए हैं।

कुछ सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ट्रैक्टर निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों में बेचे जा रहें हैं। इस प्रकार के विशिष्ट सौदों के ब्यौरे के बारे में पता लगाया जा रहा है ताकि उसमें संलग्न पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अभी तक इस संबन्ध में किसी खास फर्म के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

स्कूटरों का निर्माण

4071. **महन्त दिग्विजय नाथ: औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार स्कूटरों के निर्माण के लिए एक नए कारखाने को लाइसेंस देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने द्वारा प्रतिवर्ष कितने स्कूटरों का उत्पादन किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या उक्त कारखाना विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा अथवा यह पूर्णतया स्वदेशी होगा ;

(घ) यह कारखाना घरेलू मांग को किस हद तक पूरा कर सकेगा ; और

(ङ) इस कारखाने का उत्पादन शुरू होने से स्कूटरों के वर्तमान मूल्य में किस हद तक कमी हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) सरकार ने स्कूटर बनाने वाले एक नये कारखाने को लाईसेंस देने का निश्चय किया है।

(ख) नए कारखाने की वार्षिक क्षमता दो पाली के आधार पर 50,000 होगी।

(ग) नया कारखाना विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा।

(घ) ऐसी आशा है कि देश में स्कूटरों की मांग को वर्तमान कारखानों और प्रस्तावित नए कारखानों के उत्पादन से काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा, इस समय ऐसा पूर्वानुमान किया गया है।

(ङ) नए कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने पर देश में निर्मित होने वाले स्कूटरों के मूल्यों में भारी गिरावट की जाने की आशा है।

चाय तथा पटसन उद्योगों में संकट

4072. **श्री श्रीचंद गोयल : श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चाय तथा पटसन उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

विवरण

1. **चाय उद्योग :**

भारत सरकार इस बात से चिंतत है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्य निरन्तर गिर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश के चाय बागानों की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ रहा है। अतः उद्योग द्वारा अनुरक्षण तथा विकास व्यय को उपयुक्त स्तर पर बनाये रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार ने 1-10-1968 से चाय उद्योग को राहत देने के लिये निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है :—

निर्यात शुल्क में कमी

निर्यात शुल्क में छूट 24 पै० से बढ़ाकर 35 पै० प्रति किग्रा कर दी गई है।

2. **उत्पादन शुल्क में कमी :**

विशिष्ट उत्पादन शुल्क को, जो मूल उत्पादन शुल्क के 20 प्रतिशत था, हटा दिया गया है।

3. **पुनः रोपण उपदान**

मैदानी बागान के लिये 3,500 रु० प्रति हेक्टार तथा पहाड़ी बागान के लिये 4,500 रु० प्रति हेक्टार की दर पर उपदान देने की एक पुनः रोपण उपदान योजना शुरू की गई है। भारत सरकार स्थिति को ध्यानपूर्वक देख रही है।

2. **पटसन उद्योग :**

कुछ समय से पटसन मिलों को, कच्चे माल की अत्यधिक कमी तथा परिणामतः पटसन तथा पटसन माल के मूल्यों में बृद्धि के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संकट दूर करने के लिये पटसन उद्योग को सहायता देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं ;

(1) पटसन तथा पटसन माल समीकरण भन्डार संघ द्वारा कच्चे पटसन के आयात करने के लिये दिये गये आवेदन-पत्रों की जांच करने के वास्ते एक समिति बनाई गई है, जिसमें पटसन आयुक्त, पटसन उद्योग तथा अन्य सम्बद्ध हितों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की सिफारिशों पर 8.65 करोड़ रु० मूल्य की 2.5 लाख पटसन की गांठों, पटसन कतरनों तथा मेस्टा का आयात प्राधिकृत कर दिया गया है।

(2) नवम्बर, 1968 में मिलों में वितरण के लिये नियत पटसन की कुल मात्रा का आबंटन, पटसन आयुक्त द्वारा 1 जुलाई 1967 से 30 जून, 1968 की अवधि के दौरान मिलों को पटसन के माल के उनके उत्पादन के अनुपात में किया जा रहा है। इस योजना की दिसम्बर, 1968 माह के लिये भी चालू रखा जा रहा है।

(3) पटसन आयुक्त को कच्चे सन के आबंटन के आधार पर पटसन माल का उत्पादन विनियमत करने की शक्तियां दे दी गई हैं और वह इस उद्देश्य के लिये मिलों को आदेश जारी कर रहा है।

(4) बोरियों के मूल्यों में बृद्धि रोकने के लिये 22 अक्तूबर, 1968 से वी० ट्विल्स बोरियों का सांविधिक अधिकतम विक्रय मूल्य 100 बोरों के लिये 200 रु० पर निर्धारित कर दिया गया है।

(5) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने—

(क) पटसन मिलों के अलावा अन्य पार्टियों को, कच्चे पटसन के आधार पर ;

(ख) पक्का सुपुर्दगी आदेशों के सम्बन्ध में पटसन के माल पर, पेशगियां देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं।

(6) कमी की अवधि के दौरान पटसन के माल की घरेलू खपत के विषय में कुछ संयम रखने का विनिश्चय किया गया है।

कोसीपुर रोड के गोदाम में पटसन की गांठों का जमा होना

4073. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के कोसीपुर रोड गोदाम में पटसन की लाखों गाठें जमा हुई पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो गोदाम तुरन्त खाली करने तथा दोषियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गांठों के इस प्रकार जमा होने के जिम्मेदार कौन हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह सच है कि पूर्व रेलवे के कोसीपुर रोड माल गोदाम में पटसन की गाठें इकट्ठी हो गयी थीं, लेकिन उनकी संख्या लाखों में नहीं थी ।

(ख) और (ग) गाठें इकट्ठी होने का कारण यह था कि माल पाने वालों ने माल की सुपुर्दगी लेने और उसे वहां से हटाने में शीघ्रता नहीं की । पूर्व रेल प्रशासन ने इंडियन जूट मिल्ज एसोसिएशन से सम्पर्क स्थापित किया और उससे अनुरोध किया कि माल को शीघ्र हटाने के लिए वे अपने सदस्यों पर जोर डालें । पटसन आयुक्त से भी सम्पर्क स्थापित किया गया और माल की निकासी के लिए उन्होंने 26-11-68 को पटसन व्यापारियों की एक बैठक बुलायी । माल को हटाने की सुविधा देने के लिए कोसीपुर माल गोदाम 26-11-68 से 3-12-68 तक चौबीस घंटे खुला रखा गया । स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क भी लिया गया ।

प्रशासनिक सुधार आयोग के कोयला बोर्ड की सिफारिशें

4074. श्री. देवन सेन : या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने कोयला बोर्ड के गठन में आमूल परिवर्तन करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :

(क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सिफारिश की है कि कोयला बोर्ड का, उनके (आयोग) द्वारा आर्थिक प्रशासन पर दी गई रिपोर्ट में वर्णित प्रकार के विकास बोर्ड में पुनर्गठन कर दिया जाना चाहिये ।

(ग) सिफारिशों पर विचार हो रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कागज की कमी

4076. श्री महन्त दिग्विजयनाथ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल ने चेतावनी दी है कि आगामी वर्षों में देश में कागज की अत्यधिक कमी हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में कागज की उचित सप्लाई को बनाये रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) कागज की उचित सप्लाई को बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां ।

(ख) कागज उद्योग अत्यधिक पूंजी प्रधान उद्योग है जिसमें अन्य उद्योगों की अपेक्षा लाभ की मात्रा बहुत कम है । यह उद्योग पूंजीगत सामान के आयात के लिए काफी विदेशी मुद्रा भी चाहता है और इसे अपेक्षित मात्रा में रुपये वाली पूंजी भी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ।

(ग) वर्तमान कारखानों की कुछ विस्तार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके द्वारा 1971-72 तक लगभग 80,000 मी० टन० तक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ जाने की संभावना है, उसके अतिरिक्त सरकार चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में सरकारी क्षेत्र में कागज के एक या दो कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर भी इस समय विचार कर रही है ।

(घ) राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों की एक प्रति संलग्न है ।

विवरण

1. कागज उद्योग में अपनाये जा रहे कल्याणकारी उपाय कारखाना अधिनियम में उल्लिखित उपायों से अच्छे हैं । कागज के मूल्यों में विनियंत्रण के परिणामस्वरूप उद्योग में कर्मचारियों को उपलब्ध कार्य की स्थितियों और कल्याणकारी उपायों के क्षेत्र में भी उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ और सुधार किये जाने की गुंजाइश है ।

2. देहरादून और सहारनपुर स्थित संस्थाओं में उपलब्ध वर्तमान प्रशिक्षण की सुविधाओं का उद्योग द्वारा पूरा उपयोग किया जाना चाहिये । प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार और उद्योगों द्वारा इस प्रकार की और संस्थाएं खोली जानी चाहिये ।

3. इस समय केवल सैलूलोज द्रव्य का प्रशिक्षण तथा प्रयोग करने के बारे में अनुसंधान की सुविधा देहरादून स्थित बन अनुसंधान संस्था में विद्यमान है । इसके अतिरिक्त यह आवश्यक

है कि कागज मिलों के लिये आवश्यक आयातित पुर्जों और उपकरणों के बारे में अनुसंधान करने के लिये एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिये ।

4. कच्चे माल की बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिये वर्तमान स्पीसीज के बगान लगाने की योजना पर तेजी से अमल किया जाना चाहिये और सरकार को इसके लिये प्रर्याप्त निधि की व्यवस्था करनी चाहिये ।

5. विभिन्न राज्य विभागों द्वारा बनों को पट्टे पर दिये जाने की पद्धति, पट्टेधारी का चयन और स्वामित्व के निर्धारित करने के बारे में कागज उद्योग द्वारा आलोचना की गई है । कागज मिल की सुविधा के लिये मिल मालिक बनों को कागज मिलों को उचित स्वामित्व पर पट्टे पर देने के लिये सहमत हो गये हैं । जब योजना आयोग और प्रशुल्क आयोग ने यह सिफारिश की है कि बन क्षेत्रों के पट्टे दीर्घावधि के आधार पर कागज मिलों को दे दिये जाने चाहिये और इस मामले को राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा सरकार को उचित विचार करने के लिये सौंप दिया जाना चहिये ।

6. इस उद्योग को अधिक से अधिक अप्रचलित कच्चे माल जैसे कांटे, खोई, सख्त लकड़ी आदि का प्रयोग करना चाहिये ।

7. स्वास्थ्यप्रद औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से और व्यापार संघीय शत्रुता का मुकाबला करने तथा आचार संहिता तथा अनुशासन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया है कि व्यापार संघों को बौम्बे इण्डस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिये ।

8. 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा आरम्भ की गई अनुशासन संहिता स्वास्थ्यप्रद औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने में प्राभावी दिखाई नहीं देती । यह सुझाव दिया गया है कि संहिता के उपबन्धों को कानूनी स्वीकृत देने के लिये इसे किसी श्रम अधिनियमन में शामिल किया जाना चाहिये ।

9. स्वेच्छा पंच निर्णय सफल नहीं रहे हैं और मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह सुझाव दिया गया है कि समझौता न होने पर मामूली विवादों के बारे में कुछ नियत विषयों पर पंच निर्णय अनिवार्य होना चाहिये ।

10. कागज उद्योग की विचित्र प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्थायी कर्मचारियों के अतिरिकत ठेका कर्मचारियों की कुछ पदों पर, जो आन्तर्णयिक हैं नियुक्ति की गई है । इस प्रयोजन के लिये ठेका प्रणाली जारी रखना चाहिये ।

11. उद्योग को स्थायी तथा अस्थाई कर्मचारियों के वेतन में समानता लाने का प्रयास करना चाहिये ।

12. कुछ मिलों में इस समय जो वर्ग ढांचा आरम्भ किया गया है चाहे, वह समझौते के आधार पर हो अथवा औद्योगिक न्यायाधिकरण के आधार पर हो, से अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन नहीं मिला है ।

वेतनों को निम्नलिखित आधार पर निश्चित करने के लिये एक त्रिपक्षीय संस्था स्थापित की जानी चाहिये ।

(क) जनशक्ति और सामग्री का उचित प्रयोग किया जाना चाहिये ।

(ख) प्रति व्यक्ति न्यूनतम और अधिकतम कार्य-भार का उचित अनुमान लगाया जाना चाहिये ।

(ग) प्रादेशिक सामाजिक-आर्थिक स्थितियां ।

निर्मली भप्तियाही रेलवे लाइन

4077. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्मली तथा भप्तियाही के बीच रेलवे लाइन बिछाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) 1937-38 में कोसी नदी की बाढ़ के कारण जो पुरानी सुपौल-भपतियाही लाइन बन्द कर दी गयी थी, उसके सुपौल-थुरमीटा भाग (12.78 किलोमीटर) को हाल में फिर से बिछाकर यातायात के लिए खोल दिया गया है । लाइन को थुरमीटा से आगे भपतियाही तक बढ़ाने के बारे में जांच की गयी है और उस पर विचार किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने विनिश्चित किया है कि इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों के निर्माण और उसको फिर से बिछाने से सम्बन्धित किसी नयी योजना को शुरू करने से पहले, कुछ वर्ष तक फिर से बिछाये गये सुपौल–थुरमीटा भाग के संचालन पर निगरानी रखकर उसका अध्ययन किया जाये ।

खादी के माल का निर्यात

4078. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष विदेशों को खादी का कितना माल निर्यात किया गया है ;

(ख) इसमें क्या-क्या मुख्य चीजें थीं ;

(ग) इनका निर्यात किन देशों को किया गया ; और

(घ) इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

बिड़ला उद्योगों को लाइसेंस देना

4079. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों में बिड़ला उद्योगों ने नये लाइसेंसों के लिए सरकार को आवेदन-पत्र दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां । गत दो महीनों (अर्थात अक्टूबर तथा नवम्बर, 1968) में बिड़ला उद्योग समूह से सम्बन्धित कम्पनियों से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के हेतु 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) चारों आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं । अनिर्णित आवेदनों का ब्यौरा साधारणतः प्रचारित नहीं किया जाता ।

बेलगाम कोयला तथा कोक उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड से ज्ञापन

4080. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगाम कोयला तथा कोक उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड ने 4 नवम्बर, 1968 को उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित मांगों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) जी हां, कलकत्ता के हार्ड कोक की ढुलाई और कुछ अन्य मामलों के बारे में 4 नवम्बर, 1968 को एक ज्ञापन प्रस्तुत हुआ था ।

(ख) ज्ञापन में उठाये गये मुद्दों पर विचार किया जा रहा है ।

कपास की किस्म तथा समर्थित कीमत के बारे में विवादों का निबटारा करने की व्यवस्था

4081. **श्री देवराव पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास की किस्म तथा समर्थित कीमत के बारे में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद का निबटारा करने के लिये कपड़ा आयुक्त ने कोई व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था द्वारा अब तक कितने विवाद निबटाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी हां । वस्त्र आयुक्त ने एक समिति नियुक्त की हुई है जो विशेष रूप से भारतीय कपास की किस्म अथवा समर्थक मूल्य के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने के लिये और कपास की निर्यात योग्य किस्मों के संबंध में प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये है ।

(ख) अभी तक समिति द्वारा किसी विवाद के निपटाये जाने का कोई अवसर नहीं आया है ।

नेपाल से आयात

4082. **श्री चित्तिबाबू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में नेपाल से कौन-कौन सी बस्तुओं का आयात किया गया, उनकी मात्रा तथा मूल्य कितना है ; और

(ख) नेपाल से आयात की जाने वाली कितनी वस्तुओं पर शुल्क लिया जाता है और कितनी वस्तुओं पर शुल्क नहीं लिया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें 1967-68 में नेपाल से आयातित मदों की मात्रा तथा मूल्य दिखाये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०2637/68**]

(ख) भारत में आयात की जाने वाली नेपाली उद्भव की सभी मदें सीमा-शुल्क तथा अन्य समतुल्य प्रभार के आरोपण से मुक्त हैं। दिसम्बर, 1966 के समझौते के ज्ञापन के अनुबन्ध 2 की शर्तों के अनुसार दिये गये अपवादों के आधीन रहते हुए, नेपाल से किये जाने वाले आयातों पर, भारत में उसी प्रकार के उत्पादों पर लगने वाले उत्पादन शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। इस सम्बन्ध में अभी तक जिन वस्तुओं के विषय में अपवाद किया गया है वे ये हैं : दियासलाई, पटसन का माल तथा गत्ता और शराब। दियासलाई, पटसन के माल तथा गत्ते के सम्बन्ध में अतिरिक्त शुल्क पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। शराब के सम्बन्ध में 13.00 रु० प्रति थोक लीटर के बराबर अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।

नेपाल में अविकारी इस्पात तथा कृत्रिम धागे के कपड़े के निर्यातक और भारत में आयातक

4083. **श्री चित्तिबाबू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में अविकारी इस्पात तथा कृत्रिम धागे के कपड़े का वही लोग आयात करते हैं जिनकी नेपाल में या तो इन वस्तुओं का निर्यात करने से संबंधित फर्में हैं या जो नेपाल में इन फर्मों के सहयोगकर्ता हैं ;

(ख) क्या नेपाल से निर्यात करने वाली फर्मों तथा भारत में निर्यात करने वाली फर्मों के भागीदार अथवा निदेशक अथवा उनके निकट संबंधी एक ही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1967 में कृत्रिम धागे के कपड़े के नेपाल से निर्यातकों तथा भारत में उसके आयातकों के नाम और पते क्या हैं

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वैमानिक सर्वेक्षण संस्था

4085. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का विचार स्वयं अपनी एक वैमानिक सर्वेक्षण संस्था स्थापित करने का हैं ;

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) :

(क) से (ग) अलोह धातु के साधनों का विद्युत-चुम्बकीय, चुम्बकीय और रेडियो मोटर द्वारा तेजी और प्रभावशाली ढंग से पता लगाने के लिये आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, और बंगाल के चुने गये क्षेत्रों के 120,000 वर्गमील के क्षेत्र में एक सर्वेक्षण कार्यक्रम "ऑपरेशन हार्ड रौक" अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता द्वारा आरम्भ किया गया है। वैमानिक सर्वेक्षण 19 जुलाई, 1967 को आरम्भ किया गया था और वह 14 मई, 1968 को पूरा हो गया। इसके साथ-साथ जहां आवश्यक है वहां भूतत्वीय और भूभौतकीय कार्य किये जा रहे हैं।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण में वायुवाहित भूभौतकीय तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रो में इसी प्रकार के सर्वेक्षण के लिये एक विंग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कारों तथा स्कूटर के टायरों की कमी

4086. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों के टायर बड़ी कठिनाई से मिलते है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकारी इसके लिये विक्रेताओं को स्टाक छिपा कर रखने का दोषी बताते हैं, और विक्रेता इसके प्रत्युत्तर में परिमिट प्रणाली लागू करने के लिये अधिकारियों को दोषी बनाते हैं तथा निर्माता दोनों को दोषी बनाते हैं; इस प्रकार इस कुचक्र के परिणाम-स्वरूप अन्ततः ग्राहक को जिसे चोर बाजार के मूल्य पर ये टायर खरीदने पड़ते है, हानि उठानी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) कार तथा स्कूटरों के टायरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और दिल्ली में उनके हस्तगत तथा निपटान किए जाने पर नियंत्रण दिल्ली प्रशासन करता है। कारों तथा लम्ब्रेटा स्कूटरों के टायरों की कमी नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने वेस्पा स्कूटर टायरों की कमी के बारे में सूचित किया है। टायर कम्पनियों को दिल्ली क्षेत्र में वेस्पा टायरों के सम्भरण में वृद्धि करने का परामर्श दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची आदि की आवश्यकता से अधिक उत्पादनों के लिए बाजार

4087. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित हैवी इजीनियरी कारपोरेशन मेटा स्थित इन्स्ट्रूमेंटेशन प्लांट तथा हरिद्वार स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विमेंट प्लांट के आवश्यकता से अधिक उत्पादों की बिक्री के बारे में रूस को सूचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में रूस की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह विचाराधीन है, इस बार सोवियत प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है और अभी तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बोटाड रेलवे स्टेशन के निकट डीजल टैंकरों में आग लगना

4088. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 नवम्बर, 1968 को अहमदाबाद से लगभग 167 किलोमीटर दूर बोटाड स्टेशन पर 4,000 से अधिक छात्रों की एक भीड़ ने एक माल गाड़ी के दो डीजल तेल टैंकरों में आग लगा दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे, कितनी अनुमानित क्षति हुई तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी नहीं । लेकिन विद्यार्थियों की एक भीड़ ने एक माल गाड़ी को रोक लिया और कुछ बोरियां उतार कर उनमें से माल निकाल लिया और बोरियों में आग लगा दी । टैंकरों और माल डिब्बों में आग नहीं लगी ।

(ख) जी हां, भावनगर के जिला मजिस्ट्रेट और खुफिया विभाग, अपराध और रेलवे, अहमदाबाद के डी० आई० जी० ने इस घटना की जांच की ।

(ग) विद्यार्थी गुजरात राज्य के हाइ स्कूल की कक्षाओं की फीस कुछ बढ़ा दिये जाने का विरोध कर रहे थे । अनुमान है कि रेलों को लगभग 4,000 रुपये की क्षति पहुंची । 28 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 149, 332, 336, 337, 353 और 427 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 121, 127 और 128 के अन्तर्गत बोटाड पुलिस थाने में अपराध सं० 174/68 के रूप में एक मामला दर्ज किया गया ।

रेलवे स्टेशनों पर मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी की पुस्तकों की दुकानें

4089. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकों की दुकानों का ठेका स्थायी रूप से मैसर्स ए० एच० व्हीलर एन्ड कम्पनी को दे रखा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इसके लिये टेंडर मांगे थे अथवा उनकी निजी बातचीत के आधार पर यह ठेका दे दिया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विषय: रेलवे स्टेशनों पर मैसर्स ए० एच० व्हीलर एन्ड कम्पनी की पुस्तकों की दुकानें

(घ) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एन्ड कम्पनी के पास कई वर्षों से बहुत से स्टेशनों पर पुस्तकों की दुकानों के ठेके हैं और इस बात का पता नहीं है कि ये ठेके उन्हें टेंडर मांग कर दिये गये थे या बात-चीत करके ।

2. करारों की शर्तों के अनुसार, इस फर्म के ठेकों की अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है । करारों को एक व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक ठेके की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर फर्म को ठेके की अवधि बढ़ाने का विकल्प दिया गया है । 1.1.1967 से ठेकों की अवधि बढ़ाते समय, फर्म से बात-चीत करके, ठेके की अवधि की समाप्ति पर फर्म द्वारा ठेके बढ़ाने के विकल्प वाली करार की व्यवस्था को हटा दिया गया है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) जी० एस० आर० 2053 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में एक संशोधन किया गया ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2611/68]

(2) एस० ओ० 4118 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिनांक 23 जून, 1962 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1923 में एक संशोधन किया गया । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी० 2612/68]

टैरिफ आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, रंजक द्रव्य उद्योग को संरक्षण देने के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन और काफी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) अल्यूमीनियम उद्योग को संरक्षण देते रहने के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1968) ।

(ख) सरकारी संकल्प संख्या 1 (1)-टार 68 दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग) ऊपर (क) तथा (ख) में उल्लिखित दस्तावेज उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि में सभा-पटल पर न रख सकने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण ।

(दो) (क) रंजक द्रव्य उद्योग को संरक्षण देते रहने के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1968) ।

(ख) सरकारी संकल्प संख्या 14 (1)-टार/68 दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 14 (1)-टार/68-एक जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 14 (1)-टार/68-दो जो दिनांक 7, दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ङ) उक्त अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 14 (1)-टार 68 तीन जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(च) उक्त अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 14 (1)-टार/68-चार जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(छ) ऊपर (क) से (च) में उल्लिखित दस्तावेज उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि में सभा-पटल पर न रख सकने के कारण दर्शाने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2613/68]

(2) काफी बार्ड के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2614/68]

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) मैं अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूँगा ।

डा० कर्णी सिंह : मेरे विचार में आप जनता की शिकायतें व्यक्त करने से किसी सदस्य को नहीं रोक सकते । 50 व्यक्ति मर गए हैं···।

अध्यक्ष महोदय : इसका एक शब्द भी कार्यवाही में दर्ज नहीं किया जायेगा ।

डा० कर्णी सिंह : × × × ×

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखे जाने में हुये अत्यधिक विलम्ब की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । इसमें अल्युमीनियम उद्योग को संरक्षण देने की बात कही गई है जबकि ऐसा पहले ही किया जा चुका है और इसके विपरीत तत्सम्बन्धी विधान में संरक्षण के बारे में सभा की राय जानने के लिये इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाता था ?

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : यह रिपोर्ट 1968 की है, विलम्ब के कारण स्पष्ट हैं ।

राज्य सभा से प्राप्त संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव: श्रीमन्, मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता :—

(एक) कि लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1968 को पास किये गये बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968 में राज्य-सभा अपनी 5 दिसम्बर, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि लोक सभा द्वारा 22 नवम्बर, 1968 को पास किये गये मद्रास राज्य (नाम बदलना) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 5 दिसम्बर, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

× दर्ज नहीं किया गया ।

संघ राज्य-क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण)विधेयक

UNION TERRITORIES (SEPARATION OF JUDICIAL AND EXECUTIVE FUNCTIONS) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) मैं, सब संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों के पृथक्करण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक संबन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) मैं, संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों के पृथक्करण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हाल की घटनाओं संबन्धी वक्तव्य

STATEMEMT ON RECENT INCIDENTS IN BANARAS HINDU UNIVERSITY

अध्यक्ष महोदय : डा० त्रिगुण सेन।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये—

Shri Rabi Ray (Puri) : Police is perpetrating atrocities in the University area. It has closed down. There is no law and order there. We may, therefore, be allowed to ask supplementaries on this statement.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस संबन्ध में 50-60 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गई हैं और हमें ज्ञात हुआ कि ये सूचनायें गृहीत की जा चुकी हैं। इसके विपरीत यह विवरण रखा जा रहा है। (अन्तर्बाधायें)

Shri George Fernandes (Bombay—South) : This must be discussed.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिये परन्तु कब ? यह आप मुझ पर छोड़ दें।

डॉ० कर्णी सिंह : स्वतन्त्र सदस्यों की उपेक्षा की जाती है। यह अध्यक्ष के लिये अनुचित है। (अन्तर्बाधायें)

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्री कर्णी सिंह जी बहुत पुराने सदस्य हैं जो कभी अकारण हस्तक्षेप नहीं करते। राजस्थान में कुछ लोगों की मृत्यु से उन्हें बहुत दुख हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी किसी सदस्य को मेरे कक्ष में आकर बात करने से नहीं रोका। सदा ही मैं अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करता हूँ अन्यथा मैं उनकी बात मान जाता हूँ। सदस्यों को मुझे इतना मान तो देना ही चाहिये। मैं हरेक की बात सुनता हूँ।

हरियाणा की स्थिति के बारे में

Re : SITUATION IN HARYANA

Shri A.B. Vajpayee (Balrampur): A political landslide has taken place in Haryana—41 of a total of 80 Members of the Vidhan Sabha has presented themselvese before the Governor as members of S. V. D. In the circumstances, Bansilal Government is now in a Minority.....**(Interruptions)**

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The Governor had said that he did not actually count them.

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठे जायें। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि यदि सभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा मुख्य मंत्री से लिखित में सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की प्रार्थना की जाय, तो मुख्य मंत्री राज्यपाल को एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर सभा की बैठक बुलाने की सलाह देंगे।

Shri A. B. Vajpayee : I feel that the State Assembly should meet within a week in the light of the above decision. Failing which the Governor would be obliged to demand a resignation from Bansilal Cabinet.

Now the question is whether the Chief Minister has got the right to expand his cabinet in this one week's time which amounts to luring defactors to maintain his party's majority. This would be unconstitutional.

अध्यक्ष महोदय : राज्य विधान सभा भी संसद् के समान सर्वोच्च निकाय है। अतः मामला वहीं रहने दिया जाय और आशा करनी चाहिये कि विधान सभा की बैठक शीघ्र बुलाई जायेगी।

Shri Rabi Ray : Sir, you may ask the Home Minister whether he agrees to this proposal or not ? **(Interruptions)**

श्री हो० ना० मुकर्जी : खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार तो प्रत्येक सदस्य बोलने के लिये उठ खड़ा होगा ------ (अंतर्बाधायें)। मैं नहीं चाहता की इस विषय पर यहां चर्चा हो। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का निर्णय किसी दल का निर्णय नहीं है। यह सरकार का काम है कि वह उस पर क्या निर्णय लेती है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस बीच गृह-मंत्री सभा को बता सकते हैं कि क्या उन्हें राज्यपाल की रिपोर्ट मिल गई है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पर इसी समय नहीं । अन्य सदस्यों की बात सुनने के बाद ही ऐसा करना ठीक होगा ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हाल ही की घटनाओं के बारे में वक्तव्य—जारी

STATEMENT ON RECENT INCIDENTS IN BANARAS HINDU UNIVERSITY—Contd.

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : ~~मैं, एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ ।~~

~~विवरण~~

~~बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में नवीनतम घटनाओं के बारे में 10 दिसम्बर, 1968 को लोक सभा में शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य~~

~~STATEMENT MADE BY THE MINISTER OF EDUCATION IN THE LOK SABHA ON DECEMBER 10, 1968 REGARDING THE LATEST INCIDENTS IN THE BANARAS HINDU UNIVERSITY~~

14 नवम्बर, 1968 को मैंने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में हुई घटनाओं का विवरण दिया था । नवम्बर 6 तथा 7 के उपद्रवों के पश्चात् उक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई का काम सामान्य रूप से चल रहा है तथा प्रान्तीय सशत्र सेना के जवान विश्वविद्यालय के हमले के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं ।

2. 3 दिसम्बर, 1968 को उप-कुलपति ने चार विद्यार्थियों को पिछले कुछ दिनों में उनके दुराचार और शांति भंग करने वाले रवैये के लिये विश्वविद्यालय से निकाले जाने के आदेश दिये । निकाले जाने के इस आदेश से अहाते में नये प्रदर्शन तथा आन्दोलन हुए । 6 दिसम्बर को स्थिति अधिक तनावपूर्ण हो गई तथा विश्वविद्यालय की मुख्य सड़कों पर लगभग 1000 विद्यार्थियों का जलूस निकाला गया । जलूस वालों ने मुख्य प्रोक्टर के कार्यालय का घेरा डाल दिया तथा उन माइक्रोफोनों को बलपूर्वक छीनने लगे जिन्हें कि पिछली रात प्रोक्टर के कार्यालय के कर्मचारियों ने उनसे ले लिया था । परन्तु ड्यूटी पर तैनात पुलिस तथा मजिस्ट्रेट द्वारा समझाये जाने पर वे शांतिपूर्वक तितर-बितर हो गये ।

3. 6 दिसम्बर को विद्यार्थी विभिन्न कालेज होस्टलों में बहुत से वर्गों में बंट गये । लोहे की छड़ियों से बने औजारों और दहन सामाग्री से लैस विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय को घेर लिया और भारी मात्रा में ईंट तथा पत्थर फैंके । परन्तु वे केन्द्रीय कार्यालय को अग्न लगाने में सफल नहीं हुए क्योंकि पुलिस समय पर पहुँच गई थी तथा भीड़ का पीछा करके उसे तितर-बितर कर दिया गया । पीछे हटते हुए उन्होने एक डाक वाहन, सड़क बनाने वाले इन्जन और तारकोल के ड्रमों में आग लगा दी । छात्रों की एक और भीड़

मुख्य विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में घुस कर उसे क्षति पहुँचाई । पुलिस ने उन्हें पुस्तकालय भवन को आग नहीं लगाने दी । भारतीय संस्कृति कालेज की एक जीप और अध्यापक प्रशिक्षण कालेज की एक बस को भी आग लगा दी गई ।

4. 7 दिसम्बर को छात्रों द्वारा अपने डीन के कार्यालय, अपने छात्रावास स्विमिंगपूल और मनोरंजन केन्द्र तथा छात्रावास क्वार्टरों में आग लगाने का प्रयत्न किया गया ।

5. 8 दिसम्बर को छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में पड़े एक ठेकेदार के इमारती समान में आग लगा दी, पुलिस पर, जिसने इसे बुझाने का प्रयास किया, छात्रों द्वारा पत्थर मारे गये । छात्रों के दो दलों में झड़प के परिणाम स्वरूप एक छात्र को छुरा घौंप दिया गया, एक और छात्र को रामकृष्ण छात्रावास की छत से नीचे फैंक दिया गया । इन दोनों छात्रों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है । छात्रों और पुलिस में हुई झड़पों में कुछ छात्र घायल हुए ।

6. 9 दिसम्बर को कोई गड़बड़ नहीं हुई । कुछ विभागों को छोड़ कर कक्षाओं में बहुत थोड़े छात्र उपस्थित थे । बहुत से छात्र छात्रावास छोड़ गए हैं । इन दिनों में करीब 100 व्यक्ति बन्दी बना लिये गये हैं । यह भी बताया जाता है कि बहुत से बाहर के लोग इन दंगों में शामिल हुए थे ।

7. विश्वविद्यालय के परिसर में प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस तैनात है और स्थिति नियन्त्रणाधीन बताई जाती है ।

संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (Twenty-Second Amendment) BILL

गृह-कार्य मन्त्री श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ) श्रीमान, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्यों कि इससे देश के अन्य भागों में स्वायत्त राज्य बनाने की ऐसी ही मांगे उठ खड़ी होंगी ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिल) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह संविधान विधेयक है और संविधान की अनुसूची सात के अनुसार जिसके अन्तर्गत कि केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध आते हैं, इस विधेयक पर इस समय कोई आपत्ति नही हो सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय यह ठीक नहीं है । सामान्य आधार पर वह इस विधेयक पर आपत्ति उठा सकते हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : श्रीमान, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संशोधन विधेयक के परिणामस्वरूप देश के अन्य भागों से भी इसी प्रकार की मांगें आनी आरम्भ हो जायेंगी ।

कमाउँ की जनता वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में से एक अलग पहाड़ी राज्य बनाने की मांग पहले से ही कर रही है। इसी तरह अब केरल राज्य में भी प्रारम्भ में एक मुल्तिम बहुसंख्यक जिला बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है और आखिर में देश के उस हिस्से में भी एक पृथक राज्य की मांग होने लगेगी। इसके बाद एक अलग विदर्भ राज्य की मांग अभी जारी है। इसलिये इस विधेयक से जो संविधानिक कठिनाइयां पैदा होने वाली हैं, उनके सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है और वे बहुत ही स्पष्ट हैं। इस विधेयक के पुरःस्थापित होने से इस प्रकार की मांगों की बाढ़ आ जायेगी।

असम राज्य में एक अलग स्वायत्तशासी राज्य बनाया जा रहा है। इस नये स्वायत्तशासी राज्य के सदस्य असम राज्य तथा स्वायत्तशासी राज्य दोनों के सदस्य होंगे। परन्तु सवैधानिक उपलब्ध और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार आवश्यकता है कि कोई सदस्य एक ही समय दो विधान मण्डलों का सदस्य नहीं रह सकता है और यदि कोई व्यक्ति दोनों सभाओं के लिये चुन लिया जाता है तो उसे एक सभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती है ताकि वह दोनों विधान मन्डलों की सदस्यता प्राप्त न करे। अतः यह एक संवैधानिक अनियमितता बन जायेगी।

संविधान की छटी अनुसूची में जिला परिषदों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसलिये स्थिति यह है कि एक ओर तो जिला परिषदों को स्वायत्तता मिल जायेगी और नये स्वायत्तशासी राज्य की जनता दूसरी स्वायतता प्राप्त करेगी और पूरा असम राज्य तीसरी स्वायत्तता प्राप्त करेगा। इसलिये हम तीन प्रकार वाली प्रणाली अपनाने जा रहे हैं जिसमें तीन स्वतन्त्र निकाय होंगे और नये राज्यों के हितों तथा पूरे आसाम राज्य की जनता के हितों में संघर्ष होने की सम्भावना है।

इस प्रकार हम एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे है जिसमें न केवल पृथक-पृथक राज्यों की हानिकारक मांगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि संवैधानिक कठिनाइयां भी सम्भवतः पैदा होंगी।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : विधेयक पर विचार किये जाने के समय इन बातों पर भी विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक–जारी

FOOD CORPORATION (AMENDMENT) BILL—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेंगे।

खाद्य, कृषि ,सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): मुझे प्रसन्नता है कि सभा के विभिन्न दलों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य उन कर्मचारियों को संरक्षण देने की व्यवस्था करना है जिनकी सेवायें खाद्य निगम को स्थानान्तरित की जाती हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारियों की श्रेणी को विशेष रूप से अलग कर दिया गया है। खाद्य निगम अधिनियय को लागू करते समय यह सोचा गया था कि नीति बनाने का कार्य भारत सरकार के पास रहना चाहिये। जो सचिवालय नीति बनाने में सहायता देता है वह स्वाभाविक ही भारत सरकार के साथ रहेगा और इसलिये केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की सेवाओं के स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उन लोगों के बारे में चिन्ता व्यक्ति की गई है जिनकी खाद्य निगम में सीधे भर्ती की गई है। उनकी सेवाओं पर वे नियम तथा उपनियम लागू होते हैं जो भारत का खाद्य निगम अधिनियम के अन्तर्गत वनाये गये हैं। वे सभी अच्छी तरह सुरक्षित हैं। उनके वेतनमान भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन मानों से अधिक हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति और छुट्टी आदि का लाभ भी मिलता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा आदि जैसे अन्य लाभ जो सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं वे भी उन्हें मिलते हैं। इन सभी बातों की व्यवस्था की गई है और इस सम्बन्ध में किसी डर की कोई आवश्यकता नहीं है।

यही स्थिति पदोन्नति के बारे में भी है। इस सम्बन्ध में भी सरकारी नियम लागू होंगे और सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों के साथ कोई भेद-भाव नहीं बरता जायेगा।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि वर्तमान कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ, पेन्शन लाभ और सेवा की शर्तें आदि क्या होंगी ? मुख्य रूप से वर्तमान सुविधायें जारी रहेंगी। विधेयक में विकल्प के लिये भी व्यवस्था है। यदि कोई विशेष कर्मचारी वर्तमान सुविधाओं को जारी रखना चाहता है तो उसे ऐसा करने की आजादी है। यदि वह खाद्य निगम से मिलने वाली सुविधाओं या लाभों को प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसा विकल्प देने की छूट है। इसलिये इस तरह की कोइ कठिनाई नहीं है।

शिक्षा सुविधाओं, चिकित्सा लाभ आदि के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। सभी वर्तमान सुविधायें मिलती रहेंगी। वास्तव में खाद्य निगम में मिलने वाली सुविधायें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं से अच्छी हैं।

यह भी प्रश्न उठाया गया है कि आवास में सम्बन्ध के क्या स्थिति होगी। साधारणतया एक सरकारी कर्मचारी के पास इस समय सरकारी आवास नहीं है परन्तु वह मकान किराया भत्ते के रूप में वेतन का 15 प्रतिशत ले रहा है। परन्तु खाद्य निगम में 20 प्रतिशत मकान

किराया भत्ते की व्यवस्था है । इसलिये इस सम्बन्ध में भी उन कर्मचारियों को कोई खास असुविधा नहीं होगी ।

विधेयक में प्रयोग किये गये इन शब्दों के बारे में आपत्ति उठाई गई है कि कर्मचारी "सरकारी कर्मचारी" नहीं रहेंगे जब जनकी सेवायें खाद्य निगम में अन्तरित हों जायेंगी । यह भी कहा गया है कि श्री जगजीवन राम ने आश्वासन दिया है कि ये विशेष शब्द वहां पर नहीं रहेंगे। जहां तक खाद्य मंत्रालय का संबंध है, हमारा यह दृष्टिकोण है कि यदि हम इन शब्दों को हटा रकेंगे, तो अवश्य ऐसा करेंगे । लेकिन जब यह मामला विधि मंत्रालय को भेजा गया तो उन्होंने हमें यह सलाह दी कि जब खाद्य निगम जैसा एक स्वायत्तशासी निकास स्थायी रूप से उन अधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठायेगा तो उस शब्दावली को रखना निरर्थक है और उन्होंने यह भी कहा कि यह कानूनी उपबन्धों के अनुकूल नहीं होगा और वर्तमान उपबन्धों तथा खाद्य निगम की समूची योजना के विरुद्ध होगा । इसलिये हमें प्रस्तुत शब्दावली को रखना पड़ता है ।

यह भी प्रश्न उठाया गया है कि जब आगे खाद्य निगम को खत्म कर दिया जायेगा तो क्या होगा । ऐसी घटना की कल्पना करना कठिन है । लेकिन यदि मान लिया जाये कि उसे खत्म कर दिया जाता है तो उन कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने की सरकार की नीति अपनाई आयेगी । हम उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों जैसा ही समझेंगे ।

यह भी कहा गया है कि अधिनियम में यह उपबन्ध है कि खाद्यनिगम का मुख्य कार्यालय मद्रास में होगा लेकिन अब राजनीतिक कारणों से इसे मद्रास से दिल्ली लाया गया है । इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि जब निगम ने 1965 में काम आरम्भ किया था तो उसका काम केवल देश के दक्षिणी भागों तक ही सीमित था । इस दृष्टिकोण से मुख्य कार्यालय मद्रास में ही रखा गया था, लेकिन बाद में निगम का कार्य-क्षेत्र देश के अन्य भागों, मुख्य रूप से उत्तर भारत में अनेक राज्यों तक बढ़ाया गया । इससे मुख्य कार्यालय के स्थान सम्बन्धी प्रारम्भिक निर्णय को बदलना आवश्यक हो गया । इसके अलावा हमें तजुर्बे से यह मालूम हुआ है कि यदि निगम का मुख्य कार्यालय राजधानी से दूर होगा तो मन्त्रालय के लिये नीति सम्बन्धी निदेश जारी करने के बारे में उससे सम्पक बनाये रखना कठिन होगा । इस बात की ओर ध्यान देना भी कठिन हो जायेगा कि जन निदेशों पर ठीक से पालन होता है अथवा नहीं । इन सब बातों के कारण सरकार ने मुख्य कार्यालय को दिल्ली में लाने का निर्णय करके उचित पग उठाया है । इस निर्णय के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है जैसी कि धारणा बनाई गई है ।

यह भी कहा गया है कि खाद्य निगम के मंत्रियों तथा अधिकारियों के निकट सम्बन्धियों को नियुक्त किया जा रहा है । मुझे इस पर गम्भीर आपत्ति है । यह आलोचना सही नहीं है । मैंने ऐसे मामले के ब्यौरे की छानबीन की है जिनका इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था और मैं सन्तुष्ट हूं कि ये सभी चयन गुण-दोषों के आधार पर किये गये हैं । मैं चाहता हूँ कि खाद्य निगम योग्यता के आधार पर चयन करने की नीति पर साथ ही इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति ऊँचे पद पर है और उसका लड़का गुण दोषों के आधार पर योग्य है तो क्या उस व्यक्ति को किसी पद

के लिये नहीं चुना जाना चाहिये। मेरे विचार में शायद सदस्य गण इस सीमा तक नहीं जाना चाहते। मैं पहले ही यह बात मान चुका हूँ कि चयन गुण-दोषों के आधार पर किया जाना चाहिये।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये तथा श्री फर्नेन्डीज के निवेदन पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा स्थगित कर दी गई है।

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प्र० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बज कर पांच मिनट म० प्र० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at Five Minutes Past Fourteen of the Clock.

[श्री रा० डो० भन्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the chair]

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री अन्तासहिब शिन्दे : खाद्य निगम में सीधे भर्ती किये गये लोगों की संख्या 3000 और उससे भी अधिक बताई गई है। वहां केवल 2300 व्यक्ति सीधे भर्ती किये गये हैं। इतने लोगों की निगम में कमी थी। उनके भविष्य के बारे में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में कोई आलोचना नहीं की जानी चाहिये। श्री शाह नवाज़ खाँ, जिन्हे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, अल्पसंख्यक जाति के हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिये। हमने गुणों दोषों के आधार पर निर्णय किया है। वह पुराने देशभक्त हैं और मन्त्री पद पर काफी समय तक कार्य कर चुके हैं।

खाद्य निगम एक महत्वपूर्ण संगठन है और यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये बनाया गया है 1966-67 में हमारा अनुभव यह रहा है कि खाद्य निगम के कारण ही हम इस कठिन खाद्य समस्या पर काबू पाने में सफल हुए थे। अतः माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपना सहयोग देंगे और इस विधेयक के प्रति सहानुभूति रवैया अपनायेंगे।

सभापति महोदय : मैं अब श्री देवेन सेन के विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव पर मत लूँगा।

प्रश्न यह है :

15. "कि विधेयक को 15, फरवरी 1969 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

श्री विश्वनाथ पान्डेय : (सलेमपुर) मैं सभा से संशोधन संख्या 26 को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन करने तथा भारत के खाद्य निगम के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन समुचित सरकार घोषित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम खन्डों पर विचार करेंगे । पहले हम खण्ड 2 पर विचार करेंगे । जो सदस्य संशोधन का प्रस्ताव करना चाहते हैं, कर सकते हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

3. पृष्ठ 2,—

पंक्ति 9 से 11 के स्थान पर

"परन्तु यह कि इस उप-धारा के अधीन ऐसे विभाग अथवा कार्यालय के उस अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा जिसने, केन्द्रीय सरकार के उसे निगम में स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, उस सरकार द्वारा इस बारे में उल्लिखित समय के भीतर ही निगम का कर्मचारी न बनने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी हो । " रखा जाये ।

"Provided that no order under this sub-section shall be made in relation to any officer or employee in such Department or office who has, in respect of the proposal of the Central Government to transfer such officer or employee to the Corporation, intimated within such time as may be specified in this behalf by that Government, his intention of not becoming an employee of the Corporation."

4. पृष्ठ 2, पंक्ति 35,–

"सेवानिवृत्ति अथवा ' के स्थान पर

"अवकाश, भविष्य निधि , सेवानिवृत्ति अथवा" रखा जाये

for "the retirement or" **substitute**—

"the leave, provident fund, retirement or"

5. पृष्ठ 2, पंक्ति 38,–

"सेवानिवृत्ति अथवा" के स्थान पर

"अवकाश, भविष्य निधि अथवा" रखा जाये

for "the provident fund or" **substitute**—

the leave, provident fund or"

6. पृष्ठ 3, पंक्ति 31 और 32–

"जैसा विहित किया जाये" के स्थान पर

"जैसा इस अधिनियम के अन्तर्गत निगम द्वारा बनाये गये विनियमों में उल्लिखित किया जाये" रखा जाये।

for "as may be prescribed" **substitute**—

"as may be specified in the regulations made by the Corporation under this Act."

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपने संशोधन संख्या 7, 9, 10, 11, 12, 13, और 19 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विश्वनाथ पान्डेय : मैं अपने संशोधन संख्या 21 और 22 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 27, 28 और 29 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवेन सेन : मैं अपने संशोधन संख्या 30, 32, 33, 34, और 35 प्रस्तुत करता हूं।

श्री तन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैं अपना संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिकरे : (पंजिम) मैं अपने संशोधन संख्या 47 और 48 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (कडलोन) : मैं अपना संशोधन 4 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेंद्रम) : मैं अपना संशोधन 62 प्रस्तुत करता हूं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : मैं अपना संशोधन 65 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) मैं अपना संशोधन 64 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) मैं अपने संशोधन 66 और 67 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Deven Sen : In my first amendment No. 7 I have stated that in page 2, lines 5 and 6, **for** 'any of the officers or employees' words 'all the officers and employees' be substituted. If the officers or employees are transferred separately, difficulties would arise in regard to their seniority etc. Therefore, the words "any of the officers or employees" in the clause should be replaced by the words "all the officers and employees."

It should also be provided that the employees who are transferred to the Corporation would be deemed to have been declared permanent before their transfer.

It is also necessary to provide that if an employee gives in writing that he does not wish to be transferred to the Corporation, the Central Government should absorb him in an equivalent post. An employee should not be compelled to go to Corporation.

It should also be provided that the Corporation shall not make any rules and regulations which may render the conditions of service of such employees in any way or at any time less favourable than the conditions of service applicable to officers and employees of comparable status under the Central Government.

I suggest that the following proviso may also be added in amendment No.12: "Provided fourther that notwithstanding transfer to the Corporation, all the aforesaid officers and employees shall continue to enjoy such of the facilities as were available to them before the said transfer by virtue of their services under the Central Government."

The employees under the Central Government enjoy Housing, Widow pension and such other facilities. It is possible that Corporation may frame their own regulations and deprive those employees of such facilities. In view of this, I have suggested the above amendment to safeguard the interests of such employees who are transferred to the Corporation.

In Sub-clause 5 (b) (iii) it has been stated :

"It shall not apply to an officer or employee who, after tranfer to the Corporation is appointed to a higher post under the Corporation in response to on open advertisement and in competition with outsiders."

I have suggested through amendment No. 13 that the above mentioned lines may be omitted. The aforesaid sub-clause implies that the officers or employees, who, after their transfer to the Corporation, are appointed to higher posts under the Corporation, would not enjoy those rights which are enjoyed by others. It would be an act of grave injustice and, therefore, I suggest that the aforesaid provision should be omitted.

Shri Viswa Nath Pandey : In the new Section 12 A which is being added to the Food Corporation Act, 1964, provision has been made for the protection of pay, seniority promotion and other things only in regard to the employees who have come to the Corporation on transfer from the Food Ministry or any of its department. But the direct recruits have been completely left out. This kind of discrimination is improper and their interests should also be protected.

श्री लोबो प्रभु : इस विधेयक के अन्तर्गत खाद्य विभाग के कर्मचारियों की कम से कम छः नई श्रेणियां बनाई जा रही हैं। पहले तो वे कर्मचारी हैं जो 1965 के बाद भर्ती किये गये हैं। दूसरे वे जो खाद्य विभाग के वेतनमानों तथा पेन्शन को चुनते हैं। तीसरे वे जो नियम के वेतनमानों और सेवानिवृत्ति को चुनते हैं। चौथे वे लोग हैं जिनका कुछ लोगों से पहले तबादला कर दिया गया और जिनकी पदोन्नति हो गई है। उनके लिए भी व्यवस्था है। पांचवी और छटी श्रेणी में स्थायी और अस्थायी कर्मचारी आते हैं।

मैंने मंत्रालय के सचिव से पूछा था कि अस्थायी कर्मचारियों का अनुपात क्या है ? किन्तु वे उत्तर न दे सके।

खाद्य निगम में दो तरह के कर्मचारी हैं। एक तो वे जो एक वर्ष की सेवा के बाद स्थायी बन गये हैं और दूसरे वे जो एक वर्ष की सेवा के बाद स्थायी नहीं बने हैं।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब छंटनी होगी तब सरकार क्या रुख अपनायेगी ? हमारा खाद्य उत्पादन अवश्य बढ़ेगा और खाद्य समस्या के हल होने पर काफी कर्मचारी फालतू हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में छंटनी अवश्यम्भावी है।

खाद्य विभाग के कुछ कर्मचारी 16 वर्ष की सेवा के बाद भी स्थायी नहीं बनाये गये हैं और खाद्य निगम में ऐसे भी लोग हैं जो दो वर्ष की सेवा के बाद ही स्थायी बना दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में क्या मंत्री महोदय उन लोगों की छंटनी पहले करेंगे जो 16 वर्ष की सेवा के बाद भी स्थायी नहीं बनाये गये हैं या उन्हें नौकरी से निकालेंगे जिनकी सेवा काल तो केवल दो वर्ष है किन्तु वे स्थायी बना दिये गये हैं। वे किस आधार पर छटनी करेंगे ?

यही बात पदोन्नति के मामले में भी होगी। स्थायी लोगों को अस्थायी लोगों से पहले पदोन्नति दी जाती है। तो क्या खाद्य निगम में जिस व्यक्ति ने केवल तीन वर्ष नौकरी की है उसे उस व्यक्ति से पहले पदोन्नति मिलेगी जो खाद्य विभाग में पिछले 16 से 18 वर्ष से काम करता आ रहा है।

सरकार को स्थायी और गैर-स्थायी कर्मचारियों का अनुपात निर्धारित कर देना चाहिये, अन्यथा अनेक उलझनें पैदा होंगी।

आपने यह व्यवस्था की है कि यदि अधिकारियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलता तो वे इसे रिकार्ड कर सकते हैं और कर्मचारी को बर्खास्त कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 311 के प्रतिकूल है। इस उपबन्ध को समाप्त किया जाना चाहिये क्योंकि सन्देह का लाभ कर्मचारी को मिलना चाहिये, सरकार को नहीं।

यह समझ नहीं आता कि एक अधिकारी को जिसे उच्चतर पद पर नियुक्त किया गया है, इस प्रक्रिया से छूट क्यों मिलनी चाहिये। इस बात को भी कृपया आप स्पष्ट करें।

जहां तक सचिवालय के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सरकार को उन्हें खाद्य विभाग के वेतन-मान या सरकारी वेतन-मान लेने के विकल्प की अनुमति देनी चाहिये। इन्हें खाद्य निगम में वापस आने का अधिकार होना चाहिये। यह कहना ठीक नहीं है कि वे नीति सम्बन्धी कार्य करते हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : यद्यपि मंत्री महोदय ने मौखिक आश्वासन दिया था, फिर भी जब तक अधिनियम में ही ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती तब तक हमें संतोष नहीं होगा। अतः मेरे संशोधन स्वीकार किये जाएं।

Shri Deven Sen: I introduce my amendment No. 32 which is regarding continuity of service. Amendment No. 33 is regarding providing equinalent grades in the Department of Food and Food Corporation of India. My Amendment No. 34 is regarding fixation of pay of officers transferred to the Corporation. All these amendments are regarding safeguarding the interest of emplyees.

My last amendment is No. 35. As all these amendments are self-explanatry I have nothing more to say.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Nothing has been said in new clause 12.A about the pension, seniority, promotion and future of nearly 3,000 direct recruits in the Food Corporation in the event of it closure. To provide such safeguards, I table my amendment No. 12 (B) (1) and 12 (B) (2).

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : मेरे नाम में संशोधन संख्या 44 तथा 45 हैं। दोनों संशोधन मंत्रालय से खाद्यनिगम में स्थानान्तरित कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में हैं। जबकि कुछ सेवाशर्तें इन कर्मचारियों पर लागू रखी गई हैं, वहां कुछ अन्य शर्तें उन पर लागू नहीं होती हैं। इससे हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है।

क्योंकि मैं समझता हूं कि खाद्य निगम जैसी बेकार संस्था रहेगी नहीं, इसलिये इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

खाद्य निगम को जो 10 करोड़ रुपये दिये गये हैं उनपर कुल मिला कर 11-12 प्रतिशत ब्याज देय है जो उपभोक्ताओं पर अनावस्यक बोझ है।

सभी सदस्य एवं मन्त्री महोदय तक यही चाहते हैं कि खाद्यनिगम में स्थानांतरित व्यक्तियों की सेवाशर्तें वही रहें। इसका वैधानिक उपबन्ध होना चाहिये। मंत्री महोदय यदि चाहें तो हमारे संशोधन स्वीकार कर लें या अपनी इच्छा से विधेयक में इस आशय का परिवर्तन कर दें।

Shri Shinkre : The future of 3,000 direct recruits of the Food Corporation is uncertain Therfore, some provision should be made in the Bill in this regard.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

In order to restore public confidence my amendment may be accepted.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : (किवलोन) प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना सदा के लिये बन्द किया जाये। मेरे संशोधन के बारे में जहां उप-खण्ड (5) उचित है वहाँ उप-खण्ड (6) अवैधानिक है क्यों कि किसी व्यक्ति को बिना उसकी बात सुने दण्ड नहीं दिया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन अधिकार छीने जा रहे हैं ?

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : जी हां। मैं चाहता हूँ कि सेवा से हटाये जाने पर अपील का उसका अधिकार मूल अधिकार है, और यह अपील निगम अथवा मंत्रालय से बाहर सुनी जानी चाहिये।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सर्वश्री लोबो प्रभु और श्री कान्तन नायर ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं और कहा है कि खण्ड (5) (ख) असंवैधानिक है। परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि यह उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 311 में से ही लिये गये हैं। सरकार ने इन सभी उपबन्धों की छानबीन विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके की है और संवैधानिक पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये उपबन्ध रखे गये हैं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : जब कि संविधान के प्रत्येक उपबन्ध में अपील का प्रावधान है परन्तु यहां ऐसा कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 311 में दो अवसर दिये गये हैं और इस मामले में भी मंत्री महोदय ने कहा है कि लगभग दो अवसर दिये गये हैं। आप और क्या चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : कल अपने भाषण में मैंने कहा था कि इसी सभा में शोर मचा था जब श्री स० कु० सेन के विधि मंत्री रहते एक कर्मचारी को केवल एक अवसर दिया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि केन्द्रीय सरकार (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों को ही इस मामले में भी लागू रखना है तो यह खण्ड हटा दिया जाये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सेवा नियम निगम द्वारा बनाए गये हैं परन्तु सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण का सिद्धान्त उनके स्थानांतरण के बाद भी उन्हें प्राप्त होगा।

Shri Deven Sen : Where is the provision of continuity of service in the Bill ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस विधेयक का उद्देश्य ही इन आदेशों को वैधानिक रूप देना है जैसी कई सदस्यों की इच्छा थी।

श्री विश्वनाथम के संशोधन के जवाब में हमने ऐसे कर्मचारियों को दो विकल्प दे रखे हैं। अतः उनका संशोधन निरर्थक है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2 में सरकारी संशोधन संख्या 3,4,5 और 6 मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि :

पंक्ति 9 से 11 के स्थान पर

"परन्तु यह कि इस उप-धारा के अधीन ऐसे विभाग अथवा कार्यालय के उस अधिकारी अथवा कर्मचारी के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा जिसने, केन्द्रीय सरकार के उसे निगम में स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, उस सरकार द्वारा इस बारे में उल्लिखित समय के भीतर ही निगम का कर्मचारी न बनने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी हो।" रखा जाये।

"Provided that no order under this sub-section shall be made in relation to any officer or employee in such Department or office who has in respect of the proposal of the Central Government to transfer such officer or employee to the Corporation, intimated within such time as may be specified in this behalf by that Government, his intention of not becoming an employee of the Corporation."

4. पृष्ठ 2, पंक्ति 35, –

"सेवानिवृत्ति अथवा" के स्थान पर,

"अवकाश, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति अथवा" रखा जाये

for "the retirement or" **substitute**—

"the leave, provident fund, retirement or"

5. पृष्ठ 2, पंक्ति 38 –

"सेवानिवृत्ति अथवा" के स्थान पर

"अवकाश, भविष्य निधि अथवा" रखा जाये

for "the provident fund or" **substitute**—

"the leave, provident fund or"

6. पृष्ठ 3, पंक्ति 31 और 32 –

"जैसा विहित किया जाये" के स्थान पर,

"जैसा इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम द्वारा बनाये गये विनियमों में उल्लिखित किया जाये" रखा जाये।

for "as may be prescribed" **substitute**—

"as may be specified in the regulations made by the Corporation under this Act."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष सभी संशोधन मतदान के लिये रखता हूँ

संशोधन मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Ths Motion was adopted.

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

खन्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन स्वीकृत हुआ।

पृष्ठ । पंक्ति 4 में '1967' के स्थान पर '1968' रखा जाये।

(श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खन्ड । संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

~~प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।~~

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, अट्ठाहरवीं के स्थान पर 'उन्नीसवीं' रखा जाये।

(श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adoptcd.

अधिनियम सूत्र, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting formula, as amended, was added to the Bill.

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

अत्यावश्यक सेवायें (बनाये रखना) अध्यादेश के निरनुमोदन के सम्बन्ध में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF ESSENTIAL SERVICES (MAINTENANCE) ORDINANCE

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

"कि सभा आवश्यक सेवायें बनाये रखने का अध्यादेश, 1968 (1968 का अध्यादेश संख्या 9) का जो राष्ट्रपति द्वारा 13 सितम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा विचार है कि यह संकल्प संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन पेश किया गया है और इसे लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 184 के अन्तर्गत गृहीत किया है। अनुच्छेद 123 में कहा गया है "उस समय को छोड़ कर जब कि संसद के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।" परन्तु प्रक्रिया नियमों के नियम 188 में यह उपबन्ध है कि साधारणतया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पेश किया जा सकेगा जिसके द्वारा न्यायाधीन मामले के बारे में चर्चा उठाने की मांग की गई हो।

जिस अध्यादेश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी वैधता को उच्चतम न्यायालय और तीन उच्च न्यायालयों में अर्थात्, दिल्ली उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय

और आन्ध्र उच्च न्यामालय में चुनौती दी गई है । आन्ध्र उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में रोक आदेश भी जारी किया है । सभा के सामने एक ऐसा मामला है जो न्यायाधीन है और इसलिये इस मामले पर सभा में चर्चा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

विगत समय में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये विनिर्णयों से, विशेषकर उस निर्णय से जो उन्होंने 9 मई, 1968 को श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में दिया था, इस बात की पुष्टि होती है कि जब तक तीन उच्च न्यायालयों द्वारा इन मामलों पर अन्तिम निर्णय नहीं किया जाता तब तक इस संकल्प पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । श्री मधु लिमये के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि "इसलिये मेरा विचार है कि जब तक न्यायालय अपना निर्णय नहीं देता, प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा स्थगित रखी जानी चाहिये ।"

मेरा निवेदन है कि अध्यादेश जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसको तीन न्यायालयों में चुनौती दी गई है । क्या हम ऐसे अध्यादेश को कानून बना सकते हैं जिसे चुनौती दी गई है ? इसलिये इस चर्चा को न्यायालयों के निर्णय तक स्थागित रखा जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संधिान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (2) में यह उपबन्ध किया गया है कि :

"संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा, तथा संसद के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उस कालाविधि की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन उसके निरनुमोदन के संकल्प पार कर देते हैं तो, इनमें से दूसरे संकल्प के पारण होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा ।"

संविधान के अन्तर्गत संसद को इसके निरनुमोदन का अधिकार दिया गया है । सभा को इसके अनुमोदन अथवा निरनुमोदन का अधिकार है । संविधान में इसे अनिवार्य किया गया है । संविधान द्वारा दिये गये अधिकार अन्तर्गत कार्य करने के लिये कोई निगम बाधक नहीं हो सकता । यह एक सांविधिक प्रस्ताव है और इस पर चर्चा नहीं रोकी जा सकती ।

जहां तक दूसरे प्रश्न कां सम्बन्ध है, क्या विधि मंत्री बता सकते हैं कि क्या न्यायालय में कोई मामले चल रहे हैं ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्रीमान् मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या यह मामला न्यायाधीन है ।

श्री उ.नाथ : हमने यह कहा है कि यह मामला न्यायाधीन है ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस अध्यादेश की वैधता को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है । श्री शुक्ल ने भी यही कहा है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : उक्त अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने के बारे में अनेक न्यायालयों में लेख याचिकायें ही न्यायाधीन नहीं हैं बल्कि आन्ध्र उच्च न्यायालय ने तो रोक आदेश भी जारी किया है । विधि मंत्री को देश में नवीनतम कानूनी घटनाओं की

जानकारी होनी चाहिये । हो सकता है कि उच्च न्यायालय यह निर्णय दे कि यह अध्यादेश अवैध है ।

श्री गोविन्द मेनन : मुझे आश्चर्य है...... (अन्तर्बाधायें)

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये--

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें स्थिति का स्पष्टीकरण करने दें। मैं आपको अवसर दूंगा।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पेश की गई थी और उसे नामंजूर कर दिया गया था । दिल्ली उच्च न्यायालय में भी अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पेश की गई थी लेकिन उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है । राजस्थान और लखनऊ में भी अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकायें न्यायाधीन हैं। आन्ध्र में अध्यादेश के अधीन सेवायें समाप्त करने के विरुद्ध एक याचिका न्यायाधीन है ।

सभा के समक्ष एक ऐसा प्रस्ताव है जो संविधान के अनुच्छेद 123 (2) के अधीन सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश का निरनुमोदन करने के लिये पेश किया गया है । सभी का यह सर्वोच्च अधिकार है कि वह चाहे तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के अधीन जारी किये गये अध्यादेश का अनुमोदन कर सकती है और वह चाहे तो उसका निरनुमोदन भी कर सकती है और अध्यादेश के अनुमोदन या निरनुमोदन सम्बन्धी मत पर मामले के न्यायाधीन होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि हम मामले की वैधता पर विचार नहीं कर रहे हैं । इसलिये अध्यादेश का निरनुमोदन करने के सम्बन्ध में सभा में पेश किये गये प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिये और मत लिया जाना चाहिये ।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : सबसे पहली बात तो यह है कि उच्च न्यायालयों के समक्ष अध्यादेश की वैधता निर्णयाधीन है. अध्यादेश के गुण-दोष नहीं। दूसरे, सभा के समक्ष वह प्रस्ताव है जिसमें अध्यादेश के निरनुमोदन करने की मांग की गई है । तीसरी बात यह है कि इस प्रस्ताव को निबटाने के बाद सभा विधेयक पर ही विचार करेगी ।

हमें 'अध्यादेश' और 'अध्यादेश की वैधता' के अन्तर को समझ लेना चाहिये । यदि यह अन्तर समझ लिया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जायेंगे कि हम जिस मामले पर चर्चा कर रहे हैं वह न्यायाधीन नहीं है ।

श्री क० नारायण राव : सभा में पेश किया गया प्रस्ताव उस प्रस्ताव से भिन्न है जिसकी नियम 184 में कल्पना की गई है । इसे अनुच्छेद 123 के अधीन लाया गया है। यह संयोग की बात है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है । यदि इस सम्बन्ध में मुकदमा भी दायर किया जाये तो भी सभा को इस मामले पर चर्चा करने से नहीं रोका जा सकता । इसलिये इस मामले में न्यायाधीन सम्बन्धी नियम लागू नहीं होता ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : अध्यादेश की वैधता पर न्यायालयों में विचार हो रहा है और

जब इस मामले में लेख याचिका विचाराधीन है तो यह नहीं कहा जा सकता कि मामला न्यायाधीन नहीं है।

एक बात यह भी उठाई गई है कि चूंकि इस सभा को अध्यादेश का निरनुमोदन अथवा अनुमोदन करने का संवैधानिक प्रधिकार प्राप्त है इसलिये इस मामले में नियम बाधक नहीं बन सकते। किन्तु नियम भी संविधान के भाग हैं। यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में कुछ संवैधानिक दायित्व भी हैं लेकिन उनके बारे में भी प्रक्रिया सम्बन्धी नियम लागू होते हैं और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधीन हम न्यायाधीन मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में सरकार अध्यादेश का उल्लेख किये बिना ही एक विधेयक ला सकती है। एक गैर-कानूनी विधान को लाने के बजाय और यह दलील देने के बजाय कि यद्यपि मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है तथापि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, सरकार इस विधेयक को वापस लेकर और उद्देश्यों और कारणों के विवरण को बदल कर एक विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

श्री र० ढो० भण्डारे : जब नियमों तथा संविधान के सम्बन्ध में विवाद हो तो संविधान में किये गये उपबन्धों को मान्य समझा जाना चाहिये। यह तो एक साधारण-सी बात है।

श्री ह्रो० ना० मुकर्जी : नागरिकों के अधिकारों को वास्तिवक रूप में लागू किये जाने के लिये संविधान में उपबन्ध किया गया है। इसी हेतु संविधान में संसद को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह सत्रावसान के दौरान जारी किये गये अध्यादेश का अनुमोदन या निरनुमोदन करें। इसी प्रकार नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकार की कुछ कार्यवाहियों को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। हमारे उच्च न्यायालयों को संवैधानिक उपबन्धों की पूरी जानकारी है। वे यह जानते हैं कि यदि कोई अध्यादेश कुछ अवधि तक लम्बित कर दिया जाता है तो वह समाप्त हो जाता है। यह सब जानते हुये ही दिल्ली, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों ने मामले को विचाराधीन रखना ठीक समझा क्योंकि इस पर विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह सिद्ध हो गया है कि यदि कोई मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन हो तो हमें उस मामले पर सभा की कार्यवाही स्थागित कर देनी चाहिये। परन्तु हमारे विधि मंत्री यह कहते हैं कि उन्हें यह नहीं मालूम कि यह मामला उच्च न्यायालयों में चल रहा है। उन्हें अपनी इस भूल के प्रति सावधान रहना चाहिये और भाबिष्य में यह भूल नहीं होनी चाहिये। विधि मंत्री ने यहां जो कुछ किया है उसके बारे में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) श्रीमान्, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और हमें इस विषय को एक साधारण विषय नहीं समझना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 123 (3) में यह उपबन्ध है कि "यदि, और जिस मात्रा तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई उपबन्ध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिये संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो वह शून्य होगा।" यह प्रश्न उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है कि मामला निष्प्रभावी है या

नहीं। इस परिस्थितियों में यदि हम इस मामले पर चर्चा करते हैं तो हम संविधान के अनुच्छेद 123 (3) का उल्लघंन करेंगे।

श्री रा० ढो० भण्डारे : प्रश्न यह है कि संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा संसद को अध्यादेश का अनुमोदन अथवा निरनुमोदन करने की जो शक्ति प्रदान की गई है क्या उस शक्ति के प्रयोग पर, यदि मामला न्यायालय में चल रहा है, प्रतिबन्ध लगता है अथवा नहीं। संसद द्वारा इस अध्यादेश का निरनुमोदन होने से न्यायालय में चल रही सभी याचिकायें निरर्थक हो जायेंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि संविधान के अन्तर्गत की गई शक्तियों का संसद द्वारा प्रयोग उचित होगा।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यदि हम संकल्प पर चर्चा करते है तो हमें अध्यादेश की वैधता पर विचार करना होगा और इस प्रकार हम उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामलों पर भी चर्चा करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि संविधान के अधीन यह अनिवार्य नहीं है कि अध्यादेश का अनुमोदन अथवा निरनुमोदन करने वाले संकल्प को सभा में पेश किया जाये। चूँकि अध्यादेश का अनुमोदन अथवा निरनुमोदन करने वाले संकल्प को पारित करने के बारे में कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये हमें इस मामले को स्थगित रखना चाहिये। अभी हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री श्रीचन्द गोयल : इस विधेयक के प्रति कई कानूनी आपत्तियां उठाई गई हैं इसलिये उक्त प्रस्ताव पर विचार करना उचित नहीं है। इसलिये यदि सभा सहमत हो तो वैकल्पिक रूप में इस मामले को संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है।

Shri S. M. Joshi (Poona) : There is no constitutional obligation to press a resolution approving or disapproving of the Ordinance.

The question whether the Ordinance is void or not is before the High Court. Therefore the matter cannot be discussed in the House in view of Article 123 (3).

Every citizen has a right to go to a Court against the Ordinance. Since the matter has already been taken to the court, it is **Sub-Judice**. The Court will consider the validity of the Ordinance in the light of the Article 123 (3). Therefore, the discussion here will prejudice the decision of the Court. This matter should not be discussed.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है। क्या हम किसी न्यायिक प्राधिकार के सामने संसद की प्रभुसत्ता त्याग सकते हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : फिर तो कोई भी विधान सम्भव न होगा।

श्री एस० कन्डप्पन : यह सत्य है कि हम एक सार्वभौम निकाय हैं परन्तु क्या हम संविधान का निर्वचन कर सकते हैं। यहां इस समय संविधान के निर्वचन तथा अध्यादेश की मान्यता का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ देर के लिये अध्यादेश को भूल जाइये। मैंने एक साधारण प्रश्न पूछा है।

Shri Rabi Ray (Puri) : The Law Minister has not been listening to the discussion here and now he has gone out. Until he comes back, the proceedings of the House cannot be carried on.

उपाध्यक्ष महोदय : वह उचित समय पर आ जायेंगे । वह बीच में से दूर उठ कर चले गये हैं । उनके लिये यह उचित नहीं है ।

श्री म० ल० सोंधी (नई दिल्ली) : उन्हें सभा से क्षमा मांगनी चाहिये ।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : आप उन्हें बुलाने के लिये मार्शल को भेजें ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...नियम 361 के अन्तर्गत... (अंतर्बाधा)

श्री हो० न० मुकर्जी : आपने सभा के विचार व्यक्त किये है परन्तु सरकारी मंच पर सभी चुपचाप बैठे हैं । वे उन्हें वापस बुलाने का आश्वासन भी नहीं देते । उन्होंने सभा का अपमान किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिलहाल कुछ भी रिकार्ड न किया जाये । मैं एक-एक करके सदस्यों को बुलाऊँगा ।

श्री म० ल० सोंधी : (नई दिल्ली)*.....

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे)*.....

(अन्तर्बाधायें)

एक माननीय सदस्य : लीजिये विधि मंत्री वापस आ गये ।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म आनी चाहिये ।

श्री गोविन्द मेनन : शर्म आनी चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य : उन्हें सभा से माफी मांगनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अध्यक्षपीठ से सहयोग करना चाहिये ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि क्योंकि माननीय मंत्री ने सभा का अपमान किया है, इसलिये उन्हें सभा से क्षमा मांगनी चाहिये । जिस समय सभा-नेता यहां न हों तो उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति होना चाहिए । यद्यपि इस व्यवहार के लिये आपने सरकार की आलोचना की है परन्तु आपको उनको सभा से क्षमा मांगने के लिये भी कहना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह किसी अविलम्ब कार्य के कारण बाहर चले गये होंगे । मुझे पता नहीं चला कि वह किस समय बाहर चले गये ।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने शायद आपके प्रति अशिष्टता दिखाई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा तनिक भी यह अभिप्राय नहीं है ।

श्री गोविन्द मेनन : यह एक गैर-सरकारी संकल्प है । मैं इसका कार्यभारी मंत्री नहीं हूँ ।

* कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया ।

आपने मेरी राय मांगी और राय दे कर मैं सभा से चला गया क्योंकि मुझे अन्यत्र कुछ कार्य था। अब जब मैं वापिस आया तो "शर्म आनी चाहिये" शब्दों से मेरा स्वागत किया गया। मैं भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह भली प्रकार समझता हूं कि विधि मंत्री तनिक भी सभा का अपमान नहीं करना चाहते थे। मैंने उनसे एक स्पष्टीकरण मांगा था। यदि वह यह कहते कि वह कार्यभारी मंत्री नहीं हैं तो मैं कार्यभारी राज्य मंत्री से वह राय मांगता।

श्री विद्या चरण शुक्ल : वह यहां संयोग से आये थे।

श्री गोविन्द मेनन : मेरे नाम में यहां कोई कार्य नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक विशेष प्रश्न है। क्या सरकार का कानून अधिकारी सभा में नहीं रहना चाहिये ?

श्री शान्तिलाल शाह : (बम्बई-उत्तर-पश्चिम) : क्या मैं विधि मंत्री के कार्य के बारे में कुछ कह सकता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : नियमों में यह उपबन्धित है कि जब अध्यक्ष सभा में बोल रहे हों, तो कोई सदस्य उठ कर बाहर न जाये। यह उपबन्ध प्रदेशात्मक है। जब आप सभा में बोल रहे थे उस समय उनका सभा से बाहर चले जाना सभा के प्रति अशिष्टता है। यह नियमों का उल्लंघन है। उन्हें सभा से क्षमा मांगनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं कि वह किसी समय सभा से बाहर चले गये। मैं दूसरी ओर देख रहा था।

Shri Rabi Ray : He left when you were addressing the House.

श्री उमानाथ : यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री वासुदेवन नायर : यह तो एक ईमानदारी का प्रश्न है। मंत्री महोदय को स्वयं ही बताना चाहिये कि जिस समय वह बाहर चले गये उस समय क्या आप बोल रहे थे।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

(अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से कहा गया है कि अध्यक्षपीठ का अवमान करना उनका आशय नहीं है।

Shri A.B. Vajpayee (Balrampur) : If Minister of Parliamentary Affairs has expressed his regret instead of the Law Minister, we should accept it.

श्री दत्तात्रेय कुण्ठे (कोलाबा) : मंत्रियों को याद रखना चाहिये कि वे भी इसी सभा के सदस्य हैं और उन्हें भी अध्यक्षीय पीठ के प्रति वही सम्मान प्रदर्शित करना चाहिये जो शेष सदस्यों को करना होता है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हमारा आचरण दीर्घाओं में बैठे युवक युवतियां और अन्य लोग देखते हैं.....(अन्तर्बाधाएं) सभा में व्यवस्था बनाए रखना प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है।

Shri A.B. Vajpayee : I do not think that this incident should be prolonged unnecessarily.

श्री स० मो० बनर्जी : डा० राम सुभग सिंह जी के भाषण के बाद मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अच्छा होता यदि विधि मंत्री सम्मानपूर्वक सभा में प्रवेश करते।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : इस घटना को अधिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह सकता हूं कि दोनों ओर सदस्यों द्वारा इसका उल्लंघन होता रहता है। पहली बात यह है कि प्रत्येक सदस्य को अध्यक्षीय पीठ के प्रति आदर रखना चाहिये।

दूसरे, यदि ऐसा न होने पर ऐसा कहा जाता है तो अध्यक्षपीठ को उस पर ध्यान देना चाहिये। परन्तु मामला इस प्रकार बढ़ाया नहीं जाना चाहिये।

श्री शान्ति लाल शाह : व्यवस्था का प्रश्न अध्यादेश के न्यायालय के अधीन मामले को उठाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि संसद में कोई ऐसा मामला उठाया ही नहीं जा सकता इसका अर्थ केवल यह है कि संसद में ऐसे मामले के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात न कही जाये जिसका न्यायालय की कार्यवाही पर प्रभाव पड़ता हो।

अब, कोई अध्यादेश तीन प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। एक राष्ट्रपति द्वारा वापस ले लिये जाने पर, दो, संसद् द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने पर, और तीसरे, छः सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाने पर। यहां संसद् द्वारा इसका अनुमोदन करके इसे विधान का रूप दिया जा रहा है। अब तर्क यह किया जा रहा है कि क्योंकि उस संबंध में मामला न्यायालय में लम्बित है इसलिये इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

किसी अध्यादेश का निरनुमोदन तीन कारणों से किया जा सकता है। एक, विषय राज्य सूची का होने पर, दूसरे राष्ट्रपति के इस मत के सभा द्वारा अस्वीकार किये जाने पर कि मामले में तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित थी और तीसरे इसे लाये जाने के अनुचित तरीके के कारण।

अब नियम यह है, और श्री कुण्ठे भी महाराष्ट्र विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष होने के नाते मेरी बात का समर्थन करेंगे कि ऐसे मामलों पर चर्चा की जा सकती है बिना न्यायिक स्थिति को हानि पहुँचाये।

Shri S.M. Joshi : The point that arises here is that it being a constitutional resolution, ordinary rules do not apply here. The question is the one raised by Shri Kundu referring to Article 123. An ordinary citizen has a right to question the legality of any Ordinance which tends to harm his interest.....(**Interruption....**)

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए।**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

I am mentioning all this because the honourable Deputy Speaker had contended that this House is also like a Court. But here, we do not have certain powers which law-courts enjoy. Ours is only a law-making body and as such the rule of **Sub-Judice** is fully applicable here. Anything said here for or against the Ordinance might prejudice the case now pending in a nourt. Therefore, my contention is that it cannot be discussed here.

श्री उमानाथ : यदि यह व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार कर लिया जाये तो सभा में जो

95-98 प्रतिशत मामलों में वैधानिक प्रक्रिया अपनायी जाती है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो उपाध्यक्ष महोदय ने बार-बार कही कि इस सभा की वैधानिक शाक्तियां सर्वोच्च हैं क्या उनका उल्लंघन किया जा सकता है ?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री उमानाथ : संविधान के अनुसार ही हमें विधान बनाने का पूर्ण अधिकार है और इसी संविधान में से अधिकार कुछ नियमों के अधीन प्रयुक्त किये जाते है। सभा द्वारा बनाये गए ये नियम भी संविधान से बाहर नहीं हैं। अतः जब अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी गई हो तो मामला इस सभा द्वारा विचार से बाहर हो जाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सभा के सर्वोच्च होने पर मुझे इसी सभा में दिये गये दो विनिर्णयों का उल्लेख करना है। एक, श्री मधु लिमये के बन्दी बनाये जाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के मामले में और दूसरे श्री करांजिया के मामले में पूरी सभा ने उसकी भर्त्सना करने का निर्णय किया था और जब ऐसा किया जाने वाला था वह सर्वोच्च न्यायालय में मामले को ले गये थे। ऐसा होते ही मामला सभा के अधिकार से बाहर हो गया और सभा तभी ऐसा कर सकी थी जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधि मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। जैसे श्री सोभियान ने मामला उठाया है कि यद्यपि यह संकल्प विधान का अंग नहीं है फिर भी इसका प्रस्ताव सांविधक है और इसके एक भाग को न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है, तो क्या इस पर चर्चा की जा सकती है या नहीं ?

श्री गोविन्द मेनन : मेरी राय यह है कि यह संकल्प संविधान के अन्तर्गत लाया गया है। श्री शान्तिलाल शाह ने कहा है कि क्या इस अध्यदेश के जारी होने पर स्थिति वास्तव में क्या ऐसी थी ? तो यदि तत्संबंधी विधेयक लाया जा सकता था तो यह संकल्प भी लाया जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा प्रश्न तो यह था कि मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा की जा सकती है या नहीं ?

Shri Madhu Limay (Monghyr) : The hon. Minister should speak only after all of us have spoken on this issue. Today the same hon. Member is supporting it, who was opposing my Motion on the plea of i's being **Sub-Judice** .. .. .. (**Interrptions**) Nobody is supreme here, all are uuder the Constitution. I have only this to submit that all are equal under the Constitution and you should also give your ruling on merits....(**Interruptions**)..

श्री दत्तात्रेय कुंटे : अध्यादेश का निरनुमोदन करने से सम्बन्धित प्रस्ताव सभा के समक्ष है। अध्यादेश के अनुमोदन अथवा निरनुमोदन का प्रश्न किसी भी न्यायालय के सामने नहीं है। अध्यादेश की वैधता उच्च न्यायालय के सामने निर्णयाधीन है और वैधता केवल यह है कि वह

न्यायाधीन नहीं है। सभा द्वारा अध्यादेश का अनुमोदन अथवा निरनुमोदन किया जाना अध्यादेश की वैधता अथवा अवैधता पर कोई राय व्यक्त करने के बराबर नहीं होगा। चूंकि प्रस्ताव में अध्यादेश की वैधता या अवैधता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिये यह बिल्कुल सही है।

श्री क० नारायण राव : प्राक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 175 के परन्तुक के अधीन अध्यक्ष को किसी सांविधिक न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन प्रश्न को उठाने के लिये अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है। हमारे किसी भी फैसले का सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी राय पर किसी तरह भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिये यदि यह एक ऐसा मामला है जिस पर यह नियम लागू होता है तो भी आप इस मामले में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या इस पर यहां चर्चा करने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री तन्नेटि विश्वनाथम : मेरे मित्र श्री कुन्टे ने कहा है कि यहां वैधता का कोई प्रश्न नहीं है बल्कि यह तो केवल निरनुमोदन अथवा अनुमोदन का प्रश्न है। सभा को कुछ आधारों पर अध्यादेश का निरनुमोदन करना है और वे आधार वही हैं जिनका लेख याचिका में उल्लेख किया गया है। यह बात एक दम सरल एवं स्पष्ट है।

Shri George Ferandes (Bombay South) : According to May's Parliamentary Practice "a matter awaiting or under adjucication by court of law should not be brought before the House by a motion or otherwise." Even according to 'Practice and Procedure of Parliament' by Shri Shakdhar, a resolution or a motion "should not relate to any matter which is under adjudication by a Court of law having jurisdiction in any part of India." In view of that both the Resolution and the Home Minister's motion cannot be discussed here. The discussion on the resolution and the Motion will also violate articles 121 and 226 of the Constitution.

Shri A. B. Vajpayee : It is difficult to understand how a writ petition in a Court can prevent the House from exercising its right of discussing the matter. If the non-official motion cannot be debated in the House, then the Bill also cannot be debated. The discussion on this matter here in this House would not in any way affect the interests of those who have challenged the ordinance in the Court.

It was wrong not to have allowed discussion on Shri Madhu Limaye's motion on Kutch. If the discussion on the present Resolution is allowed discussion on Shri Limaye's motion on Kutch should also be permitted to be taken up.

श्री गोविन्द मेनन : अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 123 (2) के अधीन संकल्प पेश करना इस सभा के किसी एक सदस्य का संवैधानिक अधिकार है। अध्यादेश का स्थान लेने वाला एक विधेयक अनुच्छेद 10 के अधीन पेश करना गृह मन्त्री का संवैधानिक अधिकार है।

1967 में राष्ट्रपति ने धातु निगम अध्यादेश जारी किया था और उस अध्यादेश पर पंजाब उच्च न्यायालय की दिल्ली शाखा में आपत्ति की जा रही थी। जब वह लेख न्यायाधीन था तब विधेयक सभा के समक्ष लाया गया था और श्री स० मो० बनर्जी ने स्वयं

आपत्ति की थी कि चूंकि लेख न्यायालय के सामने विचाराधीन है अतः विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता । उस समय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि अध्यादेश के विरुद्ध लेख न्यायाधीन होने पर भी यह सभा अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कल निर्णय दूंगा। सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 11 दिसम्बर, 1968/20 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 11, 1968 / Agrahayana 20, 1890 (Saka)

Printed by Job Printers, Allahabad.